खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश

वर्ष 2011–12

टैरिफ आदेश

दिनांक 23, मई 2011

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक

93/200 (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)
91/2010 (मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)
97/2010 (पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष
के. के. गर्ग, सदस्य
सी. एस. शर्मा, सदस्य

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., द्वारा दाखिल की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ आवेदनों के आधार पर संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत प्रदाय दर का अवधारण

विषय–सूची

ए1	आदेश	8
ए2	याचिका क्र. 93/2010, 91/2010 तथा 97/2010 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	19
ए3	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मध्य प्रदेश पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्कॉम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	20
	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	20
	विक्रयों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	22
	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय	23
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	24
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत) का आकलन	27
	विद्यमान स्टेशनों हेतु	27
	भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत संबंधी विवरण	30
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन	30
	ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	32
	• *वितरण हानियां*	32
	• *बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां*	33
	विद्युत क्रय लागतें	43
	नेटवर्क की लागतें	52
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	52
	पूंजीकरण	53
	आयोग का विश्लेषण	**57**
	संचालन तथा संधारण लागतें	59
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	59
	संचालन तथा संधारण लागतों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	***63***
	अवमूल्यन या अवक्षयण	67
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	67
	अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण	**69**
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	72
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	72
	ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण	**76**
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	78

	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	78
	कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण	**82**
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	**84**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण	*84*
	पूंजी पर प्रतिलाभ	**85**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	85
	आयोग द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ का विश्लेषण	**87**
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	**88**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	88
	डूबन्त तथा* संदिग्ध *ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	**88**
	अन्य विविध व्यय	**89**
	अन्य आय	**89**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	**89**
	अनुमोदित संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	**91**
	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	**92**
	पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व	**92**
	नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अंतर/आधिक्य	**93**
ए4 :	**सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां**	**95**
ए5 :	**खुदरा विद्युत–दर रूपांकन**	**132**
	कानूनी स्थिति	**132**
	विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति	**132**
	एक समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें	132
	विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता	133
ए6 :	**आयोग के दिशा–निर्देश**	**136**
	परिशिष्ट 1: आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	**165**
	परिशिष्ट 2: निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	**172**
	परिशिष्ट 3: टैरिफ अनुसूचियां – उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दर अनुसूचियां	**198**

तालिका–सूची

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	विनियमों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य	9
तालिका 2:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य	10
तालिका 3:	प्रस्तावित विद्युत दर के कारण राजस्व में वृद्धि	10
तालिका 4:	विनियमों के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	10
तालिका 5:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	11
तालिका 6:	जन–सुनवाई	12
तालिका 7:	विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	12
तालिका 8:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	12
तालिका 9:	नियतकालिक (Periodic) प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति	14
तालिका 10:	किये गये पूंजी निवेश की प्रगति	15
तालिका 11:	आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	16
तालिका 12:	नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य	17
तालिका 13:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय	21
तालिका 14:	घरेलू तथा कृषि संबंधी अमीटरीकृत विद्युत विक्रय, जैसा कि इसे दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया	22
तालिका 15:	स्वीकार की गई विद्युत विक्रय की मात्रा	22
तालिका 16:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन	24
तालिका 17:	वित्तीय वर्ष 2011–12 की विद्युत वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की एक्सबस (ex-bus) उपलब्धता	25
तालिका 18:	प्रयोज्य मप्रविनिआ टैरिफ आदेश	27
तालिका 19:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य के लिये दाखिल की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत	29
तालिका 20:	भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत	30
तालिका 21:	दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	30
तालिका 22:	नवीन क्षमताएं (मेगावाट में)	31
तालिका 23:	मप्रट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	31
तालिका 24:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	31
तालिका 25:	दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत	32
तालिका 26:	विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)	33
तालिका 27:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऊर्जा की सकल आवश्यकता	34
तालिका 28:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	34
तालिका 29:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु नवीन उत्पादन क्षमताएं	35
तालिका 30:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मेगावाट में)	36
तालिका 31:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)	37
तालिका 32:	विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	39
तालिका 33:	सुयोग्यता क्रम	39
तालिका 34:	सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारापरांत स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	40
तालिका 35:	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य परस्पर व्यापार (मिलियन यूनिट में)	41
तालिका 36:	आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मेगावाट में)	42
तालिका 37:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत (Monthly Pooled Cost)	43

तालिका 38:	न्यूनतम क्रय वचनबद्धता (Minimum Purchase Obligation)	45
तालिका 39:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन	46
तालिका 40:	स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत	47
तालिका 41:	ट्रेडको से अनुज्ञेय की गई ऊर्जा की आवश्यकता : आवंटन	49
तालिका 42:	विद्युत वितरण कंपनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार	50
तालिका 43:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार	50
तालिका 44:	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	51
तालिका 45:	स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत	51
तालिका 46:	पूंजी निवेश योजना	52
तालिका 47:	निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का वर्षवार विभाजन	53
तालिका 48:	पूंजी निवेश योजना	54
तालिका 49:	पूंजीकरण योजना	55
तालिका 50:	वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan)	55
तालिका 51:	पूंजी निवेश योजना	56
तालिका 52:	वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan)	56
तालिका 53:	पूंजीकरण योजना	57
तालिका 54:	वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan) (वर्ष 2008 से 2010 तक)	58
तालिका 55:	वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	58
तालिका 56:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन	60
तालिका 57:	टर्मिनल प्रसुविधा दायित्व	61
तालिका 58:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु संचालन तथा संरक्षण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन	62
तालिका 59:	दाखिल किये गये सेवा दायित्व	62
तालिका 60:	दाखिल किया गया पूर्व दायित्वों का विभाजन	62
तालिका 61:	भविष्यगामी सेवाओं हेतु दाखिल किये गये सेवा के दायित्व	63
तालिका 62:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन	63
तालिका 63:	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	65
तालिका 64:	विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय	65
तालिका 65:	विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	65
तालिका 66:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	66
तालिका 67:	विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण	67
तालिका 68:	अवमूल्यन	68
तालिका 69:	अवमूल्यन	69
तालिका 70:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवमूल्यन का तुलनात्मक अध्ययन	69
तालिका 71:	अवमूल्यन	71
तालिका 72:	विनियमों के अनुसार ब्याज लागत	72
तालिका 73:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत	73
तालिका 74:	विनियमों के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	74
तालिका 75:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	74
तालिका 76:	विनियमों के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	75
तालिका 77:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु सावधि ऋण का तुलनात्मक विवरण	75
तालिका 78:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	77
तालिका 79:	विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	79
तालिका 80:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	79
तालिका 81:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	80
तालिका 82:	किये गये प्रक्षेपण के अनुसार	81
तालिका 83:	विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	81
तालिका 84:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण	82
तालिका 85:	आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	83

तालिका 86:	उपभोक्ता प्रतिभूति विक्षेप पर ब्याज	84
तालिका 87:	पूंजी पर प्रतिलाभ	85
तालिका 88:	पूंजी पर प्रतिलाभ	85
तालिका 89:	पूंजी पर प्रतिलाभ	86
तालिका 90:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलनात्मक विवरण	87
तालिका 91:	पूंजी पर प्रतिलाभ	87
तालिका 92:	डूबन्त ऋण तथा संदिग्ध ऋणों का तुलनात्मक विवरण	88
तालिका 93:	अन्य आय	90
तालिका 94:	स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	90
तालिका 95:	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा हेतु)	92
तालिका 96:	वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	93
तालिका 97:	अंतिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	94
तालिका 98:	प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या	95
तालिका 99:	आयोजित की गई जन–सुनवाईयां	95
तालिका 100:	विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन	133
तालिका 101:	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु निर्धारित हानि वक्र (trajectory)	138
तालिका 102:	संभरक पृथक्करण हेतु दाखिल किया गया क्रियान्वयन कार्यक्रम	140

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 23 मई, 2011 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''वितरण कंपनियां'' अथवा ''अनुज्ञप्तिधारी'' संदर्भित किया गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात मप्रविनिआ या आयोग संदर्भित किया गया है) के समक्ष दायर की गई याचिकाओं क्रमशः क्रमांक 93/2010, 91/2010 तथा 97/2010 से संबंधित है। ये याचिकाएं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जिन्हें एतद् विनियम संदर्भित किया गया है), की अर्हताओं के अनुसार दायर की गई हैं।

1.2 इन विनियमों के अनुसार, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उनसे संबंधित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ प्रस्ताव दायर किये जाने की अपेक्षा की गई थी। विद्युत विवरण कंपनियों द्वारा याचिका दायर किये जाने बाबत दिनांक 30 नवम्बर, 2010 तक विद्युत क्रय संबंधी विवरण संग्रहण हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि की मांग की गई, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा तत्पश्चात् दिनांक 13 दिसम्बर 2010 तक अतिरिक्त समयवृद्धि की मांग की गई, जिसे भी स्वीकार कर लिया गया। पूर्व क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा तत्पश्चात् दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 तक की अतिरिक्त समयवृद्धि की मांग इस आधार पर की गई कि उनके प्रस्तावों को उनके संचालक मण्डल को उनके सुझावों बावत प्रस्तुत किया जाना शेष है तथा याचिका की प्रस्तुति उनके सुझावो को याचिका में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् ही की जाएगी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भी याचिका की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त समय की मांग इस आधार पर की गई कि एमपी ट्रेडको से विद्युत क्रय संबंधी वांछित विवरण अप्राप्त है। तद्नुसार, आयोग द्वारा चाहे गये अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 91/2010) दिनांक 20, दिसम्बर, 2010 को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 93/2010) दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 97/2010) दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को दायर की गई।

1.3 याचिकाओं पर समावेदन सुनवाई (Motion Hearing) दिनांक 25.01.2011 को आयोजित की गई। आयोग द्वारा यह पाया गया कि दायर की गई याचिकाएं विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं की गईं। दिनांक 25.01.2011 को आयोजित समावेदन सुनवाई के दौरान, आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये गये कि याचिकाएं विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दाखिल की जानी चाहिए तथा यदि याचिकाकर्ता चाहे तो वे मानदण्डों से विचलनों की अनुमति बाबत अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (Additional Submissions) याचिकाओं के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें किये गये विचलन को समुचित आंकड़ों तथा जानकारी के साथ प्रमाणित करना होगा। याचिकाकर्ताओं को उनकी पुनरीक्षित याचिकाएं दिनांक 1 फरवरी, 2011 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ताओं द्वारा तद्नुसार अपनी पुनरीक्षित याचिकाएं दिनांक 1 फरवरी, 2011 को विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्यय के दावों के साथ विभिन्न मदों पर पृथक–पृथक शीर्ष ''विनियमों के अनुसार (As per Regulations) तथा ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ों के अनुसार (As per actual in additional Submission)'' प्रस्तुत की गईं।

1.4 याचिकाओं का प्रारंभिक परीक्षण किया गया तथा याचिकाओं को दिनांक 28 फरवरी, 2011 को आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया गया।

1.5 सार्वजनिक सूचनाएं, जिनके अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) तथा विद्युत–दर प्रस्तावों के संक्षेप सम्मिलित थे, मध्य क्षेत्र विद्युत कम्पनी द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 16 मार्च 2011 को एवं पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 18/19 मार्च, 2011 को प्रकाशित किये गये। हितधारकों को उनकी टिप्पणी/सुझाव/आपत्तियां मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 6 अप्रैल, 2011 तक तथा पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2011 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

1.6 चूंकि पूर्व में दिनांक 18 मई, 2010 को जारी किया टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.11 तक ही वैध था, अतः आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि खुदरा विद्युत दरें तथा प्रभार जिनकी याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनके अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्र में आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 18 मई, 2010 द्वारा अनुज्ञेय की गई थीं, को तब तक जारी रखा जाएगा, जब तक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2011 को तत्संबंधी आदेश जारी किया गया।

1.7 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, विद्यमान विद्युत–दरें जैसा कि ये आयोग द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 को जारी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अवधारित की गई हैं, जारी रहेंगी जब तक यह टैरिफ आदेश प्रभावशील नहीं हो जाता। नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) दिनांक 1 जून 2011 से 31 मार्च, 2012 तक लागू रहेगी। इस वर्तमान आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण किया गया है। प्रक्षेपित राजस्व प्राप्तियों पर इस प्रकार विचार किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम दो माह हेतु कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार की जाएगी तथा शेष दस माह की अवधि (दिनांक 1 जून, 2011 से दिनांक 31 मार्च 2012 तक) हेतु इस आदेश के अन्तर्गत पारित विद्युत–दर के आधार पर की जाएगी।

1.8 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 1 : विनियमों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	3494.43	4823.41	3787.67
गैर–टैरिफ राजस्व की प्राप्ति	32.01	106.14	62.29
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	4910.90	6027.26	4641.49
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व अन्तर	1384.48	1097.71	791.53

तालिका 2 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	3494.43	4823.41	3787.67
गैर–टैरिफ राजस्व की प्राप्ति	32.01	116.85	62.29
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	5374.39	6966.06	4997.35
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व अन्तर (करोड़ रूपये में)	1847.95	2025.80	1147.39

1.9 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाएं कतिपय आंकड़ों तथा जानकारी के संबंध में अधूरी पाई गईं, जैसे कि अवमूल्यन या अवक्षयण (depreciation) के सम्पूर्ण विवरणों की प्रस्तुति के संबंध में, श्रेणीवार परिसम्पत्तियों में हुई वृद्धि बाबत तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्य घटकों के संबंध में, कुछ वांछित आंकड़े सम्मिलित करते हुए, जो राजस्व के पूर्वानुमान की गणना हेतु आवश्यक थे, प्रस्तुत नहीं किये गये थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर भी अपर्याप्त पाये गये। तथापि, आयोग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर अवधारण की प्रक्रिया जारी रखी गई।

1.10 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई अपनी याचिकाओं में शीर्ष ''विनियमों के अनुसार (As per Regulations) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अपनी याचिकाओं में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 1384.46 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 1097.71 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 791.53 करोड़ के कुल राजस्व अन्तर का पूर्वानुमान लगाया गया है जबकि शीर्ष ''वास्तविक आधार पर अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत (As per Actual under Additional Submissions)'' में क्रमशः रू. 1847.95 करोड़, रू. 2025.80 करोड़ तथा रू. 1147.39 करोड़ का पूर्वानुमान लगाया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व अन्तर के कुछ भाग को प्रस्तावित विद्युत–दर में अभिवृद्धि द्वारा तथा अवशेष राशि को विनियामक परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के रूप में आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्युत्सर्जन किये जाने हेतु (to be amortized), प्रतिधारित रखा जाना प्रस्तावित किया है। ''विनियमों के अनुसार'' शीर्ष के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत–दर में अभिवृद्धि के कारण राजस्व में प्रक्षेपित वृद्धि के विवरण तथा विनियामक परिसम्पत्ति के रूप में प्रतिधारित रखे जाने वाली राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका 3 : प्रस्तावित विद्युत–दर के कारण राजस्व में वृद्धि (करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पूर्व	पश्चिम	मध्य
विद्यमान विद्युत दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	3526.44	4940.26	3849.96
प्रस्तावित विद्युत दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	4620.06	6403.22	4641.49
प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व में अभिवृद्धि	1093.62	1473.67	791.47

तालिका 4 : विनियमों के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली (करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजस्व अन्तर (करोड़ रू. में)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के कारण राजस्व में वृद्धि (करोड़ रू. में)	विनियामक परिसम्पत्ति (रेग्यूलेटरी असेट) (करोड़ रू. में)
पूर्व	1384.46	1093.62	**290.84**
पश्चिम	1079.71	1473.67	**(–)393.96**
मध्य	791.53	791.47	**0.06**
संपूर्ण राज्य	**3273.70**	**3358.76**	**(–)85.06**

तालिका 5 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली (करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजस्व अन्तर (करोड़ रू. में)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के कारण राजस्व वृद्धि (करोड़ रू. में)	विनियामक परिसम्पत्ति (रेग्यूलेटरी असेट) (करोड़ रू. में)
पूर्व	1847.95	1093.62	**754.33**
पश्चिम	2025.80	1473.67	**552.13**
मध्य	1147.39	791.47	**355.92**
संपूर्ण राज्य	**5021.14**	**3358.76**	**1662.38**

विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत–दरें (uniform Retail Tariffs across Discoms)

1.11 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु एक समान खुदरा विद्युत–दरें रखे जाने के प्रयोजन से, आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 मई, 2011 द्वारा मध्य प्रदेश शासन का दृष्टिकोण चाहा गया। सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3969–13–11/02 दिनांक 3.5.2011 द्वारा आयोग को अपना दृष्टिकोण प्रेषित किया गया कि कम से कम निकट भविष्य में भी राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत–दरें समतुल्य रहनी चाहिए ताकि राज्य में उपभोक्ताओं तथा उपयोगिताओं (कम्पनियों) के हितों का संरक्षण हो सके तथा कोई भी उपभोक्ता उसके विद्युत संयोजन की भौगोलिक स्थिति के कारण अलाभकारी स्थिति में न रखा जाए।

1.12 वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के बीच राजस्व घाटे/बचतों में संतुलन के प्रयोजन से तथा इसी के साथ–साथ राज्य भर में एक समान खुदरा विद्युत–दरों को बनाये रखे जाने की दृष्टि से, आयोग द्वारा राज्य शासन को पुनः विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्र ट्रेडको के बीच विद्यमान तथा नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं के पुर्नावंटन हेतु, परामर्श दिया गया। इसे मध्यप्रदेश शासन को आयोग के पत्र क्रमांक 1506 दिनांक 12 मई, 2011 द्वारा संसूचित किया गया। राज्य शासन ने अपनी पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2010 का पुनरीक्षण अपनी अधिसूचना क्रमांक 4353–एफ–3–24–2009–XIII दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा उत्पादक क्षमताओं के पुनर्आवंटन हेतु किया गया।

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee)

1.13 आयोग द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ इन याचिकाओं तथा जन–सामान्य से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर चर्चा के प्रयोजन से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में, सदस्यों द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये जिन पर आयोग द्वारा इस आदेश में समुचित प्रसंगों के अंतर्गत विचार किया गया है।

जन–सुनवाई (Public Hearing)

1.14 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई टैरिफ याचिकाओं पर जन सुनवाईयों का आयोजन भोपाल में किया गया। इन सुनवाईयों का आयोजन निम्न तिथियों को किया गयाः

तालिका 6 : जन–सुनवाई

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि	सुनवाई स्थल
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल के आपत्तिकर्ताओं तथा गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु,	अप्रैल 25, 2011	प्रशासन अकादमी, सभागृह 1100 क्वार्टर, भोपाल
2.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर के आपत्तिकर्ताओं हेतु	अप्रैल 26, 2011	

1.15 इस आदेश को अंतिम रूप देते समय आपत्तिकर्ताओं तथा गैर–शासकीय संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है।

वितरण हानियां (Distribution Losses)

1.16 आयोग द्वारा हितधारकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ यथोचित परामर्श उपरांत वित्तीय वर्ष 10–11 से वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु वितरण विद्युत–दर हेतु बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों को अधिसूचित करते समय उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के हितसंवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए, पुनरीक्षित हानि प्रक्षेपण (Loss Trajectory) किया गया है। विनियमों में वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु निर्दिष्ट की गई हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 7 : विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	2010–11	2011–12	2012–13
पूर्व क्षे वि वि कम्पनी	30%	**27%**	24%
पश्चिम क्षे वि वि कम्पनी	26%	**24%**	22%
मध्य क्षे वि वि कम्पनी	33%	**29%**	26%

उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेपणों के विरूद्ध, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्न हानि स्तरों के आधार पर दायर की गई है :–

तालिका 8 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
29.35%	24%	29%

1.17 यह जबकि याचिकाएं प्रस्तुत करते समय, तीन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानि स्तर विनियमों के उपबन्धों के शीर्ष ''विनियमों के अनुसार'' प्रस्तुत किये गये हैं, यह पाया गया है कि केवल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर,दोनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिका दायर करते समय विनियमों के प्रावधानों का अनुसरण किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रक्षेपित वितरण हानियां शीर्ष ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (Additional Submission)'' के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

आयोग ने पूर्व क्षेत्र वि वि कं. के उनके क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के विलीनीकरण के कारण हानि स्तरों में आधिक्य मानदण्डीय हानियों संबंधी प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है परन्तु इसे–न्यायोचित तथा स्वीकार योग्य नहीं पाया है। तद्नुसार, उनके प्रकरणों में विद्युत क्रय लागत को केवल तत्संबंधी मानदण्डीय हानि स्तर के अनुसार ही स्वीकार किया जा रहा है।

1.18 आयोग इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि विद्युंत वितरण कम्पनियों की वास्तविक हानियां मानदण्डीय हानि स्तरों से कहीं अधिक हैं तथा विनियमों को निर्दिष्ट करते समय नियन्त्रण अवधि हेतु शिथिल हानि स्तरों पर पूर्व में ही विचार कर लिया गया है। तथापि, आयोग के सुविचारित मत के अनुसार, आधिक्य हानियों के भार को उपभोक्ताओं को विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से अन्तरित नहीं किया जा सकता है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि स्तरों में सुस्पष्ट तौर पर कमी प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता है। यह अत्यावश्यक हो गया है तथा क्षेत्र की भलाई के लिये भी निर्णायक हो गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा हानियां कम किये जाने के संबंध में, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में उच्च स्तर पर बनी हुई हैं एक समयबद्ध सुसंगठित अभियान चलाया जाए। आयोग अपेक्षा करता है कि वितरण कम्पनियां आने वाले समय में सकारात्मक रूप से सुधार प्रदर्शित करेंगी।

ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकरण (Energy Accounting & Meterisation)

1.19 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश में ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरीकरण के महत्व पर जोर दिया गया था। विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि उपकेन्द्रों, वितरण संभरकों, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ता छोर पर उचित ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा वितरण हानियों, यथा तकनीकी एवं अन्य हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में आवश्यकता प्रतिपादित की गई थी ताकि समुचित हानि कम किये जाने संबंधी रणनीतियां तैयार की जा सकें। तथापि, आयोग यह महसूस करता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मीटरीकरण के प्रति यथोचित ध्यान तथा महत्व अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी प्रगति निराशाजनक रही है। ऐसे संयोजनों की काफी बड़ी संख्या का अमीटरीकृत रहना अभी भी जारी है। माह दिसम्बर 2010 तक प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 9 : नियतकालिक (Periodic) प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	घरेलू (शहरी)			घरेलू (ग्रामीण)			कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	वितरण ट्रासफार्मरों वी संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत जिन पर मीटर स्थापित किये गये है
पूर्व	899020	4020	0.45	1527542	823545	50.79	30433	531	1.74
पश्चिम	997660	-	-	1344895	309015	22.87	63639	8562	13.45
मध्य	990997	26738	269	1181097	428589	35.04	51741	7363	14.23
राज्य का योग	2887677	30758	1.06	4053534	1561149	37.21	145813	16456	11.29

1.20 पूर्व क्षेत्र वि वि कम्पनी के प्रकरण में अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार, मध्य तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रकरण में, कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित करने की प्रगति अत्यधिक असन्तोषजनक है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रकरण में, पिछले टैरिफ आदेश के अन्तर्गत न्यूनतम 25% कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित किये जाने बाबत दिये गये दिशा–निर्देशों के विरूद्ध अभी तक केवल 10% से कुछ अधिक वितरण ट्रांसफार्मरों पर ही मीटर स्थापित किये जा सके हैं। आयोग द्वारा अपने पिछले टैरिफ आदेश के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है कि शत प्रतिशत मीटरीकरण, विशेष कर, बहुत अधिक संख्या में कृषि उपभोक्ताओं के वैयक्तिक मीटरीकरण के संबंध में व्यावहारिक समस्याएं विद्यमान हैं। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को बारंबार कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण की दर में वृद्धि किये जाने के दिशा–निर्देश जारी करता रहा है। आयोग ने हाल ही में निर्देश जारी किये हैं कि समस्त शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का मीटरीकरण माह सितम्बर, 2011 तथा शत प्रतिशत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि भार की पूर्ति करने वाले वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण माह मार्च 2012 तक पूर्ण कर लिया जाए। आयोग का यह दृढ़ मत है कि समस्त उपभोक्ताओं का मीटरीकरण वैयक्तिक तौर पर तथा कृषि उपभोक्ताओं का मीटरीकरण समूह आधार पर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। घरेलू अथवा कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में बिलिंग की वर्तमान मानदण्डीय खपत कार्य प्रणाली उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा बचत के बारे में कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है तथा इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में आयोग भविष्यगामी टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत मानदण्डीय आधार पर विद्युत प्रदाय की वर्तमान प्रणाली को आगामी टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत समाप्त किये जाने की इच्छा रखता है। आयोग आगे से कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग भी वैयक्तिक मीटरीकरण अथवा केवल वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के आधार पर अनुज्ञेय करने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार आयोग निकट भविष्य में ग्रामीण घरेलू

उपभोक्ताओं हेतु भी मानदण्डीय खपत प्रणाली को भी समाप्त किये जाने की इच्छा रखता है। आयोग द्वारा मीटरीकरण के संबंध में लक्ष्य निर्दिष्ट कर दिये गये हैं तथा वह आगे इसकी प्रगति का अनुवीक्षण गंभीरतापूर्वक करेगा।

पूंजीगत व्यय योजना का क्रियान्वयन/पूंजीकरण (Capex implementation/Capitalization)

1.21 पूर्व वर्षों के अन्तर्गत किये गये पूंजी निवेश की प्रगति को, अंकेक्षित तुलन पत्रों पर आधारित, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 10 : किये गये पूंजी निवेश की प्रगति **(राशि करोड़ रूपये में)**

वर्ष	क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	टैरिफ याचिका में दायर किये गये अनुसार निवेश योजना	किये गये निवेश			
			सकल स्थाई परिसम्पति में वृद्धि (GFA)	प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) में की गई वृद्धि	कुल वृद्धि	पूंजी विवेष योजना के संबंध में कुल प्रतिशत वृद्धि
2008–09	पूर्व	1081.53	302.98	27.34	330.32	31%
	पश्चिम	565.66	60.82	86.34	147.16	26%
	मध्य	522.10	300.40	-44.40	256.00	49%
	योग	2169.29	664.20	69.28	733.48	34%
2009–10	पूर्व	622.00	252.37	126.14	378.51	61%
	पश्चिम	397.00	75.39	177.93	253.32	64%
	मध्य	524.02	173.24	129.66	302.90	58%
	योग	1543.02	501.00	433.73	934.73	61%

1.22 यह पाया गया है कि उपरोक्त दो वर्षों के दौरान पूंजी निवेश योजना की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां 26% से 64% के बीच रही है। समग्र रूप से, यह जबकि 34% पूंजी निवेश वर्ष 2008–09 के दौरान में किये गये थे, निवेश योजना के साथ तुलना किये जाने पर वर्ष 2009–10 में बढ़कर यह 61% हो गया है। इस प्रगति में और अधिक सुधार लाया जाना आवश्यक है। विद्युत वितरण कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग महसूस करता है कि ऐसे कार्यों की संख्या काफी अधिक है जो पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्यशील भी किये जा चुके हैं परन्तु फिर भी निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की मद के अन्तर्गत किये जा रहे हैं परन्तु इनका पूंजीकरण (Capitalization) भी नहीं किया जा रहा है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2009–10 की विद्युत–दर संबंधी आदेश जारी करते समय राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय (Capex) हेतु एक अनुवीक्षण तन्त्र (Monitoring Mechanism) स्थापित किये जाने बावत परामर्श दिया था। आयोग यह महसूस करता है कि इसे कम्पनी स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी अधिक कड़ाई से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

विनियमों का अननुपालन (Non Compliance of Regulations)

1.23 विनियमों के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को विभिन्न मदों, जैसे कि वितरण हानियों से संबंधित प्रक्षेपण, प्रचालन तथा संधारण व्यय एवं अवक्षयण (depreciation), आदि हेतु मानदण्ड निर्दिष्ट किये गये हैं। इन विनियमों के अधिनियमन समस्त हितधारकों के सुझावों/ टिप्पणियों

पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित कर, यथोचित प्रक्रिया द्वारा किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं की प्राथमिक समीक्षा किये जाने से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा मुख्य लागत मदों में विचलन (deviations) किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा हानि स्तर के प्रक्षेपण, अवक्षयण, प्रचालन तथा संधारण आदि के संबंध में किये गये दावे, विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप नहीं किये गये हैं। आयोग द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए, याचिकाकर्ताओं को उनकी याचिकाएं पुनरीक्षित करने के निर्देश देने पड़े। आयोग द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा वह वितरण कम्पनियों को निर्देश देता है कि वे याचिकाओं को विनियमों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा यह भी कि भविष्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप दाखिल न किये जाने पर, इन्हें निरस्त किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी भी,यदि वे महसूस करते हैं, कि विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने के कारण वैध हैं तो वे इस हेतु अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण, न्यायोचित कारणों को दर्शाते हुए, इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.24 आयोग द्वारा समग्र सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का आकलन किया गया है, तथा विभिन्न श्रेणियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की विद्युत–दरों का पुनरीक्षण राजस्व अन्तर को पाटने के प्रयोजन से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु तीन विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों के निर्धारण (Tariffs) से प्राप्त होने वाले राजस्व को विस्तृत आदेश के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

1.25 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, वर्तमान आदेश में अवधारित राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सार (Gist) निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 11: आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	योग
विद्युत क्रय	2306.15	3661.69	2498.19	8466.03
पीजीसीआईएल प्रभार	102.04	138.90	88.35	329.29
ट्रांसको (म.प्र. ट्रांसको) प्रभार	369.26	445.37	397.80	1212.43
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	2.04	2.22	2.30	6.56
संचालन तथा संधारण लागत	600.73	556.71	550.72	1708.16
अवक्षयण या अवमूल्यन	61.37	61.08	62.74	185.19
परियोजना ऋणों पर ब्याज	55.40	20.88	62.30	138.58
पूंजी पर प्रतिलाभ	108.23	98.35	107.63	314.21
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
डूबन्त ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	25.44	36.83	27.73	90.00

मप्रविनिआ शुल्क	0.36	0.45	0.38	1.19
घटायें : अन्य आय –खुदरा तथा चक्रण	105.00	120.00	75.00	300.00
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	3526.02	4902.48	3723.14	12151.64
जोड़ें : सरदार सरोवर परियोजना आदेश संबंधी अन्तर	22.37	30.43	24.95	77.75
जोड़ें : एमपीजनको वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन	62.59	89.98	62.32	214.89
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**3610.98**	**5022.89**	**3810.41**	**12444.28**
विद्यमान विद्युत दर (टैरिफ) पर राजस्व की प्राप्ति	3401.57	4732.51	3590.50	11724.58
राजस्व अन्तर	**209.41**	**290.38**	**219.91**	**719.70**

1.26 आयोग द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय वर्ष 2011–12 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दरों का अवधारण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हानि प्रक्षेपण (loss trajectory) के आधार पर किया गया है।

1.27 आयोग द्वारा मप्रजनको के सत्यापन आदेश के अन्तर्गत रू. 214.88 करोड़ की राशि की वसूली सत्यापन आदेश के अन्तर्गत पारित की है। आयोग ने नर्मदा विकास प्राधिकरण के सरदार सरोवर परियोजना संबंधी टैरिफ आदेश जारी किया था तथा इस आदेश के अन्तर्गत रू. 77.25 करोड़ के प्रभाव पर भी विचार किया है।

1.28 निम्न तालिका अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, चालू विद्युत दर के अनुसार राजस्व तथा राजस्व अन्तर तथा इस आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा रही नवीन विद्युत दरों से राजस्व की प्राप्ति दर्शाती है :

तालिका 12: नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित कुल संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	3,610.98	5,022.89	3,810.41	12,444.28
चालू विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति	3,401.57	4,732.51	3,590.50	11,724.58
चालू विद्युत–दरों पर अन्तर	209.41	290.38	219.91	719.70
नवीन विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति	3,610.41	5,024.05	3,809.48	12,443.94
अप्रावधानित अंतर/आधिक्य	0.57	-1.16	0.93	0.34

1.29 आयोग निर्देश देता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमित रूप से तथा नियतकालिक (अधिमानतः त्रैमासिक आधार पर) विक्रयों तथा राजस्वों के प्राक्कलनों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा किसी गंभीर असंतुलन होने की दशा में उन्हें आगामी समुचित दिशा–निर्देशों हेतु आयोग से संपर्क करना चाहिए।

1.30 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 की विद्युत–दर (टैरिफ) जारी करते समय विभिन्न क्षेत्रों हेतु विद्युत प्रदाय के घंटो के संबंध में विवरण चाहे गये थे तथा तद्नुसार राज्य के वितरण

अनुज्ञप्तिधारियों को निम्नानुसार न्यूनतम विद्युत घंटे बनाये रखे जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे :

(अ)	संभागीय मुख्यालय	–	22 घंटे
(ब)	जिला मुख्यालय	–	19 घंटे
(स)	तहसील मुख्यालय	–	14 घंटे
(द)	ग्रामीण तीन फेस	–	12 घंटे, जिसमें से न्यूनतम 06 (छः) घंटों की तीन फेज विद्युत प्रदाय का संधारण सुनिश्चित करना होगा।

131. आयोग पुनः अनुज्ञप्तिधारियों को उपरोक्तानुसार न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे बनाये रखे जाने हेतु पुनः निर्देशित करता है। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे संधारित न किये जाने पर, आयोग स्थाई प्रभारों में आनुपातिक कमी किये जाने पर विचार कर सकेगा।

आदेश का कार्यान्वयन (Implementation of the order)

1.32 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें (टैरिफ) दिनांक 1 जून, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि आयोग द्वारा इनमें किसी आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन अथवा सुधार न कर दिया जाए। दिनांक 18 मई, 2010 को जारी पूर्व टैरिफ आदेश, इस आदेश के जारी होने तक वैध रहेगा।

1.33 अतएव, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा सशर्त स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत–दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण कर दिया गया है। आयोग निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारियों को आगे उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश तथा प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(सी.एस.शर्मा)	**(के.के. गर्ग)**	**(राकेश साहनी)**
सदस्य (इकॉनामिक्स)	**सदस्य (अभियांत्रिकी)**	**अध्यक्ष**

ए 2: याचिका क्र. 93/2010, 91/2010 तथा 97/2010 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार (DETAILED REASONS AND GROUNDS ATTACHED WITH RETAIL SUPPLY TARIFF ORDER ISSUED BY MPERC ON 23RD MAY, 2011 IN RESPECT OF PETITION NUMBER 93/2010. 91/2010 AND 97/2010)

श्री पी.के.सिंह (अतिरिक्त मुख्य अभियंता) द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री ए.आर. वर्मा, महाप्रबंधक तथा अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री गजरा मेहता (मुख्य अभियंता), द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूली योग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया पर एक भाग तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर हितधारकों से संपूर्ण राजस्व आवश्यकता पर प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन भी सम्मिलित किये गये हैं।

ए.3 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2010-11 OF MADHYA PRADESH POORVA, PASCHIM & MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANIES LIMITED (EAST, WEST & CENTRAL DISCOMS)

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका (Summary of Sales Forecast as proposed by the Licensee)

3.1 वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, विद्युत वितरण कंपनियों के कुल विक्रय 28849 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं, अर्थात् पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 8385 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 11481 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का विक्रय 8983 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि पिछले चार वर्षों की श्रेणीवार संयोजित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) के विक्रय, संयोजित भार तथा उपभोक्ताओं की संख्या की गणना की गई तथा तथ्यात्मक रूझानों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विक्रयों का पूर्वानुमान किया गयां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संभरक पृथक्करण योजना (Separation Feeder Scheme) आदि तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायाटियों आदि के संविलियन के अंतर्गत उपभोक्ताओं, हेतु संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण उपभोक्ताओं/विक्रय में वृद्धि, के कारण अतिरिक्त विक्रय पर भी विचार किया गया है। निम्न दाब संयोजनों की अमीटरीककृत श्रेणी की बिलिंग हेतु पुनरीक्षित मानदण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 5614 मिलियन यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 67%) तथा उच्च दाब श्रेणी में 2771 मिलियन यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 33%) प्राक्कलित किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि पिछले चार वर्षों की श्रेणीवार संयोजित वार्षिक औसत विकास दर (सीएजीआर) के विक्रयों पर विचार किया गया है। अन्य कारकों, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण विक्रय में प्रत्याशित वृद्धि तथा अन्य योजनाओं के कारण संभावित उपभोक्ताओं में प्रत्याशित वृद्धि के कारण भी अतिरिक्त विक्रय पर विचार किया गया है। निम्न दाब संयोजनों की अमीटरीकृत श्रेणी की बिलिंग हेतु पुनरीक्षित मानदण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 7516 मिलियन

यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 65%) तथा उच्च दाब श्रेणी में 3965 मिलियन यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 35%) प्राक्कलित किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.4 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 11–12 के विक्रयों के आकलन हेतु, पिछले तीन वर्षों की श्रेणीवार संयोजित वार्षिक विकास दर के तथ्यात्मक आंकड़ों पर विचार किया गया है। अन्य कारकों, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आरएपीडीआरपी, संभरक विभाजन योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि पर अतिरिक्त विक्रय हेतु विचार किया गया है। निम्न दाब संयोजनों की अमीटरीकृत श्रेणी की बिलिंग हेतु पुनरीक्षित मानदण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 6458 मिलियन यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 72%,) तथा उच्च दाब श्रेणी में 2525.46 मिलियन यूनिट (अर्थात्, कुल विक्रय का 28%) प्राक्कलित किया गया है।

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय (संख्या मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणी	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	2823	2735	2643
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	408	688	526
एलवी–3 : सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य	146	173	137
एलवी–3.2 : पथ–प्रकाश	98		87
एलवी–4.1 : औद्योगिक – गैर मौसमी	211	415	213
एलवी–4.2 : मौसमी	28		
एलवी–5.1 : कृषि	1899	3504	2837
एलवी–5 .2 : अन्य कृषि संबंधी उपयोग	2		14
कुल निम्न दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**5614**	**7516**	**6458**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	529	443	713
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	514	-	34
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1108	3074	1282
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	174		269
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	5	8	1
एचवी–5.1 : सिंचाई	4	223	76
एचवी–5.2 : अन्य कृषि संबंधी उपयोग	10		3
एचवी–5.3 : जल प्रदाय कार्य	57		-
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	370	9	147
एचवी–7 छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0	206	0
कुल उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**2771**	**3965**	**2525**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**8385**	**11481**	**8983**

विक्रयों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Sales)

3.5 यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु संयोजनों की मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत श्रेणियों हेतु महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण किये गये हैं। विक्रयों के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 10–11 की टैरिफ याचिकाओं में दायर किये गये विक्रय आंकड़ों की तुलना में विक्रयों में समग्र वृद्धि पूर्व क्षेत्र विविकं हेतु 16%, पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु 21% तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु 11%, प्रक्षेपित की गई है। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिकाओं में दायर किये गये विक्रय आंकड़ों पर विचार किया है तथा पाया है कि ये आंकड़े उनके विक्रयों को बढ़ाये जाने संबंधी प्रयासों का समर्थन करते हैं। तथापि, यह भी पाया गया है कि अमीटरीकृत श्रेणियों तथा कृषि संयोजनों हेतु दाखिल की गई विक्रय की मात्राएं निर्दिष्ट मानदंड के अनुरूप नहीं हैं। इन दो श्रेणियों के अन्तर्गत, बिलिंग हेतु प्रदत्त मानदण्ड संयोजनों की संख्या तथा भार पर आधारित हैं। यह जबकि आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं की प्रक्षेपित संख्या के साथ–साथ भार पर भी विचार किया गया है, इन श्रेणियों हेतु प्रक्षेपित खपत को वर्तमान मानदंडों के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मानदण्डों के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव के उचित ढंग से तर्कसंगत न होने एवं वांछित आंकड़ों के अभाव में इन्हें स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। घरेलू अमीटरीकृत श्रेणियों तथा कृषि संयोजनों हेतु माने गये विक्रय निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये है :

तालिका 14 : घरेलू तथा कृषि संबंधी अमीटरीकृत विद्युत विक्रय, जैसा कि इसे दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया (मिलियन यूनिट में)

विद्युत वितरण कम्पनियों के नाम	घरेलू अमीटरीकृत		कृषि अमीटरीकृत	
	दाखिल किया गया	स्वीकार किया गया	दाखिल किया गया	स्वीकार किया गया
पूर्व क्षेविविकं	577.12	300.67	774.81	716.51
पश्चिम क्षेविविकं	107.16	125.80	2591.14	2363.42
मध्य क्षेविविकं	238.64	86.07	1743.04	1329.48
राज्य हेतु कुल मात्राएं	922.92	512.54	5109.00	4409.41

3.6 आयोग द्वारा उपरोक्त संशोधनों पर विचार करते हुए घरेलू अमीटरीकृत श्रेणियों तथा कृषि संयोजनों हेतु समग्र विक्रय को स्वीकार किया गया है। तदनुसार, आयोग पूर्व क्षेत्र विविकं हेतु 8050.74 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु 11271.95 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु 8416.88 के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय को स्वीकार करता है।

तालिका 15 : स्वीकार की गई विद्युत विक्रय की मात्रा (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियां	2011–12			
निम्न दाब	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	कुल
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	2546	2754	2490	7790
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	408	688	526	1622
एलवी–3 : सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	244	173	224	641

एलवी–4 : औद्योगिक	239	415	213	867
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	1842	3261	2423	7526
एलवी–5.2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग	2	16	14	32
निम्न दाब के विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**5282**	**7307**	**5890**	**18479**
उच्च दाब				
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	529	443	713	1685
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	514	0	34	548
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1108	2686	1282	5076
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	174	388	269	831
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	5	8	1	14
एचवी–5.1 : सिंचाई	61	218	76	355
एचवी–5.2: अन्य	10	5	3	18
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	371	9	147	527
एचवी–7 छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0	206	0	206
उच्च दाब के विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**2772**	**3964**	**2525**	**9261**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब के विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**8053**	**11270**	**8416**	**27739**

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत विक्रय (Energy Balance and Power Purchase as Proposed by the Licensees)

3.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से उपलब्ध जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने आयोग को उन्हें की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का भी अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी जाती है।

3.8 अनुज्ञप्तिधारियों ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् भारित औसत पूर्व क्षेत्र विवि कं हेतु **31.88%** पश्चिम क्षेत्र विवि कं हेतु **37.04%** तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु **31.08%** के आधार पर) शासन की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 के अनुसार वर्ष 2011–12 के लिए क्षमता आवंटन हेतु माना है। उपरोक्त के अतिरिक्त, पूर्व क्षेत्र विविकम्पनी ने उन्हें आवंटित केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु 200 मेगावाट ऊर्जा अंशदान को भी माना गया है। पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों ने उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार निम्न मदों की गणना के विवरण प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- विद्युत उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार
- विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

3.9 तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 28,849 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय हेतु कुल 42,271 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता दाखिल की गई है। विद्युत वितरण कंपनीवार विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 16 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
निम्न दाब श्रेणी को विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	5,614	7,517	6,431
उच्च दाब श्रेणी को विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	2,772	3,965	2,552
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विक्रित यूनिटों की संख्या	**8,385**	**11,481**	**8,983**
वितरण हानि (प्रतिशत में)	29.35%	24.00%	29.00%
वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	**11,869**	**15,107**	**12,652**
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	4.09%	4.09%	4.09%
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण	**12,375**	**15,751**	**13.192**
बाह्य हानि (मिलियन यूनिट में)	339	291	323
कुल क्रय किये गये यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	**12,714**	**16,042**	**13.515**

3.10 वर्तमान विनियमों के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की मानदण्डीय हानि 27% है। तथापि, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी ने निवेदन किया है कि विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् एक महत्वपूर्ण वस्तुपरक परिवर्तन हुआ है जिसके अनुसार चार ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियों (Rural Electricity Cooperative Societies-RECS) के विद्युत व्यापार का अधिग्रहण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा कर लिया गया है तथा इन सोसायटियों के उपभोक्ता अब अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता बन चुके हैं। चूंकि इन सोसायटियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र उच्च हानियों से ग्रस्त थे, विद्युत वितरण कम्पनी की वितरण हानियां 2.35% बढ़ चुकी हैं। अतएव, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 12 हेतु मानदण्डीय हानि स्तर को पुनरीक्षित किया जाए तथा इसे 27% के स्थान पर 29.35% माना जाए।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availability by Discoms)

3.11 अनुज्ञप्तिधारियों ने विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता के आकलन का दावा ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया है। मप्र जनको से उपलब्धता मप्र जनको के वित्तीय वर्ष 2011–12 के मासिक पूर्वानुमान पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान वर्ष 2010–11 के पूर्वानुमानों पर आधारित है जिसे वित्तीय वर्ष 2010–11 में क्रियाशील होने वाले नवीन उत्पादन केन्द्रों से बढ़ी हुई उपलब्धता (पूर्ण वर्ष के प्रचालन पर) के समायोजन पर आधारित किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों ने दावा किया है कि भविष्यगामी वर्षों के लिये ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपण पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र अर्थात् डब्ल्यूआरएलडीसी (WRLDC) द्वारा प्रदत्त ऊर्जा प्रक्षेपणों पर आधारित हैं।

3.12 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दावा किया गया है कि उनके द्वारा उपलब्धता हेतु वित्तीय 2011–12 में क्रियाशील होने वाले नवीन विद्युत उत्पादन स्टेशनों से होने वाली संभावित विद्युत की उपलब्धि पर भी विचार किया गया है।

3.13 एमपी जनको स्टेशनों (मप्र राज्य स्थित विद्युत उत्पादन कम्पनी के विद्युत उत्पादन केन्द्रों) से विद्युत की उपलब्धता वित्तीय वर्ष 11 की चालू उपलब्धता (माह अगस्त तक) तथा अनुसूचित संधारण (Scheduled Maintenance) के आधार पर ली गई है। भविष्यगामी वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 12 हेतु प्रक्षेपण एमपी जनको की क्षमता वृद्धि योजना (Capacity Addition Plan) तथा प्रचालन रूझान (Operational trend) के अनुसार माने गये हैं। इसके अतिरिक्त, कुल प्रेषण (despatch) उपलब्धता के 90 प्रतिशत के आधार पर माना गया है जो वित्तीय वर्ष 12 हेतु एमपी जनको के प्रक्षेपणों पर आधारित है।

3.14 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भविष्य की क्षमताओं से उपलब्धता के पूर्वानुमानों के संबंध में उपयोग की गई अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

(ए) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 85% माना गया है
(बी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 68% माना गया है (क्योंकि वर्तमान में गैस की उपलब्धता काफी असन्तोषजनक है)
(सी) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत (auxiliary consumption) 8.5% मानी गई है
(डी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत 3% मानी गई है
(ई) उपलब्धता के संबंध में पूर्वानुमान, किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान प्रचालन के महीनों की संख्या के आधार के पूर्व रूझान के आधार पर, संयंत्रों से ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर किया गया है
(एफ) नवीन क्षमता वृद्धि हेतु 15 प्रतिशत ह्रास (slippage) माना गया है
(जी) जल विद्युत स्टेशनों हेतु, रूपांकन ऊर्जा को आधार माना गया है

3.15 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक स्रोत से वार्षिक उपलब्धता निम्न तालिका के दर्शाये अनुसार है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मासिक उपलब्धता याचिकाओं के प्रपत्र एफ 1–ए में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 17 : वित्तीय वर्ष 2011–12 की विद्युत वितरण कंपनियों हेतु विद्युत ऊर्जा की एक्सबस (ex-bus) उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	उपलब्धता
एनटीपीसी–कोरबा	3,572
एनटीपीसी–विंध्याचल I	3,037
एनटीपीसी–विंध्याचल II	2,259
एनटीपीसी–विंध्याचल III	1,729
एनटीपीसी–कवास	940
एनटीपीसी–गंधार	778
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	477
टीएपीएस(तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	1,058

एनटीपीसी फरक्का	–
एनटीपीसी तालचेर	–
एनटीपीसी कहलगांव चरण– I	–
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	2,302
एनवीडीए–सरदार सरोवर	1,518
एनएचसीडी ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन	1,018
लैंको अमरकंटक	–
एटीपीएस–चचाई पीएच 1,2	1,034
एसटीपीएस–सारनी पीएच 1,2, एवं 3	5,557
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर पीएच 1,2	4,307
सीएचपीएस–गांधी सागर	171
सीएचपीएस–राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	160
पेंच – टीपीएस	240
बाणसागर टोंस एचपीएस – टोंस	1,017
बाणसागर टोंस एचपीएस – सिलपारा	100
बाणसागर टोंस एचपीएस – देवलोन	82
बाणसागर टोंस एचपीएस – एचपीएस बाणसागर– IV	63
बिरसिंहपुर एचपीएस	45
बरगी एचपीएस	533
राजघाट एचपीएस	48
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	75
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चंबल, सतपुड़ा)	–
यूपीपीसीएल (रिहद माताटीला, राजघाट)	60
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल (पेंच)	–
ग्रिडको (हीराकुड)	–
एनटीपीसी–सीपत चरण–दो	1469
एनटीपीसी–कहलगांव चरण–दो	586
डीवीसी (एमटीपीएस)	475
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर–विस्तार (500 मेगावाट)	3,052
एटीपीएस–चचाई–विस्तार (210 मेगावाट)	1,279
एनटीपीसी–सीपत–चरण एक	844
एनटीपीसी–माण्डा नागपुर	–
डीवीसी (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	895
डीवीसी–(दुर्गापुर स्टील)	–
केस–I (एस्सार पावर)	289
पीटीसी–टोरेन्ट सूरत (गैस)	579
बीना पावर	–
महेश्वर जल विद्युत	396
अपराम्परिक ऊर्जा (NCE) – पवन विद्युत उत्पादन	42
कैप्टिव	78
योग	**42,164**

3.16 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तथ्यों पर आधारित है :

- वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी (Western Region Power Committee-WRPC) के पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से क्षमता आवंटन।

- भविष्य में प्राप्त होने वाली विद्युत क्षमता, जिसे ट्रेडको को आवंटित किया गया है तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार उपलब्धता की गणना चालू विद्यमान क्षमताओं के लिये की गई है।
- म प्र शासन के राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना के आधार पर वैयक्तिक विद्युत स्टेशनों से मध्य प्रदेश राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु क्षमता आवंटन।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन (Assessement of Power Purchase Cost (Fixed and Variable Cost) by the Discoms)

विद्यमान स्टेशनों हेतु (For existing Stations)

3.17 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मप्र विद्युत उत्पादन कम्पनियों के स्टेशनों हेतु स्थाई लागतें (Fixed Costs) मप्रविनिआ द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश के अनुसार रखी गई हैं। निम्न तालिका में मप्रविनिआ द्वारा टैरिफ आदेशों के माध्यम से आदेश क्रमांकों की संक्षेपिका प्रदर्शित की गई है:

तालिका 18 : प्रयोज्य मप्रविनिआ टैरिफ आदेश

विद्युत उत्पादक स्टेशन	याचिका/आदेश क्रमांक	दिनांक/वर्ष
सरदार सरोवर	मप्रविनिआ 03/2007	18 जनवरी 2008
एटीपीएस–चचाई–पीएच 1 तथा 2	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
एसटीपीएस–सारनी–पीएच 1, 2 तथा 3	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर–पीएच 1 तथा 2	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
सीएचपीएस–गांधी सागर	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
सीएचपीएस–राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
पेंच टीपीएस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस सिलपारा	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस देवलोन	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस बाण सागर–IV	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बिरसिंहपुर एचपीएस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
बरगी एचपीएस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
राजघाट एचपीएस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
अन्य I (पवन एवं सीपीपी)		
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर–विस्तार	मप्रविनिआ एमवाईटी 54/2009	3 मार्च 2010
एटीपीएस–चचाई–विस्तार	मप्रविनिआ –25/2010	जुलाई 2010

3.18 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी याचिकाओं में निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों तथा एनएचडीसी इन्दिरा सागर तथा ओंकारेश्वर जल विद्युत स्टेशन की स्थाई लागतें, जिन हेतु क्षमता आवंटन (Capacity Allocation)प्रतिशत मप्र राज्य के पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में परिभाषित किया गया है, स्थाई लागतें जैसा कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रत्येक वैयक्तिक स्टेशन हेतु अनुमोदित की गई है, को वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 हेतु भी अपनाया गया है।

3.19 एमपी जनको तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु परिवर्तनीय लागतें ईंधन मूल्य समायोजन [(Fuel Price Adjustment-FPA) को सम्मिलित कर] माह अक्टूबर, 2010 के बिलों के अनुसार अपनाई गई हैं तथा इनमें वार्षिक वृद्धि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2009 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार की गई है।

3.20 केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के नवीन स्टेशन, जो चालू वर्ष के दौरान राज्य को उपलब्ध हो जाएंगे, हेतु निम्न विधि अपनाई गई है :

अ) सीपत I हेतु, खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 में उल्लेखित किये गये अनुसार स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 11 हेतु परिवर्तनीय लागत में वृदि 6.35% की दर से केविनिआ की वृद्धि दरों (escalation rates) पर अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2009 के अनुसार की गई है।

ब) दामोदर वैली कार्पोशन (डीवीसी) चन्द्रपुर हेतु, डीवीसी मेजीया की एकल भाग विद्युत–दर (टैरिफ) (Single part tariff) अपनायी गयी है क्योंकि इस विशिष्ट स्टेशन हेतु लागत की अवधारणा हेतु कोई विकल्प विद्यमान नहीं थे।

स) एस्सार पावर हेतु, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) के अनुसार रू. 2.45 की एकल भाग विद्युत–दर अपनाई गई है।

द) बिरसिंहपुर विस्तार तथा अमरकंटक चरण 3 स्टेशनों की मप्र जनको दर हेतु, स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत को खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 में उल्लेख किये गये अनुसार माना गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में वित्तीय वर्ष 11 के टैरिफ आदेशानुसार 6.35% की दर से वृद्धि की गई है।

ई) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 11.1.2010 के अनुसार, टॉरेन्ट (गैस) हेतु, स्थाई विद्युत दर रू. 1.08 तथा परिवर्तनीय दर रू. 2.23 मानी गई है।

3.21 विद्युत क्रय लागत के अवधारण के संबंध में, प्रत्येक स्टेशन हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतों की अवधारणा के संबंध में निम्नानुसार विचार किया गया है :

अ) संपूर्ण राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु पूर्व, पश्चिम, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों की स्थाई लागत के अंशदान पर विचार किया गया है।

ब) ईंधन लागत समायोजन (Fuel price Adjustment) का प्राक्कलन उसी प्रकार किया गया है जैसा कि यह परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट हेतु है तथा इसे उत्पादन लागत के परिवर्तनीय घटक में सम्मिलित किया गया है।

स) नवीन स्टेशनों को स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों का समुच्चय (Pooled) एक साथ किया गया है जिससे औसत थोक विद्युत प्रदाय दर प्राप्त की जा सके जिसके अनुसार एमपीट्रेडको प्रत्येक वैयक्तिक वितरण कंपनी को विद्युत प्रदाय करेगी।

3.22 निम्न तालिका समस्त विद्यमान संयंत्रों की लागतों के विवरण, अर्थात् स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें दर्शाती है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कवास तथा गन्धार स्टेशनों की परिवर्तनीय लागतों के संबंध में भिन्न–भिन्न दरें दाखिल की गई हैं।

तालिका 19: वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्य के लिये दाखिल की गई स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत

पावर स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये	
	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल परिवर्तनीय लागत (रूपये/किलोवाट ऑवर में)
एनटीपीसी–कोरबा	97	0.92
एनटीपीसी–विंध्याचल I	108	1.80
एनटीपीसी–विंध्याचल II	129	1.76
एनटीपीसी–विंध्याचल III	152	1.76
एनटीपीसी–कवास	54	5.28
एनटीपीसी–गंधार	65	2.93
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन)	0	2.17
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	0	3.22
एनटीपीसी – फरक्का	-	-
एनटीपीसी – तालचेर	-	-
एनटीपीसी – कहलगांव	-	-
एनएचडीसी–सीपत चरण 2	119	1.15
एनटीपीसी – कहलगांव 2	53	2.11
द्विपक्षीय विद्युत क्रय		
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चंबल सतपुड़ा)	0	4.24
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	0	0.00
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)		-
ग्रिडको (हीराकुड)		
डीवीसी (एमटीपीएस)	0	2.90
अन्य स्त्रोत		
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	495	0.04
सरदार सरोवर	194	0.07
ओंकारेश्वर–जल विद्युत स्टेशन	263	0-50
अन्य 1 (पवन ऊर्जा एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)		3.55
एमपी जनको–ताप विद्युत		
अमरकंटक टीपीएस–चचाई –पीएच 1 तथा 2	61	1.18
सतपुड़ा टीपीएस–सारनी–पीएच 1,2 तथा 3	322	1.36
संजय गांधी टीपीएस–बिरसिंहपुर–पीएच 1 तथा 2	379	1.14
संजय गांधी टीपीएस–बिरसिंहपुर विस्तार (500 मेगावाट)	369	1.01
अमरकंटक एटीपीएस–चचाई–पीएच 3	167	0.92
एमपी जनको – जल–विद्युत		
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन – गांधी सागर	4	3.83
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन– राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0	1.51
पेंच टी.एच.पी.एस.	11	0.28
बाण सागर टोंस एचपीएस–टोंस (1 से 3)	142	1.01
बाण सागर टोंस एचपीएस–सिलपारा	0	0
बाण सागर टोंस एचपीएस–देवलोन	0	0
बाण सागर टोंस एचपीएस–बाणसागर 4	14	0.89
बिरसिंहपुर एचपीएस	6	0.59
बरगी एचपीएस	10	0.35
राजघाट एचपीएस	5	1.39
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	27	3.75

भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत संबंधी विवरण (Details of costs for future capacities)

3.23 ऐसी समस्त भविष्यगामी क्षमताओं के संबंध में जिन्हें भविष्य में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है, हेतु दरें निम्न तालिका में दर्शाये गये अनुसार मानी गई है :

तालिका 20 : भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत

विवरण	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (रू. किलोवाट ऑवर में) (आगामी वर्षों हेतु बढ़ाये गये)	आधार
एनटीपीसी सीपत–चरण–एक	107	0.63	सीपत–2 की लागतों के अनुसार
डीवीसी (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	296	2.63	मेजिया के अनुरूप माना गया
केस–एक (एस्सार पावर)	–	2.45	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुरूप
पीटीसी–टोरेंट सूरत (गैस)	–	3.31	केविनिअ आदेश माह जनवरी 2010 के अनुरूप
महेश्वर जल–विद्युत	239		दिशा–निर्देशों के अनुसार

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन (Assessment of Other Elements of Power Purchase Cost by the Discoms)

विद्यमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges associated with existing capacities) :

3.24 अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण प्रभारों (पीजीसीआईएल लागत) के प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 11 के वास्तविक बिलों/सुसंबद्ध आदेशों के अनुसार किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 12 तथा वित्तीय वर्ष 13 की गणना हेतु, वर्ष के दौरान उद्भूत नवीन क्षमताओं के कारण अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय पारेषण की लागत भी मानी गई है।

3.25 अनुज्ञप्तिधारियों ने कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) लागत को पारेषण प्रभारों का आवंटन प्रतिशत आधार पर भी किया है जिसे पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो कि पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है), से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता तथा आवंटन प्रतिशत से व्यूत्पादित (derived) किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु निम्नलिखित प्राक्कलित लागतों का दावा किया है :

तालिका 21 : दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2011–12 (विनियमों के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2011–12 (अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार)
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	130	129
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	123	122
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	134	134
योग	**387**	**385**

नवीन एवं उदीयमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter State Transmission Charges associated with new and upcoming capacities) :

3.26 नवीन एवं उदीयमान (upcoming) क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण प्राक्कलन आधार पर किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रत्याशित क्षमता परिवर्धन (expected capacity additions) निम्नानुसार हैं:

तालिका 22 नवीन क्षमताएं (मेगावाट में)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2011–12
एनटीपीसी सीपत–चरण ।	283
डीवीसी (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	200
केस–। (एस्सार पावर)	150
कोरबा चरण–।।।	60
पीटीसी–टोरेंट	**100**
महेश्वर जल विद्युत	**400**
कुल क्षमता (मेगावाट में)	**1193**

3.27 केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता परिवर्धनों के आधार पर, मप्र ट्रेडको द्वारा देय पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार हैं जिन्हें थोक विद्युत प्रदाय दर, जिसके अनुसार मप्रट्रेडको विद्युत वितरण कंपनियों हेतु उनकी आवश्यकतानुसार विद्युत का विक्रय करेगी, को भी सम्मिलित किया गया है :

तालिका 23 : मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2011–12
नवीन एवं उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	47.73

राज्यांतरिक पारेषण प्रभार (Intra- State Transmission Charges)

3.28 अनुज्ञप्तिधारियों ने निवेदन किया है कि राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों की गणना के प्रयोजन हेतु प्रभारों की राशि आयोग के आदेशों के अनुसार ली गई है। दाखिल किये गये विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 24 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार	वित्तीय वर्ष 2011–12 (विनियमों के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2011–12 (अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार)
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	370	370
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	288	404
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	298	418
योग	**956**	**1192**

विद्युत प्रदाय की औसत लागत, मप्रट्रांसको प्रभारों को सम्मिलित कर (Average Cost of Power including MP Transco Charges)

3.29 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भी निवेदन किया गया है कि ऊर्जा क्रय लागत (रूपये प्रति यूनिट) का प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उनके द्वारा दायर की गई याचिकाओं में उल्लेखित सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है ।

3.30 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 25 : दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत (राशि करोड़ रूपये में)

विद्युत प्रदाय लागत का तुलनात्मक अध्ययन (लागत करोड़ रूपये में)							
विद्युत क्रय लागत के विवरण		पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेत्र विविकं		मध्य क्षेत्र विविकं	
		विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
ए	एक्सबस क्रय किये गये यूनिट (एमयू)	12,301	12,714	16,042	16,042	13,515	13,515
बी	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	1,020	1,020	1,219	1,219	997	997
सी	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)	1,543	1,687	2,621	2,626	2,104	2,106
डी	एमपी ट्रेडको ट्रेडिंग मार्जिन (4 पैसे यूनिट अतिरिक्त)	0	51	–	64	–	54
ई=बी+सी+डी	'एक्स–बस' कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	2,564	2,758	3,840	3,909	3,100	3,157
इ/ए	विद्युत क्रय की दर (रूपये /किलोवाट)	2.08	2.17	2.39	2.44	2.29	2.34
एच	बाह्य हानियां (एमयू)	325	339	291	291	323	323
आई	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (करोड़ रूपये में)	130	134	123	122	130	129
जे=(ए–एच)	राज्य सीमा पर क्रय किये गये यूनिट (मिलियन यूनिट)	11,977	12,375	15,751	15,751	13,192	13,192
के=(ए–ई)	राज्य सीमा पर कुल क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	2,694	2,891	3,963	4,031	3,230	3,285
जे/के	राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की लागत (रूपये/किलोवाट)	2.25	2.34	2.52	2.56	2.45	2.49
एल	राज्यान्तरिक पारेषण लागत–एमपी ट्रांसको (करोड़ रूपये में)	264	370	298	418	288	404
एम=(के+एल)	विद्युत वितरण कम्पनी अन्तर्मुख पर कुल विद्युत लागत	2,958	3,261	4,262	4,449	3,518	3,689
एन	पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	490	506	644	644	540	540
ओ=(जे–एन)	विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर क्रय किये गये यूनिट (एमयू)	11,487	11,869	15,107	15,107	12,652	12,652
ओ/एम	विद्युंत वितरण कम्पनी सीमा पर विद्युंत क्रय की दर (रूपये प्रति किलोवाटं)	2.58	2.75	2.82	2.94	2.78	2.92

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Energy Balance and Power Purchase)

वितरण हानियां (Distribution Losses)

3.31 आयोग द्वारा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत प्रदाय चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में

विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम माह दिसम्बर 2009 में अधिसूचित किये गये हैं। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया वितरण हानि स्तर प्रक्षेपण–पथ (Tranjectory) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 26 : विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	30%	**27%**	24%
2.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	26%	**24%**	22%
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	33%	**29%**	26%

3.32 तद्नुसार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वितरण हानियों को उपरोक्त तालिका में दर्शायेनुसार ध्यान में रखा गया है। आयोग द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण, केवल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर, विनियमों के उपबंधों के अनुरूप रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु शीर्ष ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण'' के अन्तर्गत प्रक्षेपित वितरण हानियों को दायर करते समय सम्पूर्ण राज्य आवश्यकता विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दायर नहीं की गई है तथा 27 प्रतिशत मानदण्डीय स्तर के विरूद्ध 29.35 प्रतिशत हानि स्तर का दावा किया गया है। आयोग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उनके क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के संविलियन के कारण मानदण्डीय स्तरों से अधिक हानि स्तरों के दावे हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के निवेदन पर विचार किया है तथा इसे युक्तियुक्त नहीं पाया है। अतः आयोग द्वारा इस संबंध में उनके द्वारा किये गये दावे को स्वीकार नहीं किया गया है।

- **बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां [External (PGCIL) Losses]**

3.33 पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिमी क्षेत्र हेतु, पिछले आंकड़े (20 फरवरी 2011 को समाप्त वाले सप्ताह तक 52 सप्ताह हेतु) जैसा कि वह पीजीसीआईएल की वैबसाईट पर उपलब्ध है, को माना गया है तथा इस हेतु 4.79% के औसत हानि स्तर का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्र हेतु पारेषण लाईन हानियों का औसत हानि स्तर (वित्तीय वर्ष 2010–11 के 38 सप्ताह हेतु) 2.38% माना गया है।

3.34 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनन्तिम राज्यान्तरिक पारेषण हानियां 3.74 प्रतिशत मानी गई हैं जो वित्तीय वर्ष 2010–11 के एमआईएस प्रतिवेदनों पर आधारित है।

3.35 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ऊर्जा के संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 27 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऊर्जा की सकल आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य का योग
विक्रित किये गये कुल यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में) – **ए**	8,417	11.272	8,051	27740
वितरण हानि (प्रतिशत में)	**29.00%**	**24.00%**	**27.00%**	**26.45%**
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में) – **बी**	3,438	3,560	2,978	9,975
पारेषण वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)– **सी = (ए–बी)**	11,855	14,832	11,028	37,715
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	**3.74%**	**3.74%**	**3.74%**	**3.74%**
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में) – **डी**	*461*	*576*	*428*	*1,465*
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में) – **ई = (सी+डी)**	12,315	15,408	11,457	39,180
पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)				
पश्चिमी क्षेत्र – पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	4,79%	4.79%	4.79%	4.79%
पूर्वी क्षेत्र – पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%
पीजीसीआईएल हानियां (मिलियन यूनिट में)–**ई**	402	399	429	1,230
विद्युत क्रय (Power Purchase) की कुल आवश्यकता (मिलियन यूनिट में) –जी = (ई+एफ)	**12,718**	**15,807**	**11,886**	**40,410**

3.36 मध्यप्रदेश शासन ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र 4353–एफ–3–24–2009–XIII दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता की एमपी ट्रेडको को आवंटन किये जाने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

3.37 निम्न तालिका मप्र शासन की अधिसूचना 9013/13/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 द्वारा केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु 200 मेगावाट एवं अधिसूचना क्र 4353–एफ–3–24–2009–XIII दिनांक 16 मई, 2011 के अनुसार अन्यों, अर्थात् पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती है :

तालिका 28 : विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

	विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य आवंटित (मेगावाट में)	बुन्देलखंण्ड क्षेत्र को विशिष्ट आवंटन (मेगाावाट में)	राज्य को आवंटित (विशेष आवंटन घटाकर) (मेगावाट में)	विद्युत वितरण मंपनी वार आवंटन (प्रतिशत में) (विशिष्ट आवंटन को घटाकर)		
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन						मध्य क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	पूर्व क्षेविविकं
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100	490	52.63	437.76	34%	24%	42%
2	पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	1260	446	32.26	413.27	41%	30%	29%
3	पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– II	1000	321	25.47	295.82	40%	30%	30%
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	656	140	0.00	140.00	20%	48%	32%
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657	117	0.00	117.00	20%	48%	32%
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440	111	11.21	100.19	33%	44%	22%
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1080	234	27.50	206.28	34%	45%	21%
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000	250	25.47	224.33	40%	40%	20%

9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000	193	25.47	167.33	45%	20%	35%
10	पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	1600	0	0.00	0.00	20%	55%	25%
11	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840	0	0.00	0.00	20%	55%	25%
12	पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500	74	0.00	74.00	20%	55%	25%
13	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	1000	0	0.00	0.00	20%	55%	25%
14	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	200	200	0.00	200.00	15%	55%	30%
15	अमरकंटक काम्प्लेक्स	240	240	0.00	240.00	41%	28%	31%
16	अमरकंटक विस्तार	210	210	0.00	210.00	41%	28%	31%
17	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	1143	1018	0.00	1017.51	41%	28%	31%
18	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500	500	0.00	500.00	41%	28%	31%
19	संजय गांधी टीपीएस	840	840	0.00	840.00	41%	28%	31%
20	गांधी सागर	115	58	0.00	57.50	50%	30%	20%
21	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271	136	0.00	135.50	50%	30%	20%
22	पेंच	160	107	0.00	106.67	40%	40%	20%
23	राजघाट	45	23	0.00	22.50	40%	40%	20%
24	बरगी	100	100	0.00	100.00	20%	50%	30%
25	विरसिंहपुर	20	20	0.00	20.00	20%	50%	30%
26	बाण सागर– I	315	315	0.00	315.00	30%	40%	30%
27	बाण सागर– II	30	30	0.00	30.00	30%	40%	30%
28	बाण सागर– IIi	60	60	0.00	60.00	30%	40%	30%
29	बाण सागर– Iv	20	20	0.00	20.00	30%	40%	30%
30	मढ़ीखेड़ा	60	60	0.00	60.00	20%	50%	30%
31	इंदिरा सागर	1000	1000	0.00	1000.00	25%	55%	20%
32	अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	0	0	0.00	0.00	30%	41%	29%
33	कैप्टिव	0	0	0.00	0.00	30%	41%	29%
34	सरदार सरोवर	1450	827	0.00	826.50	20%	50%	30%
35	ओंकारेश्वर	520	520	0.00	520.00	20%	50%	30%
महायोग		**21432**	**8657**	**200.01**	**8457.16**			

3.38 वित्तीय वर्ष 2011–12 में अपेक्षित नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं में निम्न उत्पादन क्षमताओं को शामिल किया गया है :

तालिका 29 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु नवीन उत्पादन क्षमताएं

विद्युत उत्पादक संयंत्र	एमपीट्रेडको को आवंटित क्षमता (मेगावाट में)
एनटीपीसी–सीपत चरण प्रथम	188.67
डीवीसी–(चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	200.00
केस–I (एस्सार पावर) (निजी क्षेत्र)	75.00
पीटीसी – टारेंटों सूरत (गैस) (निजी क्षेत्र)	104.32
महेश्वर जल–विद्युत	400.00
एनटीपीसी कोरबा चरण तृतीय	60.00

3.39 जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, दामोदर वैली कार्पोरेशन (सीटीपीएस), सीपत–प्रथम एस्सार पावर, टोरेंट, महेश्वर जल–विद्युत तथा कोरबा तृतीय विद्युत परियोजनाएं द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्राप्त नहीं की गई है, अतः इन परियोजनाओं पर इस आदेश के अंतर्गत स्थाई उपलब्धता के संबंध में विचार नहीं किया गया है तथा इन्हें एमपीट्रेडको के साथ ही रखा गया है।

3.40 **द्विपक्षीय तथा अन्य स्टेशनः–** आयोग द्वारा समस्त द्विपक्षीय स्टेशनों (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, पेंच तथा राजघाट) से उपलब्धता के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर किये गये अनुसार ही मप्र राज्य के अंशदान पर ही विचार किया गया है। आयोग ने मप्र जनको संबंधी आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 में गाधी सागर, पेंच तथा राजघाट हेतु दरों का अवधारण किया है तथा केवल मप्र राज्य के अंशदान हेतु ही इन्हीं दरों पर विचार किया है। तथापि, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर हेतु आंकड़ों के अभाव में, आयोग ने जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर स्टेशन से विद्युत क्रय की लागत के अवधारण हेतु अनन्तिम तौर पर प्रति मेगावॉट आधार की उपलब्धता के साथ–साथ गांधी सागर को प्रयोज्य टैरिफ दर पर भी विचार किया है। इसी प्रकार, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत स्टेशनों, जैसे कि इन्दिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा सरदार सरोवर हेतु, उपलब्धता की गणना अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर किये गये अनुसार ही की गई है।

3.41 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनः–** वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दाखिल की गई उपलब्धता के विश्लेषण उपरांत विचार किया गया है।

3.42 **एमपी जनको स्टेशन–** वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, विद्यमान मप्र विद्युत उत्पादक स्टेशनों (ताप विद्युत स्टेशनों) से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दाखिल की गई उपलब्धता के विश्लेषण उपरांत विचार किया गया है।

3.43 **अन्य** : अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों अर्थात् पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों से विद्युत की उपलब्धता को इन्हें दाखिल किये गये अनुसार माना गया है।

3.44 राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार विद्युत आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका : 30 विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मेगावाट में)

विद्युत उत्पादक उपकरण स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता	राज्य को आवंटित प्रतिशत में	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (मेगावाट में)			
			कुल	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन						
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100.00	23.35%	490.39	236.49	105.06	148.84
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	1260.00	35.36%	445.53	152.11	123.98	169.44
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– II	1000.00	32.13%	321.29	114.22	88.75	118.33
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	656.20	21.33%	140.00	44.80	67.20	28.00
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657.39	17.80%	117.00	37.44	56.16	23.40
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	25.32%	111.40	33.45	44.53	33.41

पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1080.00	21.65%	233.78	70.10	93.55	70.14
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000.00	24.98%	249.80	70.34	89.73	89.73
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000.00	19.28%	192.80	84.04	33.47	75.30
पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	1600.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500.00	4.93%	74.00	18.50	40.70	14.80
पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	1000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	500	40.00%	200.00	60.00	110.00	30.00
ताप विद्युत						
अमरकंटक काम्प्लेक्स	240.00	100.00%	240.00	74.40	67.20	98.40
अमरकंटक विस्तार	210.00	100.00%	210.00	65.10	58.80	86.10
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, IIII	1142.50	89.06%	1017.51	315.43	284.90	417.18
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500.00	100.00%	500.00	155.00	140.00	205.00
संजय गांधी टीपीएस	840.00	100.00%	840.00	260.40	235.20	344.40
जल विद्युत						
अन्तर्राज्यीय						
गांधी सागर	115.00	50.00%	57.50	11.50	17.25	28.75
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	50.00%	135.50	27.10	40.65	67.75
पेंच	160.00	66.67%	106.67	21.33	42.67	42.67
राजघाट	45.00	50.00%	22.50	4.50	9.00	9.00
सम्पूर्ण मप्र राज्य हेतु आवंटन						
बरगी	100.00	100.00%	100.00	30.00	50.00	20.00
बिरसिंहपुर	20.00	100.00%	20.00	6.00	10.00	4.00
बाण सागर– I,	315	100.00%	315.00	94.50	126.00	94.50
बाण सागर – II	30.00	100.00%	30.00	9.00	12.00	9.00
बाण सागर– III	60.00	100.00%	60.00	18.00	24.00	18.00
बाण सागर– IV	20.00	100.00%	20.00	6.00	8.00	6.00
मढ़ीखेड़ा	60.00	100.00%	60.00	18.00	30.00	12.00
इंदिरा सागर	1000.00	100.00%	1000.00	200.00	550.00	250.00
अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
कैप्टिव	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	1450.00	57.00%	826.50	247.95	413.25	165.30
ओंकारेश्वर	520.00	100.00%	520.00	156.00	260.00	104.00
महायोग	**21732.09**	**39.84%**	**8657.17**	**2641.69**	**3232.05**	**2783.43**

3.45 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्टेशनवार एक्स–बस उपलब्धता तथा राज्य सीमा पर विद्युत उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र हेतु पीजीसीआईएल प्रणाली हानियों पर विचारोपरांत, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 31 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)

	उपलब्धता (एक्स बस)				उपलब्धता (राज्य सीमा पर)			
स्टेशन का नाम	राज्य	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं	राज्य	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन								
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	3,572	1,723	765	1,084	3,402	1,640	729	1,032
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– I	3,037	1,037	845	1,155	2,892	987	805	1,100

पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस– II	2,259	803	624	832	2,151	765	594	792
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	940	301	451	188	895	286	430	179
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	778	249	374	156	741	237	356	148
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	477	143	191	143	454	136	181	136
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1,058	317	423	317	1,008	302	403	302
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1,729	487	621	621	1,646	463	591	591
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,469	640	255	574	1,398	609	243	546
पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	586	147	322	117	544	136	299	109
पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	0	0	0	0	0	0	0	0
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	475	142	261	71	441	132	242	66
ताप विद्युत राज्य								
अमरकंटक काम्प्लेक्स	1,034	320	289	424	1,034	320	289	424
अमरकंटक विस्तार	1,279	396	358	524	1,279	396	358	524
सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I, II, III	5,557	1,723	1,556	2,278	5,557	1,723	1,556	2,278
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	3,052	946	855	1,251	3,052	946	855	1,251
संजय गांधी टीपीएस	4,307	1,335	1,206	1,766	4,307	1,335	1,206	1,766
जल विद्युत								
अन्तर्राज्यीय								
गांधी सागर	171	34	51	86	171	34	51	86
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	160	32	48	80	160	32	48	80
पेंच	240	48	96	96	240	48	96	96
राजघाट	48	10	19	19	48	10	19	19
सम्पूर्ण म प्र राज्य को आवंटन								
बरगी	533	160	267	107	533	160	267	107
बिरसिंहपुर	45	14	23	9	45	14	23	9
बाण सागर– I	1,017	305	407	305	1,017	305	407	305
बाण सागर– II	100	30	40	30	100	30	40	30
बाण सागर– III	82	25	33	25	82	25	33	25
बाण सागर– IV	63	19	25	19	63	19	25	19
मढ़ीखेड़ा	75	23	38	15	75	23	38	15
संयुक्त क्षेत्र तथा अन्य								
इंदिरा सागर	2,302	460	1,266	576	2,192	438	1,206	548
अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	42	13	17	13	42	13	17	13
कैप्टिव	78	23	31	23	78	23	31	23
सरदार सरोवर	1,518	455	759	304	1,446	434	723	289
ओंकारेश्वर	1,018	305	509	204	969	291	485	194
योग	**39,101**	**12,665**	**13,025**	**13,411**	**38,060**	**12,314**	**12,644**	**13,103**

3.46 आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई विद्युत वितरण कंपनीवार माहवार ऊर्जा आवश्यकता को समग्र आकलित ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार आयोग द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अनुसार यथानुपात किया गया है। उपरोक्तानुसार गणना की गई ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता जैसा कि इसकी गणना आयोग द्वारा की गई है, निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 32 : विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

माह	एक्स–बस पर विद्युत वितरण कंपनियों की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)			एक्स–बस ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)		
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
अप्रैल–2011	945	1,307	1,024	1,025	996	1,091
मई–2011	907	1,324	995	1,012	951	1,084
जून–2011	904	1,279	967	925	875	985
जुलाई–2011	884	1,123	952	876	854	906
अगस्त–2011	888	1,087	957	963	1,026	1,002
सितंबर–2011	871	1,193	984	1,037	1,111	1,085
अक्टूबर–2011	1,028	1,296	1,017	1,186	1,272	1,252
नवंबर–2011	1,047	1,466	1,092	1,149	1,273	1,226
दिसंबर–2011	1,083	1,591	1,214	1,165	1,244	1,238
जनवरी–2012	1,115	1,432	1,276	1,153	1,204	1,226
फरवरी–2012	1,074	1,443	1,169	1,066	1,100	1,133
मार्च–2012	1,121	1,319	1,037	1,108	1,120	1,181
योग	**11,867**	**15,859**	**12,684**	**12,665**	**13,025**	**13,411**

3.47 आयोग ने माहवार सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत को विद्युत उत्पादक स्टेशनों की परिवर्तनीय लागत के आधार पर प्रयुक्त किया है। निम्न तालिका स्टेशनों के मध्य सुयोग्यता क्रम तथा उनकी परिवर्तनीय ऊर्जा दरें प्रदर्शित करती हैः–

तालिका 33 : सुयोग्यता क्रम (Merit Order)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	परिवर्तनीय दर (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	सुयोग्यता क्रम
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस)	231.51	**1***
कैप्टिव	245.00	**2***
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	291.04	**3***
अपारंपरिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा	400.00	**4***
पूर्वी क्षेत्र – फरक्का एसटीपीएस	0.00	**5**
पूर्वी क्षेत्र – कहलगांव एसटीपीएस	0.00	**6**
पूर्वी क्षेत्र – तालचेर एसटीपीएस	0.00	**7**
गांधी सागर	0.00	**8**
राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	0.00	**9**
पेंच	0.00	**10**
राजघाट	0.00	**11**
बरगी	0.00	**12**
बिरसिंहपुर	0.00	**13**
बाण सागर– I	0.00	**14**
बाण सागर– II	0.00	**15**
बाण सागर– III	0.00	**16**
बाण सागर– IV	0.00	**17**
मढ़ीखेड़ा	0.00	**18**
इन्दिरा सागर	0.00	**19**
सरदार सरोवर	0.00	**20**
ओंकारेश्वर	0.00	**21**
पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	94.75	**22**

अमरकंटक विस्तार	105.03	**23**
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	109.70	**24**
डीवीसी (एमटीपीएस)	117.50	**25**
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	125.04	**26**
अमरकंटक काम्प्लेक्स	131.15	**27**
संजय गांधी टीपीएस	143.58	**28**
सतपुड़ा टीपीएस पीएच–1,2,3	157.41	**29**
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– II	174.66	**30**
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– III	176.81	**31**
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– I	177.46	**32**
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	214.29	**33**
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	236.26	**34**
पश्चिमी क्षेत्र –कवास जीपीपी	242.67	**35**

* प्राथमिकता युक्त सटेशन (′must run′ Stations)

3.48 मासिक उपलब्धता पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत की प्रयोज्यता के आधार पर, कुल स्टेशनवार उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 34 : सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

स्टेशन का नाम	राज्य सीमा पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण अनुसार उपलब्धता			
	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	3,572	1,723	765	1,084
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	2,886	735	1,436	716
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	2,259	809	666	785
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	672	68	554	50
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	633	91	487	55
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	477	143	191	143
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1,058	317	423	317
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	1,721	444	713	563
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,469	640	255	574
पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	501	63	389	49
पूर्वी क्षेत्र –तालचेर एसटीपीएस	0	0	0	0
दामोदर वैली, कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	475	142	261	71
अमरकंटक काम्प्लेक्स	1,034	320	289	424
अमरकंटक विस्तार	1,279	396	358	524
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	5,557	1,723	1,556	2,278
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	3,052	946	855	1,251
संजय गांधी टीपीएस	4,307	1,335	1,206	1,766
गांधी सागर	171	34	51	86
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	160	32	48	80
पेंच	240	48	96	96
राजघाट	48	10	19	19
बरगी	533	160	267	107
बिरसिंहपुर	45	14	23	9
बाणसागर–I,	1,017	305	407	305

बाणसागर–II	100	30	40	30
बाणसागर–III	82	25	33	25
बाणसागर–IV	63	19	25	19
मढ़ीखेढ़ा	75	23	38	15
इंदिरा सागर	2,302	460	1,266	576
अपारम्परिक–ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन	42	13	17	13
कैप्टिव	78	23	31	23
सरदार सरोवर	1,518	455	759	304
ओंकारेश्वर	1,018	305	509	204
योग	**38,444**	**11,851**	**14,033**	**12,560**

3.49 उपरोक्त उपलब्धता विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर विक्रय एवं क्रय के आधार पर है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका 35 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार (मिलियन यूनिट में)

माह	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत का परस्पर क्रय (मिलियन यूनिट में)			विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत का परस्पर विक्रय (मिलियन यूनिट में)		
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य
अप्रैल–2011	-	148.0	-	80.4	-	67.6
मई–2011	-	194.2	-	105.0	-	89.2
जून–2011	(0.0)	38.2	(0.0)	20.0	-	18.2
जुलाई–2011	-	-	-	-	-	-
अगस्त–2011	-	80.7	-	50.8	-	29.9
सितंबर–2011	-	163.9	2.1	101.4	-	64.6
अक्टूबर–2011	5.4	132.1	-	25.3	-	112.2
नवंबर–2011	0.5	197.0	-	78.5	-	119.0
दिसंबर–2011	-	105.7	0.9	82.3	-	24.3
जनवरी–2012	-	31.1	7.1	38.2	-	-
फरवरी–2012	-	-	-	-	-	-
मार्च–2012	23.8	130.7	-	10.4	-	144.1
योग	**29.7**	**1,221.6**	**10.1**	**592.3**	**-**	**669.1**

3.50 जैसा कि सुयोग्यता क्रम विनियोग (Merit order Application) के परिणामों से स्पष्ट है तथा जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिकाओं से भी प्रकट होता है, मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों की ऊर्जा की उपलब्धता तथा आवश्यकता अनुसार अन्तर रहेगा। विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकताओं की आपूर्ति उन्हें उनके अंशदान के प्रत्यक्ष आवंटन के माध्यम से तथा विक्रेता वितरण कंपनी की विद्युत आपूर्ति के उपरांत ऊर्जा की शेष बचत से वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार द्वारा भी की जाएगी। चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों की माहवार आवश्यकता उपलब्धता से अधिक है, अतएव एमपी ट्रेडको से अथवा बाह्य स्त्रोतों से किसी लघु–अवधि विद्युत क्रय की आवश्यकता होगी। इन क्रयों की लागतों को कुल विद्युत क्रय लागत में शामिल कर लिया गया है जैसा कि आयोग द्वारा इसे निम्न परिच्छेदों में अंतिम रूप दिया गया है।

3.51 जैसा कि उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, विद्युत वितरण कम्पनीवार, वांछित एक्स–बस विद्युत की मात्रा, सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण (MOD), ट्रेडको तथा लघु– अवधि स्त्रोत से क्रय निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

तालिका 36 : आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मेगावाट में)

विवरण	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
एक्स–बस पर कुल आवश्यकता	40,410	11,867	15,859	12,684
सुयोग्यता क्रम के विचारोपरांत कुल एक्स–बस उपलब्धता	38,444	11,851	14,033	12,560
अन्तर	**1,966**	**15**	**1,827**	**124**
ट्रेडको से क्रय	1,693	13	1,571	109
वांछित शेष	**273**	**3**	**255**	**15**
लघु–अवधि विद्युत क्रय	273	3	255	15

3.52 यहां पर उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु आवंटित की गई 200 मेगावाट विद्युत की मात्रा केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आपूर्ति के उद्देश्य से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अर्हता बाबत ही प्रदान की गई है। वह विद्युत की मात्रा जो पूर्व क्षेत्र वि वि कम्पनी को आवंटित की गई है, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष आवंटन को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जो उनकी कुल आवश्यकताओं से अधिक है, को ही परस्पर विद्युत वितरण कम्पनीवार विक्रय (Intra Discom Sale) में शामिल किया गया है।

3.53 सुयोग्यता–क्रम से यह भी प्रकट होता है कि कुछ महीनों के दौरान, वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार को भी ध्यान में रखकर, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्धता का उपयोग नहीं हो पाया है। आयोग का यह सुझाव है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा की गई इस बचत ऊर्जा का उपयोग अन्य राज्यों से लेन–देन में किया जाए ताकि किसी कमी होने की दशा में, रबी मौसम में विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति इस लेन–देन वाले खाते से ही पूर्ण की जा सके, अर्थात् बिना किसी अतिरिक्त लागत के माध्यम से अवशेष विद्युत क्रय आवश्यकता के संबंध में, जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व पैरा में किया गया है, की आपूर्ति हेतु ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। आयोग अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कंपनियां बचत की गई विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यापार में इस अवसर का उपयोग उनके उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ण आपूर्ति के पश्चात ही करेंगी।

3.54 मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 3969–13–11–02 दिनांक 3.5.11 द्वारा जारी किये गये नीति निर्देश के संबंध में, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में एक समान विद्युत–दर का अनुसरण बाबत् निर्णय लिया है। किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास माह के दौरान आधिक्य ऊर्जा, प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के उन अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जाएगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी रहेगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य की अन्य वितरण

कंपनियों को बचत ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार रखी जाए::

तालिका 37 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत (Monthly Pooled Cost)

सरल क्र	माह	रूपये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	2.11
2	मई	2.12
3	जून	2.12
4	जुलाई	2.11
5	अगस्त	2.04
6	सितंबर	1.94
7	अक्टूबर	1.83
8	नवंबर	2.03
9	दिसंबर	2.07
10	जनवरी	2.08
11	फरवरी	2.09
12	मार्च	2.12

विद्युत क्रय लागतें (Power Purchase Costs)

3.55 विद्युत क्रय लागत के दो घटक हैं, यथा स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत। इन लागतों की पृथक–पृथक गणना की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है:–

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (ताप विद्युत) [Central Generating Stations (Thermal)]

3.56 पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशनों **[**अर्थात्, कोरबा, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–**I** (वीएसटीपीएस–I), वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III, कवास, गंधार तथा सीपत–**II]** के संबंध में यह संज्ञान में लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु किसी भी स्टेशन के पास अनुमोदित लागत नहीं है। वैयक्तिक स्टेशन के स्थाई लागत अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये अन्तिम टैरिफ आदेश को माना गया है।

3.57 ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में स्थाई लागत की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulation 2008 के स्थाई लागत की वसूलीसंबंधी विनियम अर्थात् 'Recovery of Fixed Cost Regulations' के अनुसार की गई है।

3.58 वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रत्येक स्टेशन की ऊर्जा लागत के अवधारण हेतु आयोग द्वारा परिवर्तनीय लागत पर विचार किया गया है, जैसा कि इसका उल्लेख एनटीपीसी द्वारा माह जनवरी 2011 तक एमपीट्रेडको को प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयकों में वैयक्तिक स्टेशन हेतु

किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रत्येक स्टेशन हेतु, ऊर्जा प्रभारों की गणना हेतु, परिवर्तनीय लागत में 6.35% की दर से वृद्धि की गई है।

3.59 अन्य प्रभार, जिनमें ईंधन लागत समायोजन प्रभार (Fuel Price Adjustment Charges) भी शामिल हैं, को आयोग के पास माह जनवरी, 2011 तक उपलब्ध अन्तिम देयकों के अनुसार माना गया हैं। इन्हीं को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये माना गया है।

3.60 पूर्वी क्षेत्र के संयन्त्रों की अनुज्ञेय लागतों के अवधारण हेतु, पश्चिमी क्षेत्र में अनुसरण किये गये सिद्धांत को अपनाया गया है। ऊर्जा प्रभारों तथा अन्य प्रभारों हेतु लागू किया गया सिद्धांत पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों हेतु अपनाए गये सिद्धान्त के ही अनुरूप है।

केन्द्रीय तथा राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (जल विद्युत) [Central & State Generating Stations (Hydel]

3.61 जल–विद्युत स्टेशनों के स्थाई प्रभारों की गणना हेतु, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशन हेतु जारी अंतिम टैरिफ आदेश को माना गया है। इसके अतिरिक्त, स्थाई लागतों की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations के स्थाई प्रभारों की वसूली से संबंधित विनियम 'Recovery of Fixed Charges Regulations' तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार की गई है।

इन्दिरा सागर :

3.62 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, इन्दिरा सागर जल विद्युत संयंत्र के प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

सरदार सरोवरः

3.63 आयोग द्वारा वार्षिक स्थाई प्रभार 7 फरवरी, 2011 को पारित अनन्तिम (Provisional) आदेश के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं।

ओंकारेश्वरः

3.64 आयोग द्वारा ओंकारेश्वर हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित अनन्तिम टैरिफ आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत : (Renewable Sources)

3.65 सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों हेतु सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों हेतु न्यूनतम क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तलिका 38 : न्यूनतम क्रय वचनबद्धता (Minimum Purchase Obligation)

नवीकरणीय स्त्रोत	न्यूनतम क्रय आवश्यकताएं
सौर (Solar)	0.40%
गैर–सौर (Non-Solar)	2.10%
योग	2.50%

3.66 **कैप्टिव विद्युत उत्पादन तथा अन्य स्त्रोत (Captive Generation and other Sources)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा पवन विद्युत उत्पादन से वर्ष 2011–12 के दौरान 120.51 मिलियन यूनिट की कुल उपलब्धता दाखिल की गई है। इस उपलब्धता को तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य 3 : 4 : 3 के अनुपात में क्रमशः मध्य, पश्चिम तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों में विभाजित किया गया है तथा पवन विद्युत उत्पादन की दर रू. 4 प्रति किलोवाट ऑवर रखी गयी है [यह मानते हुए कि ऊर्जा का एक भाग, आंशिक रूप से माह मई, 2010 से पूर्व में स्थापित किये गये संयंत्रों से प्राप्त होगा जिनकी विद्युत–दर (टैरिफ) रू. 3.30/3.36 प्रति किलोवाट ऑवर होगी तथा अन्य भाग आंशिक रूप से माह मई, 2010 के उपरान्त स्थापित किये संयंत्रों से प्राप्त होगा जिनकी विद्युत दर रू. 4.35 प्रति किलोवाट ऑवर होगी] तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु लागतों की गणना के संबंध में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु रू. 2.45 प्रति किलोवाट की दर का उपयोग किया गया है। रू. 3.55 की दर, जैसा कि इसे विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत के क्रय हेतु दाखिल किया गया है, पर इस आदेश के अन्तर्गत विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसे सुसंबद्ध आंकड़ों द्वारा युक्तियुक्त तौर पर प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में, आयोग ऐसा मानता है कि कैप्टिव खपत से अधिक विद्युत की मात्रा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के परिवर्तनीय प्रभार से संबद्ध होगी। अतएव, आगमित लागतो (Input Costs) में हुई बढ़ोतरी के कारण दर में रू. 2.27 प्रति यूनिट की पूर्व दर की तुलना में वृद्धि कर दी गई है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत के क्रय हेतु इस आदेश के अन्तर्गत प्रदत्त दर, **सामान्य समय के दौरान स्थाई ऊर्जा** (Firm Power) हेतु अधिकतम दर है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत का क्रय दिनांक 31 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.67 **ट्रेडको के माध्यम से विद्युत उत्पादक स्टेशन (Generating Station through Tradeco) :–** नवीन स्टेशनों हेतु, जिनमें चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र से राज्य को विद्युत की पूर्ति होने लगेगी, निम्न कार्यविधि (methodology) अपनाई गई है :

(i) सीपत–I ताप विद्युत स्टेशन हेतु, स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें दाखिल की गई मान ली गई है।

(ii) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) चन्द्रपुंर हेतु, डीवीसी मेजिया की विद्युत–दर (टैरिफ) को अपनाया गया है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने डीवीसी चन्द्रपुर हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया है।

(iii) एस्सार पावर हेतु, मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लि द्वारा हस्ताक्षरित किये गये विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) के अनुसार एकल भाग टैरिफ की रू. 2.45 की अनन्तिम दर अपनाई गई है।

(iv) पीटीसी टोरेंट की दरें, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार मानी गई हैं।

(v) चूंकि महेश्वर जल विद्युत हेतु, कोई विद्युत–दर उपबन्ध नहीं है, अतएव यह दर दायर किये गये अनुसार दर मानी गई है।

(vi) कोरबा पश्चिम III–ये दरें दायर किये गये अनुसार मानी गई हैं।

स्थाई लागत (Fixed cost)

3.68 मप्र जनको स्टेशनों हेतु स्थाई लागत वित्तीय वर्ष 2011–12 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश से प्राप्त की गई है। इन स्थाई लागतों को इस आदेश के अन्तर्गत उत्पादक स्टेशनों से उपलब्धता तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में प्रदत्त वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली (Recovery of Annual Capacity fixed charges) के आधार पर समायोजित किया गया है।

3.69 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 39 : विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन **(करोड़ रूपये में)**

स्टेशन का नाम	स्थाई लागत			
	योग	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	95.13	45.88	20.38	28.87
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	98.85	33.75	27.51	37.60
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–II	121.49	43.19	33.56	44.75
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	48.28	15.45	23.17	9.66
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	58.34	18.67	28.00	11.67
पश्चिमी क्षेत्र– काकरापार एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र– तारापुर एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस –III	146.26	41.18	52.54	52.54
पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–II	118.77	51.77	20.62	46.38
पूर्वी क्षेत्र– फरक्का एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस–II	31.80	7.95	17.49	6.36
पूर्व क्षेत्र– तालचेर एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	97.24	29.17	53.48	14.59
ताप विद्युत				

अमरकंटक काम्पलेक्स	60.43	18.73	16.92	24.78
अमरकंटक विस्तार	151.51	46.97	42.42	62.12
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I II III	281.55	87.28	78.83	115.44
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	318.54	98.75	89.19	130.60
संजय गांधी टीपीएस	277.01	85.87	77.56	113.57
जल विद्युत				
गांधी सागर	3.82	0.76	1.14	1.91
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	3.57	0.71	1.07	1.79
पेंच	13.09	2.62	5.24	5.24
राजघाट	6.21	1.24	2.49	2.49
सम्पूर्ण मप्र राज्य हेतु आवंटन				
बरगी	18.56	5.57	9.28	3.71
बिरसिंहपुर	5.37	1.61	2.68	1.07
बाणसागर–I	132.12	39.64	52.85	39.64
बाणसागर–II	9.83	2.95	3.93	2.95
बाणसागर–III	13.13	3.94	5.25	3.94
बाणसागर–IV	11.40	3.42	4.56	3.42
मढ़ीखेढ़ा	27.28	8.18	13.64	5.46
इंदिरा सागर	551.65	110.33	303.41	137.91
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत–पवन ऊर्जा उत्पादन	0.00	0.00	0.00	0.00
कैप्टिव	0.00	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	240.61	72.18	120.30	48.12
ओंकारेश्वर	288.58	86.57	144.29	57.72
योग	**3230.43**	**964.34**	**1251.82**	**1014.27**

परिवर्तनीय लागत (Variable Cost)

3.70 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर,एक्स बस पर सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, पूर्व उल्लेखित अनुच्छेदों में की गई चर्चानुसार परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभार, क्रय हेतु मानी गई उपलब्धता के अनुसार लिये गये हैं जैसा कि यह नीचे दर्शाई गई तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 40 : स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत **(करोड़ रूपये में)**

स्टेशन का नाम	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	163.23	72.52	102.73	338.49
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	130.41	254.77	127.03	512.20
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–II	141.22	116.28	137.12	394.62
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	16.39	134.53	12.22	163.14

पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	21.42	115.10	13.10	149.62
पश्चिमी क्षेत्र– काकरापार एपीएस	33.15	44.13	33.11	110.39
पश्चिमी क्षेत्र– तारापुर एपीएस	92.35	123.25	92.40	308.01
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस –III	78.57	126.06	99.59	304.22
पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–II	70.22	27.96	62.92	161.09
पूर्वी क्षेत्र– फरक्का एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस–II	13.51	83.43	10.44	107.37
पूर्वी क्षेत्र– तालचेर एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	16.73	30.67	8.37	55.77
ताप विद्युत				
अमरकंटक काम्प्लेक्स	42.02	37.96	55.58	135.56
अमरकंटक विस्तार	41.64	37.61	55.07	134.33
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	271.16	244.91	358.62	874.69
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	118.31	106.86	156.48	381.65
संजय गांधी टीपीएस	192.09	173.50	254.05	619.65
जल विद्युत				
अंतर्राज्यीय				
गांधी सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
पेंच	0.00	0.00	0.00	0.00
राजघाट	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण मप्रआवंटन				
बरगी	0.00	0.00	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–I	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–II	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर– III	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	0.00	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	5.06	6.75	5.06	16.87
कैप्टिव	5.76	7.68	5.76	19.19
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**1,453.26**	**1,743.97**	**1,589.65**	**4,786.88**

3.71 सुयोग्यता क्रम के प्रेषण के अनुसार दीर्घ–अवधि क्रयों (long-term purchases) को अनुज्ञेय करने के उपरान्त, विभिन्न माह के दौरान 1966 मिलियन यूनिट विद्युत की व्यवस्था की जानी होगी। इस शेष आवश्यकता में से, 1693 मिलियन यूनिट की आपूर्ति 216.66 पैसे प्रति यूनिट

की भारित औसत दर पर की जा सकती है। इसके बाद, 273 मिलियन यूनिट की शेष आवश्यकता की आपूर्ति माह जून, जुलाई, 2011 हेतु बचती है।

3.72 273 मिलियन यूनिट की शेष आवश्यकता **(लघु अवधि)** को अनुप्तिधारियों द्वारा क्रय किया जाएगा, जिस हेतु रू. 3.00 प्रति यूनिट की अनन्तिम (Provisional rate) दर को माना गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई रू. 4.00 प्रति यूनिट दर की लघु अवधि विद्युत दर को युक्तियुक्त नहीं माना गया है क्योंकि इस दर को सुसंबद्ध आंकड़ों/औचित्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में, आयोग यह मानता है कि चालू बाजार की प्रवृति पर आधारित वर्तमान में रू. 3.00 प्रति यूनिट से अधिक दर पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि ये दरें क्रय के मौसम तथा समय के साथ–साथ प्रचलित मांग–प्रदाय के परिदृश्य पर निर्भर, वृहद रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। इस आदेश के अन्तर्गत, लघु –अवधि विद्युत क्रय हेतु प्रावधानित दर मात्र अनन्तिम दर है। लद्यु–अवधि हेतु क्रय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया या विद्युत के विनिमय केन्द्रों (market exchanges) के माध्यम से बाजार विक्रय दर (market clearing price) पर किया जाना चाहिए जो कि इस आदेश के सत्यापन के दौरान इसके युक्ति–युक्त होने की सूक्ष्म जांच के अध्यधीन होगा।

3.73 **मप्र ट्रेडको का व्यापारिक लाभ (M.P. Trading Margin)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 4 पैसे प्रति यूनिट की दर से ट्रेडको लाभ (margin) का दावा किया गया है। आयोग द्वारा ट्रेडको लाभ का अवधारण अभी किया जाना शेष है जिसके लिये एमपी ट्रेडको द्वारा एक पृथक याचिका दायर की गई है। अतः इस आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

ट्रेडको तथा लघु अवधि (Tradeco & Short Term)

3.74 अनन्तिम दरों के आधार पर, ट्रेडको तथा लघु अवधि स्त्रोतों की विद्युत क्रय लागत निम्नानुसार है :

तालिका 41 : ट्रेडको से अनुज्ञेय की गई ऊर्जा की आवश्यकता : आवंटन

विवरण	आपूर्ति योग्य ऊर्जा जिसकी व्यवस्था की जाना है (मिलियन यूनिट में)				दर	प्रभार (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य	प्रति पैसे यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
आपूर्ति योग्य आवश्यकता	15	1827	124	1966					
ट्रेडको द्वारा	13	1571	109	1693	216.66	2.76	340.47	23.65	366.88
अवशेष आवश्यकता	3	255	15	273	300.00	0.78	76.64	4.42	81.84

अन्तर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (Inter-State and Inter-Regional Transmission charges)

3.75 मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभारों में पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार शामिल हैं।

3.76 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 की टैरिफ अवधि हेतु, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2010–11 के वास्तविक देयकों के आधार पर किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है। आयोग द्वारा राज्य को ट्रेडको के माध्यम से उपलब्ध विद्युत उत्पादक स्टेशनों की क्षमताओं पर विचार किया गया है, जिन्हें राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को पीजीसीआईएल प्रभारों को आवंटन करते समय राज्य को आवंटित किया गया है। निम्न तालिका पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये प्रभारों के विवरण प्रदर्शित करती है।

तालिका 42 : विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	अंशदान मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1321	88.35
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	2076	138.90
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1225	102.04
योग	**4922**	**329.29**

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (Intra-state Transmission Charges)

3.77 आयोग द्वारा प्रत्येक वितरण कम्पनी द्वारा एमपी पावर ट्रांसमिशन कं. लिमिटेड को देय वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के पारेषण आदेश में किया गया था। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों को निम्न दर्शाई तालिका के अनुसार स्वीकृत किया गया है :

तालिका 43 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मध्य क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	पूर्व क्षेत्र विविकं.	योग
क्षमता (मेगावाट में)	3125	3237	2867	9299
राशि (करोड़ रूपये में)	287.99	298.31	264.22	850.52
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाएं तथा पेंशन संबंधी व्यय	109.81	147.06	105.04	361.91
कुल ट्रांसकों प्रभार (करोड़ रूपये में)	397.80	445.37	369.26	1212.43

3.78 मप्रराविमं (MPSEB)/उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) के विरूद्ध व्ययों के विषय में, वे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के साथ–साथ पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के संबंध में भी, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टर्मिनल प्रसुंविधाएं तथा पेंशन व्यय, अनुसार अनन्तिम आधार पर देयता के अनुसार आवंटन अर्थात् ''pay as you go'' सिद्धांत के अनुसार **रू. 361.90 करोड़** की सीमा के अन्तर्गत एमपी ट्रांसको को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी उनकी याचिका में दायर की गई दावा राशि के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं। चूंकि आयोग द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है, ये प्रभार, इन्हें अधिसूचित किये जाने पर, अन्तिम विनियम के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC charges)

3.79 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 6.56 करोड़ की राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों (SLDC charges) के रूप में अनुज्ञेय की गई है। इसे सम्पूर्ण राज्य आवश्यकता (ARR) में पृथक मद के रूप में दर्शाया गया है। आदेश के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनीवार राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) प्रभार निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 44 : राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	मध्य क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	पूर्व क्षेत्र विविकं	योग
राशि (करोड़ रूपये में)	2.30	2.22	2.04	6.56

3.80 कुल ऊर्जा क्रय लागत, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया है, की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका 45 : स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
स्थाई प्रभार (Fixed charges)	964.34	1251.82	1014.27	3230.43
परिवर्तनीय प्रभार (Variable charges)	1453.26	1743.97	1589.65	4786.88
विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य परस्पर व्यापार	-114.99	248.79	-133.80	0.00
अनापूर्तित (un-met) ऊर्जा प्रभार				
ट्रेडको	2.76	340.47	23.65	366.88
शेष–लघु अवधि	0.78	76.64	4.42	81.84
विद्युत क्रय लागत	**2306.15**	**3661.69**	**2498.19**	**8466.03**
पीजीसीआईएल प्रभार	102.04	138.90	88.35	329.29
एमपीपीटीएल प्रभार*	369.26	445.37	397.80	1212.43
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	2.04	2.22	2.30	6.56
महायोग	**2779.49**	**4248.18**	**2986.64**	**10014.31**

**उपरोक्त एमपीपीटीसीएल प्रभारों में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं तथा पेंशन हेतु रूपये 361.90 करोड़ की राशि शामिल है।*

नेटवर्क की लागतें (Net Work Costs)

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/Capitalization of Assets)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण (Licensees' Submissions)

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (East Discom)

पूंजी निवेश (Investments)

3.81 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं, जैसे कि संभरक पृथक्करण (Feeder Segregation), एशिया विकास बैंक (ADB), आरएपीडीआरपी (RAPDRP), सब ट्रांसमिशन (नार्मल) अथवा ST(N), टीएसपी (TSP) के अंतर्गत विस्तृत पूंजी निवेश योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। पूंजीगत निवेश योजना के अन्तर्गत निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :

- हानि में कमी की जाना (Loss Reduction)
- प्रणाली सुद्धढ़ीकरण (System Strengthening)
- संभरक पृथक्करण के माध्यम से ग्रामीण आवासों में नियमित विद्युत प्रदाय (Regular Supply to Rural households through Feeder Segregation)
- सेवाओं की विश्वसनीयता (Reliability of Services)
- ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)

तालिका 46 : पूंजी निवेश योजना **(राशि करोड़ रुपये में)**

योजना	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	30.00	35.00
टीएसपी	21.00	30.00
एससीएसपी	33.75	40.00
संभरक पृथक्करण (पूंजीगत) [(Feeder Separation (Capital)]	20.92	100.56
संभरक पृथक्करण (पूंजीगत) चरण–1 (आईडीसी)	3.27	61.39
संभरक पृथक्करण (पूंजीगत) चरण–2 (आईडीसी)		41.00
एडीबी, ईआरपी सम्मिलित करते हुए	100.00	248.00
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) ऋण	10.00	37.91
किसान महापंचायत – नवीन कृषि पम्प संयोजन	5.00	5.00
संभरक पृथक्करण ऋण (आरईसी) चरण–1	83.60	585.20
संभरक पृथक्करण ऋण (आरईसी) चरण–2		485.91
आरएपीडीआरपी	181.72	414.00
आरजीवीवीवाई (अनुदान)	90.00	341.17
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	30.82	–
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्विपक्षीय (काऊन्टर फंड्स) (एडीबी)	20.00	93.08
उपभोक्ता निक्षेप (Deposits)	43.00	45.00
योग	**673.08**	**2563.22**

पूंजीकरण (Capitalization)

3.82 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके पास दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार, रू 640.76 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर {Capital Works In Progress (CWIP)} हैं। प्रक्षेपण अवधि हेतु, पूंजीकरण निम्नानुसार माना गया है :

3.83 यह माना गया है कि वार्षिक आधार पर कुल पूंजी निवेश योजना की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 65% तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 75% होगी। किसी वर्ष हेतु सम्पूर्ण क्रियान्वित किये गये पूंजी निवेश को प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि में जोड़कर वर्ष हेतु अन्तिम निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि की प्राप्ति की जाएगी।

3.84 सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि हेतु पूंजीकरण दर एक समान रखी गई है, अर्थात् प्राप्त की गई पूंजी का 50 प्रतिशत।

3.85 निम्न तालिका में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का वर्षवार विभाजन दर्शाया गया है :

तालिका 47 : निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का वर्षवार विभाजन (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2009–10	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	640.76	766.91	830.89
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेशकी राशि	378.53	666.19	2377.88
पूंजीगत किया गया निवेश	–252.38	–602.21	–1465.00
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अन्तिम शेष	**766.91**	**830.89**	**1743.77**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

पूंजीगत व्यय योजना (Capital Expenditure Plan)

3.86 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान तथा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान कई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। ये योजनाएं निम्न लक्ष्यों पर विचार करते हुए विकसित की गई हैं :

(ए) क्षमता निर्माण (Capacity Building)
(बी) प्रणाली सुदृढ़ीकरण (System Strengthening)
(सी) वोल्टेज में सुधार (Voltage Improvement)
(डी) हानि में कमी की जाना (Loss Reduction)
(ई) उपभोक्ता सेवा (Consumer Service)
(एफ) सेवा की विश्वसनीयता (Reliability of Service)
(जी) ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)

(एच) अमीटरीकृत संयोजन को मीटरीकृत करना (Meterisation of unmetered connection)

(आई) संभरक द्विभाजन (Feeder Bifurcation)

3.87 वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 हेतु अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजना निम्नानुसार है :

तालिका 48 : पूंजी निवेश योजना **(करोड़ रूपये में)**

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2010–11 की योजना	वित्तीय वर्ष 2011–12 की योजना
1	एशिया विकास बेंक (एडीबी) –टीआर–IV	196.00	47.00
2	एशिया विकास (एडीबी) –टीआर–V		
3	पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	0.00	0.00
4	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)	0.00	0.00
5	आर–एपीडीआरपी– I	19.00	18.00
6	आर–एपीडीआरपी– II	40.48	138.40
7	जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	76.22	19.06
8	नवीन कृषि पम्प	5.00	5.00
9	संभरक द्विभाजन	2.50	0.00
10	प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एसटीएन)	31.92	35.16
11	प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एससीएसपी)	56.50	46.23
12	संभरक द्विभाजन मय ग्रामीण स्तर तक उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS)	56.40	884.10
13	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) (मीटरीकरण योजना)	0.00	0.00
	योग	**484.02**	**1,192.95**

निर्माण कार्य प्रगति पर का सकल स्थाई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति वर्ग) में अंतरण {Transfer of CWIP to GFA (Asset Class)}

3.88 वित्तीय वर्ष 2009–10 की अवधि के लेखों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी के पास निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की रू. 1,178.86 करोड़ की धारित राशि थी। प्रक्षेपण अवधि के दौरान, पूंजीकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार अवधारण किया गया है :

1. माना गया है कि वर्ष के दौरान कुल पूंजी निवेश योजना का निष्पादन कर लिया जाएगा। किसी वर्ष हेतु सम्पूर्ण क्रियान्वित किये गये पूंजी निवेश को प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि में जोड़कर वर्ष हेतु अन्तिम निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि की प्राप्ति की गई है।

2. वर्ष के दौरान, नवीन पूंजी निवेश पूंजीकरण योजना तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की पूंजीकरण योजना क्रमशः 20%, तथा 60%, मानी गई है तथा पूंजीकरण दर क्रमशः 20%, तथा 40% मानी गई है।

3. पिछले रूझान के अनुसार, व्ययों को भिन्न–भिन्न दरों पर पूंजीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011 तथा वित्तीय वर्ष 2012 हेतु परिसम्पत्ति पूंजीकरण विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 49 : पूंजीकरण योजना (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2012
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	1178.86	1,349.27
वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की नवीन राशि	507.72	1,227.05
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया कुल पूंजी निवेश	337.32	1,021.59
प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	235.77	471.54
नवीन पूंजी निवेश में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	101.54	550.04
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अन्तिम शेष	1,349.27	1,554.73

ऋणों की निबन्धन तथा शर्तें (Terms & Conditions of the Loans)

3.89 निम्न तालिका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 11 तथा वित्तीय वर्ष 12 हेतु आहरित किये जाने वाले प्रस्तावित ऋणों की निबन्धन तथा शर्तों संबंधी जानकारी प्रस्तुत करती है। ऐसे प्रकरणों में, जहां प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना हेतु कुछ अगठबन्धित वित्तीय प्रबन्धन अंश (untied up financing portion) है, उनका वित्तीय प्रबंधन ''अन्य बाजार ऋण प्राप्तियों (Other Market Borrowings)'' से किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका 50 : वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan)

वित्तीय प्रबंधन संस्था	ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि (वर्षों में)	वार्षिक किस्तों की संख्या
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	12.5%	5	7
एशिया विकास बैंक (एडीबी)	10.5%	5	15
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन (आरईसी)–जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	10.9%	5	10
पुनरीक्षित एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम (आर–एपीपीडीआरपी)	11.5%	3	7
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) –एसटीएन	12.5%	1	10
सामान्य (बंध पत्र एवं ऋण पत्र सम्मिलित कर)	10.5%	1	10
ग्रामीण स्तर तक संभरक द्विभाजन, एचवीडीएस को सम्मिलित कर	10.5%	1	10
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (मीटरीकरण)	12.5%	1	10

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (Central Discom)

पूंजी निवेश (Investments)

3.90 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पूंजीगत व्यय योजना (CAPEX PLAN), मय त्रैमास अन्त जून 2010 तथा सितम्बर 10 हेतु योजनावार

त्रैमासिक उपलब्धि आयोग को माह अक्टूबर 10 में प्रस्तुत की जा चुकी है। पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत, नियन्त्रण अवधि 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राक्कलित पूंजी निवेश का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 51 : पूंजी निवेश योजना **(करोड़ रूपये में)**

योजना	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
एशिया विकास बैंक (एडीबी)–II	139.92	250.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	100.00	195.34
आर–एपीडीआरपी	62.62	250.00
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन(जेबीआईसी)	–	–
नवीन कृषि पम्प	5.00	15.00
संभरक पृथक्करण	45.09	870.41
टीएसपी/एससीएसपी (मप्र शासन की पूंजी)	84.61	150.00
हडको सहायता से नवीन योजना	68.49	68.92
पीएफसी (द्वितीय पक्ष वित्तीय प्रबंधन)	0.00	0.00
डीएफआईडी (अनुदान)	20.0	0.00
मप्र शासन पूंजी/एसएसटीडी/एमडी	0.00	0.00
बाजार से ऋण की प्राप्ति (हानि कम किये जाने संबंधी उपाय)	0.00	0.00
योग	**525.73**	**1799.67**

3.91 योजना के प्राक्कलन को माह अक्टूबर 2010 में प्रस्तुत किया गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/अन्य विभिन्न संसाधनों से निधि की उपलब्धि के अध्यधीन इसे पुनरीक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय प्रबन्धन योजना (Financing Plan)

3.92 उपरोक्त प्रस्तावित निवेश योजना हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत योजनावार वित्तीय प्रबंधन स्त्रोतों की संक्षेपिका निम्नानुसार है :

तालिका 52 : वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan)

योजनाएं	पीएफसी	जेबीआईसी	आरईसी	एडीबी	भारतीय स्टेट बैंक	हडको	मप्र शासन /भारत सरकार	उपभोक्ता अंशदान	अनुदान
एशिया विकास बैंक (एडीबी)			**45%**	**55%**					
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)							**100%**		
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (हडको)						**61%**	**39%**		
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना			**10%**				**90%**		
म प्र शासन (टीएसपी)							**100%**		
मप्र शासन (एससीएसपी)							**100%**		
डीएफआईडी (ईआरपी)						**58%**			**42%**
संभरक पृथक्करण (पीएचआई)			**96%**				**4%**		
आर–एपीडीआरपी	**84%**					**16%**			
नवीन संयोजन (निक्षेप)–न्यू कनेक्शन डिपाजिट								**35%**	**65%**

पूंजीकरण (Capitalization)

3.93 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके पास दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में रू 511.55 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर {Capital Works In Progress (CWIP)} हैं तथा यह राशि वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार है। परियोजना की प्रक्षेपण अवधि हेतु, पूंजीकरण निम्नानुसार माना गया है :

(अ) यह माना गया है कि कुल पूंजी निवेश योजना के 80% से उपलब्धियां वर्ष हेतु वसूल की गई पूंजी निवेश राशियां होंगी। अन्तिम निर्माण कार्य प्रगति पर राशि की प्राप्ति हेतु एक वर्ष हेतु सम्पूर्ण अपेक्षित पूंजी निवेश राशि प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) राशि में जोड़ दी जाएगी।

(ब) वर्ष हेतु पूंजीकरण दर सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का 80% मानी गई है।

(स) पूर्व के रूझान पर आधारित, व्ययों को भिन्न–भिन्न दरों पर पूंजीकृत किया गया है। मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses) का पूंजीकरण 3.53% की दर से किया गया है जबकि कर्मचारी व्ययों (employee expenses) तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों (A&G Expenses) का पूंजीकरण क्रमशः 3.49% तथा 1.39% की दर से किया गया है।

तालिका 53 : पूंजीकरण योजना **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010	वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2012
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	381.89	511.55	267.61
वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की नवीन राशि	277.20	511.32	1641.84
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया कुल पूंजी निवेश	147.54	755.26	1,447.89
प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश		409.24	214.08
नवीन पूंजी निवेश में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश		346.02	1233.81
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अन्तिम शेष	511.55	267.61	461.55

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.94 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में अनुज्ञप्तिधारियों हेतु व्यवसाय योजना, पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना तथा पूंजीकरण हेतु मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3.95 विनियमों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष माह जुलाई में एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप इस बावत् विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना तथा भौतिक लक्ष्यों तक ही सीमित न होते हुए विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि हेतु भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि की आपूर्ति हेतु भी होगा।

3.96 पूंजीगत योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा तथा उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को पूंजी निवेश योजना को नियमित रूप से आयोग से अनुमोदन कराना होगा।

3.97 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, इस याचिका के अन्तर्गत पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत की गई है। वित्तीय वर्ष 2007–08, वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुज्ञप्तिधारियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि की प्रगति दर्शाती है कि सकल वित्तीय परिसम्पत्तियों (Gross Financial Assets-GFA) में वृद्धि निम्नानुसार रही है :

तालिका 54 : वित्तीय प्रबंधन योजना (Financing Plan) (वर्ष 2008 से 2010 तक)

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2007–08	194.34	127.45	345.16
वित्तीय वर्ष 2008–09	305.27	180.41	349.76
वित्तीय वर्ष 2009–10	252.38	75.40	173.24

3.98 उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी परिसम्पत्तियों में वृद्धि की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित की गई परिसम्पत्ति में वृद्धियां निम्नानुसार हैं :

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2010–11	602	337	755
वित्तीय वर्ष 2011–12	1465	1022	1448

उपरोक्त तालिकाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के निर्माण कार्यों (Capital Works) के निष्पादन के साथ–साथ परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण में भी पूर्व में किया गया प्रदर्शन किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में काफी कम है। अतएव, आयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु किये गये प्रक्षेपणों को स्वीकार नहीं कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की विद्युत–दर के अवधारण (Tariff formulation) हेतु, आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई वास्तविक परिसम्पत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु परिसम्पत्तियों में की गई वृद्धियों की गणना की है।

संचालन एवं संधारण लागतें (Operation and Maintenance Costs)

अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.99 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा संचालन एवं संधारण लागतों की गणना वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रक्षेपित अन्तिम शेष के आधार पर की गई है। उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका के समर्थन में विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों को उल्लिखित भी किया गया है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन तथा संधारण व्ययों को वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर शीर्ष ''वास्तविक–अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर (as per actual additional submission)'' के अंतर्गत किया गया है। याचिका का आधार उनकी याचिका में ही प्रस्तुत किया गया है।

3.100 उनके द्वारा संचालन एवं संधारण की विभिन्न भागों हेतु किये गये व्यय के समर्थन में निम्न कारण उद्धरित किये गये हैं :

(i) वर्ष 2010–11 के दौरान, आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के विभिन्न आदेशों के अनुसरण में, विद्युत वितरण कम्पनी ने चार ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियों, अर्थात्, नौगांव, सीधी, लौंडी, तथा अमरपाटन का विद्युत वितरण व्यापार, 15 अगस्त, 2010 से अधिग्रहण कर लिया है। अतएव, उनके द्वारा कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक व्यय, संयंत्र तथा मशीनरी के मरम्मत तथा अनुरक्षण, लाईनों तथा केबलों, आदि के रूप में अतिरिक्त संचालन व्यय वहन करना पड़ रहा है। पूर्व में ये व्यय तत्संबंधी सोसायटियों द्वारा वहन किये जा रहे थे।

(ii) म.प्र. शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान कर्मचारियों को देय सामान्य वार्षिक वृद्धि के अलावा कर्मचारियों, पेंशन भोगियों की मंहगाई भत्तों में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(iii) आयोग के विनियम वर्ष 2009 से लागू किये गये हैं। तथापि, छटे वेतन आयोग तथा तत्पश्चात् मंहगाई भत्ते में वृद्धि के प्रभाव को पूर्ण तौर पर सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। अतएव, उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कर्मचारी लागत को पूर्ण रूप से यथोचित मान्य करे।

(iv) कर्मचारी लागत को माह सितम्बर 2010 तक आगामी छः माह हेतु उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है। वित्तीय वर्ष 1201–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कर्मचारी लागत में मंहगाई वेतन में वृद्धि के कारण वेतन की लागत में होने वाली वृद्धि तथा ग्रामीण विद्युंतीकरण सहकारी सोसायटी के उपभोक्ताओं के कम्पनी उपभोक्ताओं के साथ संविलियन (coalescence) के प्रभाव के समायोजन हेतु कर्मचारी लागत मे 10 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है।

(v) टर्मिनल प्रसुविधाओं को कर्मचारी लागत के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

(vi) मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees) को प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों (A&G Expenses) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

(vii) सोसायटी क्षेत्र के प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों (A&G expenses) को वित्तीय वर्ष 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रक्षेपित किया गया है तथा तत्पश्चात् इनमें 6.14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सोसायटी क्षेत्र हेतु अतिरिक्त लागत रू. 2.97 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु), रू. 3.15 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु), तथा रू. 3.34 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु) का प्रावधान किया है।

(viii) सोसायटियों के क्षेत्रीय मरम्मत एवं अनुरक्षण (R&M) व्ययों के प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किये गये हैं तथा तत्पश्चात् इनमें 6.14% की वृद्धि की गई है क्योंकि कुछ सोसायटियों के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण (Audit) अभी लंबित है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के क्षेत्र में उचित पूंजीगत योजना को तैयार किया जाना तथा आयोग से इसका अनुमोदित कराया जाना अभी शेष है। अतएव, स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रक्षेपण अभी नहीं किये जा सकते हैं। इनके लिये अतिरिक्त व्यय रू. 1.09 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु) तथा रू. 1.16 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु) प्रक्षेपित किये गये हैं।

(ix) उपरोक्त उल्लेखित व्ययों के अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियम की कण्डिका 32.7 के अनुसार, संचालन तथा संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचारार्थ विद्यमान कर्मचारियों की टर्मिनल प्रसुविधाओं (पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य व्यय) हेतु चालू दायित्वों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु) के लिये रू. 140.92 करोड़ की राशि का दावा भी किया गया है।

(x) इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर कम्पनियों के गठन की तिथि से, अर्थात् दिनांक 1.6.2005 से 31.3.2011 तक रू. 657.05 करोड़ के व्यय कर्मचारियों की टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान/अंशदान के अतिरिक्त दायित्वों के प्रति देय होंगे।

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन (करोड़ रूपये में)

विवरण	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
कर्मचारी लागत (Employee cost)	473.91	658.10
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	77.87	99.23
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	55.98	57.14
संचालन एवं संधारण व्ययों की अन्य मदों हेतु (other items of O&M expenses)	141.42	–
मीटरीकृत विक्रय हेतु प्रोत्साहन (metered sale incentive)	–6.54	–
योग	**742.65**	**814.47**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.101 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन एवं संधारण व्ययों को विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों तथा प्रक्षेपित किये गये वास्तविक संचालन तथा संधारण व्ययों के आधार पर दाखिल किया गया है।

3.102 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आयोग द्वारा संचालन तथा संधारण व्ययों को वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित लेखों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर स्वीकार किया जाए न कि विनियमों के आधार पर क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी का यह मत है कि चालू बहुवर्षीय टैरिफ

अवधि के अन्तर्गत तत्संबंधी विनियमों में निर्दिष्ट किये गये मानदण्ड अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्याशित किये जाने वाले संचालन तथा संधारण व्ययों का वास्तविक परिदृश्य प्रतिबिंबित नहीं करते हैं ।

3.103 कर्मचारी व्ययों से संबंधित आंकड़े छटे वेतन आयोग के मानदण्डों, मुद्रा स्फीति दर (Inflation Rate), वास्तविक आंकड़ों (Historical Figures) के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित की गई अवधारणाएं विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व वर्षों के लेखों की अंकेक्षित पुस्तकों से प्राप्त की गई हैं।

टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) :

3.104 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि चालू वर्ष के व्यय में की गई वृद्धि टर्मिनल प्रसुविधाओं के पुनरीक्षित प्रावधान पर आधारित हैं जो वित्तीय वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष 2011 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों के पूर्व दायित्वों से संबंधित जीवनांकिक प्रतिवेदन (Acturial Report) के अनुसार रू. 651.45 करोड़ हैं। जीवनांकिक प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 130.95 करोड़ की राशि का दावा किया गया है।

3.105 विद्युत वितरण कम्पनी ने जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (Acturial Valuation Report) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व सेवा दायित्वों की पूर्ति हेतु रू. 768.22 करोड़ की लागत विनियामक परिसम्पत्तियों (Regulatory Assets) के रूप में अनुज्ञेय किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

तालिका 57 : टर्मिनल प्रसुविधा दायित्व **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नगदीकरण	पेंशन	कुल दायित्व
जीवनांकिक (actuary) आधार पर पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी से संबंधित निर्धारित किये गये पूर्व सेवा दायित्व (दिनांक 1.6.2005 से 31 मार्च 2009 तक)	52.41	19.95	348.76	421.12
वर्ष 2009–10	23.40	2.96	101.60	127.96
वर्ष 2010–11	18.81	2.38	81.18	102.37
वर्ष 2010–11 तक का योग	**94.62**	**25.29**	**531.54**	**651.45**
वर्ष 2011–12 (वर्ष 2011–12 की कर्मचारी लागत में पूर्व में ही सम्मिलित कर ली गई है)	21.44	2.71	92.62	116.77
वर्ष 2011–12 तक का योग	116.06	28.00	624.16	768.22

3.106 **बकाया राशि (Arrears)** – छटे वेतन आयोग के मानदण्डों का उपयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2010 हेतु वार्षिक अंकेक्षित लेखों में संभूति (accrual) आधार पर दाखिल की गई राशि रू. 167.21 करोड़ है।

तालिका 58 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन (करोड़ रूपये में)

विवरण	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
मरम्मत तथा अनुरक्षण (Repair & Maintenance)	48.72	48.72
कर्मचारी लागत (Employee cost)	575.54	662.98
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (Administrative and General expenses)	97.92	102.42

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.107 विद्युत वितरण कम्पनी ने संचालन तथा संधारण व्ययों के दावे विनियमों तथा प्रक्षेपित वास्तविक संचालन तथा संधारण व्ययों के अनुसार आगे दिये गये हैं :

3.108 विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के भविष्यगामी सेवाकाल दायित्वों के साथ–साथ पूर्व के सेवाकाल के दायित्वों, पेंशनभोगियों/परिवार पेंशन भोगियों को सम्मिलित करते हुए तथा भविष्य की अंशदान दरें (future contribution rates) निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई हैं :

तालिका 59 : दाखिल किये गये सेवा दायित्व **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नगदीकरण	पेंशन	कुल दायित्व
31.3.2009 तक की स्थिति में पूर्व सेवा दायित्व	337.17	127.31	1471.68	1936.16
भविष्यगामी सेवा दायित्व	104.65	12.28	462.57	579.50
कुल सेवा दायित्व	441.82	139.59	1934.25	2515.66

3.109 इसके अतिरिक्त, दिनांक 1.06.2005 की अवधि तक तथा तत्पश्चात् की अवधि के दायित्वों का विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 60 : दाखिल किया गया पूर्व दायित्वों का विभाजन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	ग्रेच्युटी	नगदीकरण	पेंशन		कुल दायित्व
			कर्मचारियों संबंधी	पेंशनभोगी/परिवार पेंशन– भोगियों से संबंधित	
31.3.2009 तक की स्थिति में पूर्व सेवाकाल के दायित्व	337.17	127.31	1471.68	619.99	2556.15
मप्रराविमं से संबंधित दायित्व (दिनांक 1.06.2005 तक के)	284.63	106.29	1242.75	523.38	2157.05
अन्तर	48.54	21.02	228.93	96.61	409.10

3.110 दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में, पूर्व के सेवाकाल के दायित्वों का विभाजन, पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के दायित्व, भविष्य की अंशदान दर (मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में + ग्रेड वेतन + मंहगाई भत्ता) को शामिल करते हुए, जिनका भुगतान विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भविष्य के सेवाकाल के कारण दायित्वों की पूर्ति हेतु किया जाना होगा, निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 61 : भविष्यगामी सेवाओं हेतु दाखिल किये गये सेवा के दायित्व **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	राशि
कर्मचारियों की संख्या	12585
कुल वेतन (प्रतिमाह करोड़ रूपये में)	27.23
ग्रेच्युटी हेतु प्रति वर्ष अंशदान दर (%)	4.56%
अवकाश नगदीकरण प्रति वर्ष अंशदान दर (%)	0.54%
पेंशन हेतु प्रति वर्ष अंशदान दर (%)	20.15%
प्रति वर्ष कुल अंशदान दर (%)	25.25%

दिनांक 31.3.2010 तक के दायित्व रू. 491.23 करोड़

दिनांक 31.3.2011 तक के दायित्व रू. 580.86 करोड़

इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस राशि को संपूर्ण राजस्व आवश्यकता के व्ययों में शामिल नहीं किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनी के दावे निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 62 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	65.97	65.97
कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	489.69	530.04
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (A&G Expenses)	73.84	79.62

संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on O&M Expenses)

3.111 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु संचालन एवं संधारण व्यय के मानदण्ड परिभाषित किये गये हैं।

3.112 संचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी (Employee) लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) लागत शामिल होते हैं। विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु कर्मचारी व्ययों, बकाया राशि भुगतान तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की राशि का प्रावधान किया गया है। विनियमों में मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय प्रारंभिक

सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में 2% की दर से पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु तथा 2.3% की दर से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु अनुज्ञेय किये गये हैं। इन मानदंडों में कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाली पेंशन, टर्मिनल प्रसुविधाएं, शासन को देय कर, मप्रविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को भुगतान योग्य शुल्क शामिल नहीं है। व्ययों की राशि की गणना के आधार संबंधी विवरण, बकाया राशि के भुगतान संबंधी व्ययों को सम्मिलित कर, विनियमों में प्रदान किये गये हैं।

3.113 छठवें वेतन आयोग के कारण दिनांक 31.8.08 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के भुगतान का सत्यापन करते समय, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संचालन एवं संधारण व्ययों में इस हेतु सम्मिलित की गई राशि की तुलना वास्तविक रूप से किये गये भुगतान से की जाएगी तथा इनमें पाये गये किसी अन्तर को समायोजित किया जाएगा।

3.114 मप्रराविमं (MPSEB)/उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) के विरूद्ध व्ययों के संबंध में, वे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के साथ–साथ पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के संबंध में भी, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय अनन्तिम आधार पर ''देयता अनुसार भुगतान ''(pay as you go)'' सिद्धांत के आधार पर **रू. 361.90 करोड़** की सीमा के अन्तर्गत एमपी ट्रांसको को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी उनकी याचिका में दायर की गई दावा राशि के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं।

3.115 विनियमों की कंडिका 32.11 के अन्तर्गत मीटरीकृत विक्रय में वृद्धि/कमी होने पर प्रोत्साहन/अप्रोत्साहन के संबंध में मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं। आयोग वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इस मद के संबंध में समुचित रूप से प्रावधान सत्यापन के समय करेगा।

3.116 आयोग शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क के संबंध में, वास्तविक राशि के आधार पर, पृथक से अनुज्ञेय करेगा।

3.117 संचालन एवं संधारण व्ययों हेतु मानदण्ड निम्न अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

3.118 **मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय** : वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी हेतु 2% की दर से, पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2% की दर से तथा मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2.3% की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे।

तालिका 63 : मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विवि कम्पनी.		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
दिनांक 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2196.64	2061.31	2217.86
वित्तीय वर्ष 2011* के दौरान मानी वृद्धि	250.66	127.75	289.39
दिनांक 1 अप्रैल 2011 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2447.30	2189.06	2507.24
मरम्मत तथा संधारण व्यय हेतु अनुज्ञेय प्रतिशत	2.00%	2.00%	2.30%
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय का योग	**48.95**	**43.78**	**57.67**

** अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 11 के दौरान की गई वृद्धि, को पूर्व के तीन वर्षों की सकल स्थाई परिसम्पत्ति में हुई वृद्धि का औसत लिया गया है।*

3.119 **कर्मचारी व्यय** विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार लिये गये हैं। नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु, छटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन द्वारा कर्मचारी लागत पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है जिसमें अनुवर्ती वर्षों के दौरान 6.14 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु दिनांक 31.8.2008 तक देय बकाया राशि (एरियर्स) के भुगतान हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 33.37 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 31.31 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 29.52 करोड़ के प्रत्याशित व्यय अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु प्रत्येक वर्ष में एक–तिहाई भी माना गया है।

तालिका 64 : विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु टैरिफ विनियम के अनुसार कर्मचारी व्यय, बकाया राशि को छोड़कर	415.06	389.37	367.15
जोड़ें : वृद्धि दर @ 6.14%	6.14%	6.14%	6.14%
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कर्मचारी व्यय, बकाया राशि को छोड़कर	440.54	413.28	389.52
बकाया राशि	33.37	31.31	29.52
योग	**473.91**	**444.59**	**419.21**

3.120 विनियमों के अनुसार **प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों** का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 65 : विनियम के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	73.37	64.39	69.57
जोड़ें : वृद्धि दर @ 6.14%	6.14%	6.14%	6.14%
विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–112 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**77.87**	**68.34**	**73.84**

3.121 **कुल संचालन एवं संधारण व्यय** : आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल **संचालन एवं संधारण व्यय** निम्नानुसार अनुज्ञेय किये गये हैं :

तालिका 66 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	48.95	43.78	57.67
कर्मचारी व्यय	473.91	444.59	419.21
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	77.87	68.34	73.84
योग	600.73	556.71	550.72
कुल अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	**600.73**	**556.71**	**550.72**

अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.122 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कथित विनियमों के परिशिष्ट–III की दरों पर आधारित अवक्षयण मॉडल (Deperclation Model) विकसित किया गया है। तथापि, दिनांक 1.4.2010 से पूर्व की परिसम्पत्तियों हेतु अवक्षयण की गणना ''विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी विनियम, 2005'' में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की गई है। सोसायटियों की स्थाई परिसम्पत्तियों के अवक्षयण पर विचार नहीं .किया गया है क्योंकि कुछ सोसायटियों की स्थाई परिसम्पत्तियों का लेखा परीक्षण किया जाना शेष है व ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसायटियों की उचित कार्य योजना तैयार की जाना तथा आयोग से इसका अनुमोदन कराया जाना भी शेष है। अतएव स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रक्षेपण (projection) नहीं किया जा सकता। वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु इस प्रकार अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 67 : विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
भवन	0.90	1.64
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.09	0.09
अन्य सिविल कार्य	0.05	0.05
संयंत्र तथा मशीनरी	25.37	46.49
लाईन तथा केबल नेटवर्क, आदि	74.00	114.73
वाहन	0.03	0.04
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.00	0.00
कार्यालय उपकरण	0.66	0.94
योग	**101.09**	**164.00**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.123 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2010 के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार उनकी प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 2,061.31 करोड़ है। निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2011 से वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 337.37 करोड़, रू. 1021.59 करोड़, तथा रू. 1464.04 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान, संचित अवमूल्यन क्रमशः रू. 1479.07 करोड़, रू. 1,605.05 करोड़ तथा रू. 1810.62 करोड़ होगा। अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (केन्द्रीय

सरकार द्वारा एसओ क्रमांक 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 द्वारा अधिसूचित) के अनुसार हैं जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में भी उपयोग किया जा रहा है। विद्युत वितरण कम्पनी ने आयोग को विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) की दरों को अवमूल्यन दरों के रूप में विचार किये जाने का अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा अवमूल्यन व्यय विनियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 12 हेतु की गई अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 68 : अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012	
	भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के मानदण्डों के अनुसार	विनियमों के अनुसार
भूमि तथा भूमि के अधिकार	0.02	0.06
भवन	1.40	1.65
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.22	0.25
अन्य सिविल कार्य	0.13	0.09
संयंत्र तथा मशीनरी	39.81	40.80
लाईन तथा केबल नेटवर्क	83.44	62.82
वाहन	0.14	0.06
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.12	0.07
कार्यालय उपकरण	0.72	0.98
योग	**125.99**	**106.78**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.124 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010 के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार उनके द्वारा प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 2217.86 करोड़ उत्तराधिकार में प्राप्त की है। निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2011 से वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 755.26 करोड़, रू. 1447.89 करोड़, रू. तथा रू. 1559.12 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 2011 से वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान संचित अवमूल्यन क्रमशः रू. 1337.62 करोड़, रू. 1478. 85 करोड़, तथा रू. 1671.80 करोड़ होगा।

अ. अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (वे परिसम्पत्तियां, जो 90% तक अवमूल्यित नहीं की गई हैं) से प्रारंभिक शेष की अवधि, प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऐसे प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 तक मप्र राज्य विद्युत मंडल के वर्षवार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़े के आधार पर प्राक्कलित की गई है। वे परिसम्पत्तियों जिनका संचित अवमूल्यन परिसम्पत्ति के परिसम्पत्ति मूल्य (वास्तविक

मूल्य) का 90 प्रतिशत हो चुका है, उन पर किसी प्रकार का अवमूल्यन भारित नहीं किया गया है।

ब. अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना के अनुसार हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की दरों का उपयोग वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में किया जा रहा है। विद्युत वितरण कम्पनी ने आयोग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रयोज्य अवमूल्यन दरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भी लागू किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012 हेतु की गई अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 69 : अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

अवमूल्यन	वित्तीय वर्ष 2011–12
योग	141.23

3.125 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा दायर किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण के तुलनात्मक अध्ययन को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 70 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवमूल्यन का तुलनात्मक अध्ययन (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	164.00	164.00
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	106.78	125.99
मध्य क्षेविवि कम्पनी	141.23	141.23

अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Depreciation)

3.126 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 के अनुसार अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष, ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर तथा वितरण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु, जो दिनांक 31.03.2010 के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाती हैं, परिशिष्ट–3 (Appendix-III) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी बशर्ते वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत विस्तारित कर दिया जाए।

3.127 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2010 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर

प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य के परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

3.128 यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। परिसम्पत्तिवार विवरण, परिशिष्ट में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अवमूल्यन, परिसम्पत्तियों के मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन किये जाने, परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल तथा अन्तिम अवमूल्यन मॉडल, जिनमें समस्त जानकारियां शामिल हों, को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत न किये जाने के कारण आयोग द्वारा अवमूल्यन संबंधी जानकारी की गणना निम्न विधि द्वारा की गई है :

3.129 परिसम्पत्ति आधार के मूल्य के संबंध में, आयोग ने विस्तृत रुप से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान पर विचार न किये जाने पर विस्तृत सोच–विचार किया है क्योंकि ये पूर्व की प्रवृत्ति के प्रतिकूल बनाये गये प्रतीत होते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के अन्तिम रोकड़ में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अंकेक्षित तुलन–पत्र के अन्तिम तीन वर्षों की औसत अभिवृद्धि के अनुसार जोड़ कर तथा इस मूल्य में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में औसत वृद्धि की आधी राशि जोड़कर अवमूल्यन की गणना की है। आयोग द्वारा अब स्वीकार किये गये अवमूल्यन दावों का सत्यापन किया जायेगा जब वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अंकेक्षित तुलन–पत्र के आधार पर सत्यापन बाबत दावे दाखिल किये जाएंगे।

3.130 वर्ष के दौरान, उपभोक्ता अंशदान में वृद्धि को सकल स्थाई परिसम्पत्ति में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, उपभोक्ता का अंशदान अंकेक्षित तुलन–पत्रों के पिछले तीन वर्षों में हुई वृद्धि का औसत माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु इसे तीन वर्षों में उपभोक्ता अंशदान में औसत वृद्धि का आधा माना गया है।

3.131 दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में, अंकेक्षित तुलन–पत्र को अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति, अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की गणना भूमि की लागत को घटाकर तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान उपभोक्ता अंशदान में वृद्धि को जोड़कर की गई है।

3.132 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 71 : अवमूल्यन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2177.13	2042.34	2191.89
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान की गई वृद्धि	250.66	127.75	289.39
घटाये : उपभोक्ता का अंशदान	25.24	40.27	36.48
दिनांक 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**2402.55**	**2129.82**	**2444.79**
वर्ष 2011–12 के दौरान, वृद्धि के औसत में से उपभोक्ता अंशदान घटाकर	112.71	43.74	126.45
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवमूल्यन के लिये सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2515.26	2173.57	2571.25
अवमूल्यन दर (%में)*	2.44%	2.81%	2.44%
वित्तीय वर्ष 12 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	**61.37**	**61.08**	**62.74**

**उपरोक्त तालिका में लिये गये अवमूल्यन दरों के प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 10–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार माने गये हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गणनाएं न तो विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई है तथा न ही मदवार वितरणों के साथ–साथ वास्तविक संचित अवमूल्यन के अनुसार वांछित विवरण के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं।*

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.133 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि दाखिल की गई ब्याज लागतें, ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के अनुसार निम्न विधि पर आधारित हैं :

1. दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अनन्तिम तुलन–पत्र के माध्यम से अन्तरित किये गये मप्रराविमं सामान्य ऋणों का द्विभाजन (bifurcate) उनके तत्संबंधी शीर्षों के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन्हें भिन्न–भिन्न खातों के अन्तर्गत पुनः ढाल दिया गया है।

2. ब्याज तथा ऋणों की अदायगी तत्संबंधी ऋणों की तथा ब्याज अदायगी अनुसूची (Repayment Schedule) पर आधारित है।

3. परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में रोकड़ आहरण को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, नवीन ऋणों में वृद्धियों को पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) माना गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 72 : विनियमों के अनुसार ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	602.21	1465.00
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान	8.60	9.00
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	593.61	1456.00
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	178.08	436.80
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसे ऋणों के माध्यम से निधिबद्ध किया गया है	415.52	1019.20
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	101.09	164.00
वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबंद्ध ऋण (दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में रू. 398.76 करोड़ + ऋण–उधार अदायगी के माध्यम से निधिबद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि) तथा अनुवर्ती वर्षो हेतु जिसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश में अपनाई गई वृद्धि के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है	712.43	1567.00
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	0.09	0.10
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	67.56	162.51
वित्त प्रभार (Finance Charges)	2.00	2.50
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	69.56	165.01

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (Additional Submission)

1. ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसायटियों के ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कुछ सोसायटियों के अंकेक्षण लंबित हैं। अतएव, आगामी वर्षों हेतु ऋण के दायित्व को उपलब्ध जानकारी के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
2. ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के विवरणों की व्याख्या निम्नानुसार की गई है। योजनावार विवरण टैरिफ प्रपत्रों के अनुसार परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है।
3. ऋणों का ब्याज तथा अदायगी तत्संबंधी अदायगी ऋणों की अनुसूची (Repayment Schedule) तथा ब्याज पर आधारित है।
4. परियोजनाओं के वास्तविक रोकड़, प्रवाह को प्रतिबिंबित किये जाने बाबत नवीन ऋणों हेतु वृद्धियां पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) मानी गई हैं।
5. उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर, परियोजना ऋण ब्याज तथा वित्त प्रभार के विवरण निम्नानुसार दर्शाये गये है :

तालिका 73 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
(I) राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार		
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	97.22	88.57
बन्ध पत्रों पर ब्याज प्रभार	0.69	0.02
ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार	0.10	0.00
उपरोक्त का योग (I)	**98.01**	**88.59**
(II) दीर्घ अविध ऋणों पर ब्याज/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति		
एपीडीआरपी	4.97	4.98
प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (PMGY)	2.26	2.26
न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम (MNP)	1.16	1.16
नाबार्ड (NABARD)	1.47	1.47
एशिया विकास बैंक (ADB)	2.67	2.67
बाजार ऋण	8.66	8.67
पीएफसी	2.20	1.76
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (मप्रराविमं) [REC-(MPSEB)]	9.96	9.18
हडको	14.66	13.42
भारतीय स्टेट बैंक – सह प्रत्याभूति ऋण (SBI-Counter Guarantee Loan)	2.30	8.33
आरईसी–जेबीआईसी	7.68	11.6
पीएफसी–आरएपीडीआरपी	11.92	44.7
एडीबी (2324)	1.91	5.96
एडीबी (2347)	0.43	2.25
एडीबी (2520)	0.71	2.27
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) – संभरक द्विभाजन	3.27	61.39
एडीबी– संभरक द्विभाजन	0.00	16.2
एसटीएन	**1.47**	**4.66**
टीएसपी	**1.03**	**3.53**
एससीएसपी	**1.65**	**5.27**
उपरोक्त का योग	**80.38**	**211.73**
योग I+II	**178.39**	**300.32**
परियोजना ऋणों पर वित्तीय प्रबंधन तथा बैंक प्रभारों की लागत (बी)	**2.00**	**2.50**
घटायें : पूंजीकृत की गई राशि (capitalized)	**60.18**	**67.68**
योग	**120.21**	**235.14**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 74 : विनियमों के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है।	145.46	205.95
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	101.19	306.48
ऋण अदायगी	40.71	40.71
दिनांक 31 मार्च की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति के साथ संबद्ध कुल ऋण	205-95	471.72
ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में) (परियोजना ऋणों पर ब्याज के अनुसार)	11%	11%
परियोजना ऋणों पर ब्याज	22.65	51.89
अन्य प्रभार	5.25	9.52
योग	27.90	61.44

तालिका 75 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 12
(I) राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार	
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	29.96
बन्ध पत्रों पर ब्याज प्रभार	2.81
विदेशी मुद्रा ऋणों/क्रेडिट से ब्याज प्रभार	0.00
ऋण पत्रों पर ब्याज	2.66
उपरोक्त का योग (1)	**35.03**
(II) दीर्घ अवधि ऋणों/वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति पर ब्याज	
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC)	4.82
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (PFC)	5.47
एशिया विकास बैंक (ADB)	35.98
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY)	0.00
आरएपीडीआरपी (RAPDRP)	11.80
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC)	14.85
संभरक पृथक्करण	52.34
योग II	**125.26**
योग (ए) I+II	**160.28**
परियोजना ऋणों पर बित्तीय प्रबन्धन तथा बैंक प्रभारों की लागत (बी)	**9.52**
महायोग –ब्याज तथा वित्त प्रभार (ए+बी)	**169.80**
घटायें : पूंजीगत लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार	**16.98**
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों का शुद्ध योग	**152.82**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 76 : विनियमों के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2012
(I) राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार		
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	12.72	7.02
बन्ध पत्रों पर ब्याज	1.35	1.35
विदेशी मुद्रा ऋणों/क्रेडिट पर ब्याज प्रभार		
ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार		
उपरोक्त का योग (1)	**14.07**	**8.37**
(II) दीर्घ अविध ऋणों/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से ऋण पर ब्याज		
आरईसी	6.53	6.02
पीएफसी	13.76	1.51
एडीबी	3.36	3.36
एपीडीआरपी	17.46	15.93
नाबार्ड	0.52	0.29
पीएमजीवाई	0.29	0.06
एमएनपी	0.12	0.12
एडीबी II	15.52	36.54
आरजीजीवीवाई	0.79	2.59
आरएपीडीआरपी	7.71	26.93
हडको	5.39	12.62
जेबीआईसी	5.06	5.06
सहयोगी वित्त प्रबंधन		
उपरोक्त का योग (2)	**76.72**	**114.58**
(1) + (2) का योग (ए)	**90.79**	**122.95**
परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार की लागत (बी)		
ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग (ए+बी)	**90.79**	**122.95**
घटायें : पूंजीगत लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार,	**40.71**	**55.13**
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों का शुद्ध योग	**50.08**	**67.81**

3.134 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार, सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 77 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु सावधि ऋण का तुलनात्मक विवरण **(करोड़ रूपये में)**

कम्पनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	अन्तर
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	165.01	235.13	–70.12
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	60.70	152.82	–92.12
मध्य क्षेविवि कम्पनी	67.81	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया	0.00

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest and Finance Charges)

3.135 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम 2009 केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध पूंजीगत कार्यों को पूर्ण कर इनका उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है।

3.136 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 2009–10 से संबंधित हैं। समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना जाता है जिसे पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। ऐसी ब्याज लागत के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन्हीं संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है, अतएव इसे विद्युत दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाता है।

3.137 आयोग के संज्ञान में है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूर्ण कर लिये होंगे तथा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूर्ण कर लिये जाएंगे जिन्हें पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। परन्तु, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में पूर्व निष्पादन उसके द्वारा परिसम्पत्ति अभिवृद्धि हेतु किये गये प्रक्षेपणों से काफी कम है। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार किया जाना उचित नहीं मानता। परंतु, वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। यह अनुज्ञप्तिधारियों को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को प्रगति पर निर्माण कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उनकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

3.138 अतः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण करने का निर्णय लिया है जो उसके द्वारा उसके पूर्व के टैरिफ आदेश (वित्तीय वर्ष 2010–11) में अपनाया गया था

जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा प्रगति पर निर्माण कार्यों के आवंटन, जैसा कि वे वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित तुलन–पत्र से उपलब्ध हैं, का ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) में आवंटन किया जाना सन्निहित है। इसका निष्पादन निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना वर्ष के दौरान तुलन–पत्र में उपलब्ध वर्ष के दौरान कुल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग में से उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर किया गया है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से, सकल स्थाई परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध वृद्धि के शेष को ऋण के माध्यम से पोषित किया गया माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ सत्यापन आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को कुल ऋण में जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण में से घटाया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान अदायगी उक्त वर्ष के दौरान अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन/अवक्षयण के बराबर होगी।

(द) वित्तीय वर्ष 2010–10 के दौरान, परिसम्पत्ति में वृद्धि तथा ऋण अदायगी की गणना अंकेक्षित तुलन पत्रों से पिछले तीन वर्षों में की गई वृद्धि तथा ऋण अदायगी के औसत से की गई है। ऐसा माना गया है कि की गई वृद्धियों का वित्तीय प्रबन्धन 70% ऋण तथा 30% पूंजी के माध्यम से किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऋण के भारित औसत (weighted-average) पर विचार किया गया है जैसा कि इसे पूर्व तथा पश्चिम क्षेविविकं द्वारा ऋणों पर ब्याज लागत पर विचार किये जाने हेतु दायर किया गया है तथा मध्य क्षेविविकं द्वारा दायर न किये जाने के कारण, पूर्व क्षेविविकं के भारित औसत को माना गया है।

3.139 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, वित्तीय प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार, जैसा कि इन्हें तीन विद्युत वितरण कंपनियों के तुलन–पत्रों में दर्शाया गया है, पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 1.85 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु रू. 4.59 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 1.67 करोड़ हैं। अतएव वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 78 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
वित्तीय वर्ष 2009			
वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित किये गये ऋण	164.82	200.95	256.14
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	179.23	65.77	190.33

ऋण की अदायगी	56.17	74.15	54.78
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	287.88	192.57	391.69
वित्तीय वर्ष 2010			
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	287.88	192.57	391.69
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	163.00	39.50	103.05
ऋण की अदायगी	64.22	86.05	64.58
दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण	386.66	146.02	430.16
वित्तीय वर्ष 2011			
दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	386.66	146.02	430.16
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	157.80	61.24	177.03
ऋण की अदायगी	58.62	59.85	59.65
दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	485.83	147.41	547.54
वित्तीय वर्ष 2012			
दिनांक 01 अप्रैल, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	485.83	147.41	547.54
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	157.80	61.24	177.03
ऋण की अदायगी	58.62	59.85	59.65
दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	585.01	148.81	664.92
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ऋण शेष का औसत	535.42	148.11	606.23
ऋण की भारित औसत (%में) (परियोजना ऋणों में ब्याज के अनुसार)	10.00%	11.00%	10.00%
ब्याज प्रभार	53.54	16.29	60.62
अन्य प्रभार (वित्तीय वर्ष 2010 के तुलन पत्र के अनुसार)	1.85	4.59	1.67
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	55.40	20.88	62.30

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.140 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि उनके द्वारा कार्यकारी पूंजी का अनुमान विनियमों के अनुसार मानदण्डों के आधार पर किया गया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु ब्याज दर 11.75% तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ब्याज दर 12.50% मानी गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 79 : विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	19.39
बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	–
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	55.98
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	71.83
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	614.83
बी i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	742.65
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	61.89
सी	**प्राप्तियां**	–
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	–
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	–
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	81.27
	ए+बी (ii) + सी (ii)	–
इ)	ब्याज दर	0.12
एफ)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	9.55
	अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय	–
	खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Activity)	**वित्तीय वर्ष 12**
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	–
बी)	प्राप्तियां	–
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	3494.43
बी ii)	दो माह की औसत बिलिंग के बरावर प्राप्तियां	582.41
सी	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	2960.6
सी i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग	246.72
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	63.92
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी (ए+बी (ii) – सी (i)–डी)**	271.77
एफ)	ब्याज दर	11.75%
जी)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	31.93
	चक्रण गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	9.55
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	31.93
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	41.48

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार

तालिका 80 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	**19.39**

बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	–
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	57.14
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	99.24
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	658.1
बी i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	814.48
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	67.87
सी	प्राप्तियां	–
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	–
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	–
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	87.26
	ए+बी (ii) + सी (ii)	–
ई)	ब्याज दर	11.75%
एफ)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	10.25
	अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय	–
	खुदरा गतिविधि हेतु	**वित्तीय वर्ष 12**
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	–
बी)	प्राप्तियां	–
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	3494.43
बी ii)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	582.41
सी	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	3263.67
सी i)	विद्युत क्रय संबंधी व्ययों का बारहवां भाग	271.97
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	63.92
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी (ए+बी (ii) – सी (ii)–डी)**	246.51
एफ)	ब्याज दर	11.75%
जी)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	28.96
	चक्रण गतिवधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	10.25
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	28.96
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	39.22

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 81 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 11–12
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग (1/6)	4.00
बी)	प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	49.42
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	97.92
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	575.54
बी i)	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	722.88

बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	69.09
सी	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	3.70
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.62
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	
	ए+बी (ii) + सी (ii)	64.85
इ)	ब्याज दर	12.50%
एफ)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	**8.11**

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार

तालिका 82 : किये गये प्रक्षेपण के अनुसार

विवरण	वित्तीय वर्ष 11–12
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	357.48

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 83 : विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	30.10
बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	65.97
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	73.84
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	489.69
बी i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	629.50
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	52.46
सी	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	82.56
	ए+बी (ii) + सी (ii)	
ई)	ब्याज दर	11.75%
एफ)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	**9.70**
	खुदरा गतिविधि हेतु	**वित्तीय वर्ष 11–12**
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	30.10
बी)	प्राप्तियां	
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	3787.67
बी ii)	दो माह की औसत बिक्री के बरावर	631.28
सी	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	3581.00

सी i)	विद्युत क्रय संबंधी व्ययों का बारहवां भाग	298.41
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	663.22
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी(ए+बी (ii) – सी (i)–डी)**	**–300.25**
एफ)	ब्याज दर	11.75%
जी)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	**–35.27**

3.141 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर निम्नानुसार है :

तालिका 84 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुततिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	41.48	39.22
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	8.11	357.48
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	0.00	0.00

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest on Working Capital)

3.142 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी पूंजी में वे ही व्यय सम्मिलित होंगे जिनकी विद्युत प्रदाय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु आवश्यकता होती है। इन दोनों गतिविधियों के लिये मानदण्ड पृथक–पृथक विनिर्दिष्ट किये गये हैं। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर (Advance Rate) के बराबर रखी गई है।

3.143 अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) की राशि रू. 2,197 करोड़ (पूर्व क्षेविविकं हेतु), रू. 2,061 करोड़ (पश्चिम क्षेविविकं हेतु) तथा रू. 2,217 करोड़ (मध्य क्षेविविकं हेतु) थी। इस राशि के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 3.66 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु, रू. 3.44 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 3.70 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। इसे, तत्पश्चात्, चक्रण तथा प्रदाय सामग्री हेतु, क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु, कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भागों के अंतर्गत की गई है।

3.144 आयोग अपने पूर्व के टैरिफ आदेशों के अंतर्गत चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पृथक–पृथक अनुज्ञेय करता आ रहा है। तथापि, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के सत्यापन अभ्यास के अन्तर्गत यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधि के विवरणों का पृथक्करण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दोनों गतिविधियां साथ–साथ निष्पादित की जाती हैं, अतएव उपलब्ध संसाधन दोनों हेतु सांझे होते हैं। अतएव, आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधियों हेतु कार्यकारी पूंजी आवश्यकता संयोजित मानी गई है।

3.145 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर के बराबर दर को अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर वर्तमान में 11.75% है। अतः, आयोग के मानदण्डों का अनुसरण करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर 11.75% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 85 : आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

विवरण	माह संख्या	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
चक्रण				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	2.93	2.75	2.96
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	50.06	46.39	45.89
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में)–चक्रण गतिविधि हेतु		52.99	49.14	48.85
ब्याज दर (%में)		11.75%	11.75%	11.75%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		6.23	5.77	5.74
खुदरा				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	0.73	0.69	0.74
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	0.00	0.00	0.00
राजस्व की प्राप्ति	2	566.93	788.75	598.42
घटायें : विद्युत क्रय लागत	1	231.63	354.02	248.89
घटायें : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		445.18	497.34	660.14
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में) – खुदरा		–109.14	–61.92	–310.45
ब्याज दर (प्रतिशत में)		11.75%	11.75%	11.75%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज–(करोड़ रूपये में)		–12.82	–7.28	–36.48
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज–चक्रण खुदरा (करोड़ रूपये में)		6.23	5.77	5.74
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज–खुदरा (करोड़ रूपये में)		–12.82	–7.28	–36.48
कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज		–6.60	–1.50	–30.74
कार्यकारी पूंजी पर स्वीकृत कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		**0.00**	**0.00**	**0.00**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposits)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण

3.146 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर निम्न दावे प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग द्वारा अंकेक्षित तुलन पत्रों के विवरणों के अवलोकन से यह पाया गया है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर वार्षिक ब्याज का निर्गमन धारित की गई प्रतिभूति निक्षेप की मात्रा तथा पूर्व में अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत के अनुरूप नहीं है। पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अपनाई गई कार्य पद्धति के अनुसार, चालू विद्युत दर के अनुसार प्रक्षेपित मासिक राजस्व पर प्रतिभूति निक्षेप की मानी गई मात्रा की गणना करना तथा तत्पश्चात इसके अनुरूप ब्याज राशि को अनुज्ञेय करना रहा है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञेय किये गये ब्याज से कम राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा संभावित कारण यह भी हो सकता है कि धारित प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई रूप से संयोजनों के विच्छेद उपरान्त अथवा भुगतान मे चूक किये जाने के कारण न तो इसका समायोजन किया जाता है तथा न ही ऐसे प्रकरणों में ब्याज का भुगतान किया जाता है। आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप दर ब्याज में वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी पिछले टैरिफ आदेश की तुलना में 7% की अनन्तिम वृद्धि की है तथा तदनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप में रू. 90 करोड़ की राशि का अनुमोदन किया है, जिसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तलिका 86 : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज **(राशि करोड़ रूपये में)**

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष –12
पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	25.44
पश्चिम क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	36.83
मध्य क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	27.73
योग	**90.00**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.147 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियमों के अनुसार की गई है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 87 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	1,585.04	2,083.64
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	475.51	625.09
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	1,109.53	1,458.55
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	593.61	1,456.00
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	24.81	117.23
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B–B1)	568.8	1,317.56
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	178.08	436.80
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	415.52	1,019.20
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	–153.27	–319.57
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	153.27	298.36
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी {A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो	487.92	683.71
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**78.07**	**109.39**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 88 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2011
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	1,943.20	2,280.51
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है (30%)	582.96	684..15
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है (70%)	1,360.24	1,596.36
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	337.32	1,021.59

B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	101.19	306.48
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B-B1)	236.12	715.11
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	101.19	306.48
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	236.12	715.11
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो	633.56	837.39
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**101.37**	**133.98**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 89 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2011
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	**2217.86**	**2973.12**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	**665.36**	**891.94**
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	**1552.50**	**2081.18**
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	755.26	1442.73
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	226.58	432.82
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग ($B-B_1$)	528.68	1009.91
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	226.58	432.82
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	528.68	1009.91
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A+(C1/2)] अथवा[A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो	891.94	1324.76
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**142.71**	**211.96**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी –पूंजी पर प्रतिलाभ (वास्तविक आधार पर, अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर)

वित्तीय वर्ष 2009–10 के तुलन–पत्र के अनुसार अंशदान पूंजी (Share Capital) – रू. 565.76 करोड़
वित्तीय वर्ष 2009–10 के तुलन–पत्र के अनुसार अंशदान निक्षेप (Share Deposit) – रू. 616.44 करोड़
पूंजी में अभिवृद्धि (Equity Addition) – रू. 104.86 करोड़
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पूंजी (Equity) – रू. 1287.06 करोड़
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पूंजी (Equity) – रू. 1487.06 करोड़
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) (16%) – रू. 205.93 करोड़
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) (16%) – रू. 237.93 करोड

3.148 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 90 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलनात्मक विवरण (राशि करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	109.39	109.39
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	133.98	133.98
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	211.96	237.93

आयोग द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ का विश्लेषण (Commission's Analysis of Return on Equity)

3.149 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व कर (Pre Tax) आधार पर 16% की दर से की जाएगी। इस आदेश का ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, पूंजी पर प्रतिलाभ जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2011–12 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया है, का अवधारण कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई की सम्पत्ति को आवंटित किया गया चिन्हित किया गया है, पर 16 प्रतिशत की निर्दिष्ट दर पर लागू कर किया गया है।

तालिका 91 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 09				
1	वित्तीय वर्ष 2007–2008 के सत्यापन आदेश में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हित पूंजी (दिनांक 31.3.2008 की स्थिति में)	428.35	530.20	433.14
2	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, का 30%	76.81	28.19	81.57
3	दिनांक 31 मार्च 2009 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	505.16	558.19	514.71
वित्तीय वर्ष 10				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है,, का 30%	69.86	16.93	44.16
2	दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	575.02	575.32	558.87
वित्तीय वर्ष 11				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, का 30%	67.63	26.25	75.87
2	दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	642.65	601.56	634.74

वित्तीय वर्ष 12				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है का 30% (आधे वर्ष के लिये)	33.81	13.12	37.94
2	कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है तथा जो प्रतिलाभ की पात्रता रखती है	676.46	614.68	672.68
3	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पूंजी पर प्रतिशत 16% की दर से	**108.23**	**98.35**	**107.63**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) की अन्य मदें

3.150 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न अनुच्छेदों में किया गया है:

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.151 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा डूबन्त ऋणों के संबंध में दावा कुल विक्रय राजस्व के 1% की दर से निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 92 : डूबन्त ऋण तथा संदिग्ध ऋणों का तुलनात्मक विवरण (राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	34.94	34.94
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	51.56	251.95
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	37.88	150.65

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Bad and Doubtful debts)

3.152 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किये जा सकेंगे जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक रूप से इनका अपलेखन किया गया है जो कि वार्षिक राजस्व राशि की 1% उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

3.153 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 का सत्यापन करते समय यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा **डूबन्त ऋणों का वास्तविक अपलेखन** मात्र रू. 1.26 करोड़ की राशि हेतु ही किया गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि वार्षिक राजस्व के अधिकतम 1% के अध्यधीन होगी। अनुज्ञप्तिधारियों

का डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में किया गया दावा काफी अधिक राशि का है यदि इस राशि की तुलना पूर्व में अपलेखित की गई अल्प राशि से की जाए। अतएव आयोग उचित समझता है कि इस संबंध में कोई भी प्रावधान न किया जाए तथा वास्तविक रूप से अपलेखित की गई किसी राशि पर विचार सत्यापन के समय ही किया जाएगा।

अन्य विविध व्यय

3.154 केवल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर किसी भी अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस मद में किसी व्यय का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अन्य व्यय के अन्तर्गत, पिछले रूझान के आधार के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 20.71 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया है। तथापि, अन्य विविध व्ययों का प्रक्षेपण एक ऐसा प्रावधान है जिसका उचित तौर पर औचित्य नहीं दर्शाया गया है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह प्रावधान अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसायटियों के संविलियन के कारण प्रत्याशित व्यय हेतु (विविध व्यय तथा असाधारण मदों) के लिये बिना किसी विवरण प्रस्तुति के किया गया है। आयोग वर्तमान में इस संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान किया जाना उचित नहीं समझता। तद्नुसार, इस व्यय पर विचार आवश्यकतानुसार सत्यापन के समय किया जाएगा।

अन्य आय

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.155 मप्रविविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है, में विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसची में अन्य आय की अनुसूची दर्शाई गई है जिसे ''अन्य आय'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.156 अन्य आय के अन्तर्गत, पूर्व क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 32.01 करोड़, पश्चिम क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 106.14 करोड़ तथा मध्य क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 62.29 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दाखिल की गई है। इस राशि में अन्य मदों के साथ–साथ (Interalia), माप यन्त्र किराया (Metre Rent), विद्युत की चोरी से वसूली, उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले विविध प्रभार शामिल किये गये हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत, अन्य आय के विरूद्ध रू. 116.85 करोड़ की राशि दाखिल की गई है। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के वर्ष 2009–10 के अंकेक्षित आंकड़ों से पाया गया है कि इन विद्युत वितरण कम्पनियों की अन्य आय के अन्तर्गत, जिनमें मीटर किराये के विरूद्ध प्राप्तियां, विद्युत चोरी के प्रकरणों में बिलिंग द्वारा वसूली, विविध प्राप्तियां शामिल हैं, पश्चिम

क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 105 करोड़, मध्य क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 64 करोड़, तथा पूर्व क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 88 करोड़, इस प्रकार कुल मिलाकर रू. 257 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में इस मद पर प्रत्याशित वृद्धि पर विचार करते हुए, यह राशि रू. 300 करोड़ के लगभग होने की संभावना है। तदनुसार, आयोग ने अन्य आय को रू. 300 करोड़ होना माना है तथा इसका विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य वर्ष 2009–10 की प्राप्तियों के अनुपात में विभाजित किया है।

3.157 निम्न तालिका अन्य आय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई राशि तथा आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि प्रदर्शित करती है :

तालिका 93 : अन्य आय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विद्युत वितरण कंपनी का नाम	दाखिल की गई राशि	आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	32.01	105.00
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	106.14	120.00
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	62.29	75.00
योग	**200.44**	**300.00**

3.158 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 94 : स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
विद्युत क्रय (Power Purchase)	2306.15	3661.69	2498.19	8466.03
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	102.04	138.90	88.35	329.29
एमपी ट्रांस्कों प्रभार (MP Transco Charges)	369.26	445.37	397.80	1212.43
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC Charges)	2.04	2.22	2.30	6.56
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	600.73	556.71	550.72	1708.16
अवमूल्यन (Depreciations)	61.37	61.08	62.74	185.19
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	55.40	20.88	62.30	138.58
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	108.23	98.35	107.63	314.21
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00
डूबन्त ऋण (Bad Debts)	0.00	0.00	0.00	0.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	25.44	36.83	27.73	90.00
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.36	0.45	0.38	1.19
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Less other Income - Retail & Wheeling)	105.00	120.00	75.00	300.00
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का योग	**3526.02**	**4902.48**	**3723.14**	**12151.64**
जोड़ें : सरदार सरोवर परियोजना आदेश का अन्तर	22.37	30.43	24.95	77.75
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 07–08 हेतु एमपी जनको का सत्यापन	62.59	89.98	62.32	214.88
कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Total ARR)	**3610.98**	**5022.89**	**3810.41**	**12444.28**
वर्तमान विद्युत दरों पर राजस्व की प्राप्ति (Revenue at existing tariff)	3401.57	4732.51	3590.50	11724.58
राजस्व अन्तर (Revenue Gap)	**209.41**	**290.38**	**219.91**	**719.70**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण (Segregation of approved ARR, between Wheeling and Retail Sale activities)

3.159 विनियमों में प्रावधान किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जाएगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि, चक्रण (वितरण) गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जाएगी।

3.160 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग के विनियमों का पालन उक्त सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु दायर किये गये अनुसार है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

3.161 अतएव, इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय
(बी) अवमूल्यन
(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज
(डी) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये
(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)
(एफ) अन्य विविध व्यय
(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये
(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज
(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण
(डी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता [Annual Revenue Requirement (ARR) admitted by the Commission for FY 2011-12]

3.162 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 95 : वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा हेतु) (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost)	2306.15	3661.69	2498.19	8466.03
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	102.04	138.9	88.35	329.29
एमपी ट्रांस्कों प्रभार (MPTransco Charges)	369.26	445.37	397.8	1212.43
राभाप्रेके प्रभार (SLDC Charges)	2.04	2.22	2.30	6.56
(ए) उप–योग –विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost)	**2777.49**	**4248.18**	**2986.64**	**10014.31**
चक्रण गतिविधि (Wheeling Activity)				
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	600.73	556.71	550.72	1708.16
अवमूल्यन (Depreciation)	61.37	61.08	62.74	185.19
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Intrest on Project Loans)	55.40	20.88	62.30	138.58
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	108.23	98.35	107.63	314.21
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण (Intrest on Working Capital - Wheeling)	0.00	0.00	0.00	0.00
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.36	0.45	0.38	1.19
***(बी) वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग* ((B) Sub-Total Wheeling ARR for FY 2011-12 as approved)**	**826.09**	**737.47**	**783.77**	**2347.33**
खुदरा विक्रय गतिविधि (Retail Sale Activity)				
डूबन्त ऋण (Bad Debts)	0.00	0.00	0.00	0.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	25.44	36.83	27.73	90.00
अन्य आय–खुदरा (Other Income- Retail)	105.00	120.00	75.00	300.00
(सी) वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित खुदरा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग ((C) Sub-Total Retail ARR for FY 2011-12 as approved)	**-79.56**	**-83.17**	**-47.27**	**-210.00**
महायोग–वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी) (Total ARR FY 2011-12 (A+B+C)	**3526.02**	**4902.48**	**3723.14**	**12151.64**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व (Revenue from Revised Tariffs)

3.163 वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुमोदित विद्युत–दरों (टैरिफ) के अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 96 : वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2011–12							
	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये)
निम्न दाब								
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	2546	1037	2754	1167	2490	1112	7790	3316
एलवी–2 : गैर–घरेलू	408	254	688	432	526	331	1622	1018
एलवी–3 : सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	244	96	173	71	224	89	641	256
एलवी–4 : औद्योगिक	239	131	415	227	213	119	867	477
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	1842	604	3261	1069	2423	779	7526	2452
एलवी–5.2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग	2	1	16	6	14	5	32	13
विक्रित निम्न दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**5282**	**2123**	**7307**	**2972**	**5890**	**2437**	**18479**	**7532**
उच्च दाब								
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	529	291	443	243	713	405	1685	939
एचवी–2: कोयला खदानें (कोल माईन्स)	514	296	0	0	34	22	548	319
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1108	597	2686	1413	1282	692	5076	2702
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	174	110	388	218	269	153	831	481
एचवी–4: मौसमी (सीजनल)	5	3	8	6	1	1	14	10
एचवी–5.1 : सिचाई	61	26	218	97	76	32	355	155
एचवी–5.2 : कृषि संबंधी अन्य उपयोग	10	5	5	2	3	1	18	8
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	371	160	9	4	147	66	527	230
एचवी–7: छूट प्राप्त प्रदायकर्ताओं को विद्युत प्रदाय	0	0	206	68	0	0	206	68
विक्रित उच्च दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**2772**	**1487**	**3964**	**2052**	**2525**	**1373**	**9261**	**4912**
महायोग–विक्रित यूनिट (निम्न दाब+ उच्च दाब) (मिलियन यूनिट में)	**8053**	**3610**	**11270**	**5024**	**8416**	**3809**	**27739**	**12444**

नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य

3.164 आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार राजस्व की प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 97 : अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	3526.02	4902.48	3723.14	12151.64
सरदार सरोवर परियोजना का अन्तर (बी)	22.37	30.43	24.95	77.75
एमपीजनको 07–08 का सत्यापन (सी)	62.59	89.98	62.32	214.89
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी=डी)	3,610.98	5,022.89	3,810.41	12,444.28
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (ई)	3,401.57	4,732.51	3,590.50	11,724,58
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर (डी–ई)	209.42	290.38	219.91	719.70
नवीन विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (एफ)	3,610.41	5,024.05	3,809.48	12,443.94
अनापूर्तित (uncovered) अन्तर/आधिक्य (डी–एफं)	0.57	–1.16	0.93	0.34

ए–4 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां

4.1 तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर प्रस्तावों को इन्हें स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त इनकी प्रमुख विशिष्टताएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को विभिन्न हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किये बाबत उनके टैरिफ आवेदनों तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु प्रस्तुति की अन्तिम तिथि 6.4.2011 व पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अन्तिम तिथि 11.4.2011 निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाईयों की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया गया है। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर टिप्पणियां/आपत्तियां दाखिल की गई थी, परिशिष्ट–1 पर संलग्न की गई हैं।

4.2 आयोग द्वारा राज्य के प्रमुख नगरों से प्रकाशित वृहद प्रसारण वाले विभिन्न समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से हितधारकों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में उनके सुझाव/आपत्तियों व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष जन–सुनवाईयों के दौरान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता /टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 98 : प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	**24**
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	**128**
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	**20**
	योग	**172**

4.3 आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार जन–सुनवाई आयोजित की गईं :

तालिका 99 : आयोजित की गई जन–सुनवाईयां

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि	सुनवाई स्थल
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल के आपत्तिकर्ताओं तथा गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु,	25 अप्रैल, 2011	प्रशासन अकादमी, सभागृह, 1100 क्वार्टर, भोपाल
2.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर के आपत्तिकर्ताओं हेतु	26 अप्रैल, 2011	

4.4 जन–सुनवाई के दौरान, अधिकांश प्रतिवादियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि का विरोध किया गया। कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण उच्च वितरण हानियां तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू तथा सिंचाई श्रेणियों में अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकृत न किया जाना है।

4.5 कुछ प्रतिवादियों का यह भी विचार था कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत–दर के प्रस्ताव तैयार करते समय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई विद्युत–दर के अवधारण की निबन्धन तथा शर्तों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किये जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त पूंजी को आकर्षित करने, विशेषकर क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सेवाएं, जैसे कि मीटरीकरण, संभरक पृथक्करण (feeder separation), कम्प्यूटरीकरण, आदि के क्षेत्र में जन–निजी भागीदारी प्रतिदर्श [Public Private Participation (PPP) model] की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिए।

4.6 विभिन्न संगठनों के प्रतिवेदकों का मत था कि बहुवर्षीय टैरिफ संरचना (Multi year Tariff Structure) के अन्तर्गत प्रचलित विद्युत–दर (टैरिफ) विनियमों के अनुसार, त्रिवर्षीय नियन्त्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13) की प्रत्याशा की गई है, अतएव यह दोनों आमजन तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के हित में होगा कि प्रति वर्ष की अनिश्चितता से बचने के लिये बहुवर्षीय विद्युत–दर का निर्धारण किया जाए। कुछ प्रतिवेदकों द्वारा यह मांग भी की गई कि भोपाल के अलावा, जन–सुनवाईयां राज्य के अन्य नगरों में भी आयोजित की जानी चाहिए।

4.7 सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान प्राप्त की गई प्रमुख प्रतिक्रियाएं उठाई गई आपत्तियों का वर्गीकरण टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिछेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है।

विषय क्रमांक 1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction) (श्रेणी एचवी–1) में एकल–भाग टैरिफ को पुनर्स्थापित करना तथा विद्युत प्रदाय की लागत पर विचार करते हुए टैरिफ का निर्धारण युक्तियुक्त स्तर पर किया जाना

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

भारतीय रेलवे द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि रेलवे कर्षण हेतु एकल–भाग विद्युत–दर (Single Part Tariff) को पुनर्स्थापित किया जाए तथा विद्यमान विद्युत वितरण कम्पनी के स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर कर्षण विद्युत दर को एक युक्तियुक्त स्तर पर लाया जाए। विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय की लागत पर भी विचार किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि रेलवे कर्षण हेतु द्वि–भाग टैरिफ को पुनः लागू किया जाना राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 8.4.1 के उपबन्धों के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि *''उन वृहद् उपभोक्ताओं हेतु (जिनकी मांग एक मेगावाट से अधिक है), द्वि–भाग टैरिफ जिसकी पृथक–पृथक स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के साथ–साथ समय–विभेदक (time-differential) टैरिफ एक मुख्य विशेषता है, को एक वर्ष के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में भी शीर्ष अवधि को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।''*

इसके अतिरिक्त, रेलवे हेतु प्रस्तावित की गई विद्युत–दर युक्तियुक्त है तथा आयोग द्वारा प्रति राज्यानुदान (Cross-Subsidy) कम किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों (रोड मैप) के अनुरूप है। टैरिफ में प्रस्तावित की गई नाममात्र की वृद्धि मुद्रास्फीति से बढ़ी हुई लागतों की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पुनः यह बात ध्यान में लाना चाहता है कि नवीन परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिये 10 प्रतिशत की टैरिफ छूट विचाराधीन याचिका में प्रस्तावित की गई है जो एक निश्चित रूप से आकर्षक प्रस्ताव है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण को युक्तिसंगत मानता है तथा इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45(3)(ए) के उपबन्धों के अनुरूप पाता है। तदनुसार, रेलवे कर्षण के प्रकरण में स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रावधान किये गये हैं।

विषय क्रमांक 2 : रेलवे द्वारा आधिक्य मांग प्रभारों (संविदा मांग के 15 प्रतिशत अधिक वृद्धि होने पर) में ढाई गुना वृद्धि तथा आधिक्य मांग की तत्संबंधी खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों में दो गुना वृद्धि का विरोध किया गया

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेल के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसके अन्तर्गत रेलवे को अनुबन्ध मांग से अधिक की आधिक्य मांग (excess demand) को स्थाई प्रभारों को (संविदा मांग के 15 प्रतिशत अधिक वृद्धि होने पर) ढ़ाई गुना दर पर तथा तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को आनुपातिक आधार पर सामान्य विद्युत–दर से दोगुना दर पर भारित किया जाएगा।

उल्लेख किया गया कि कर्षण के भार की गतिमान प्रकृति के कारण, विशिष्ट ग्रिड उपकेन्द्र (जीएसएस) का अतिभारित होना काफी अल्प अवधि के लिये होता है जिससे राज्य विद्युत

मण्डल की ग्रिड पर अत्यधिक कम प्रभाव पड़ता है। अतएव, रेलवे को यातायात विस्थापन (traffic dislocation) के दौरान अतिभारित हो जाने के कारण ग्रिड पर नगण्य प्रभाव को देखते हुए अतिरिक्त अधिकतम मांग (M.D.) प्रभारों के आरोपण के कारण अतिरिक्त रूप से भारित न किया जाए।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रया</u>

विद्युत क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, किसी प्रयोक्ता द्वारा ऊर्जा/विद्युत का आधिक्य आहरण किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार को अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। अतएव, आधिक्य मांग हेतु समस्त प्रभार पूर्णतया न्यायसंगत हैं। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता से इन अप्रत्याशित परिस्थितियों तथा प्रतिबन्धों के बावजूद इस अनुशासन का अनुसरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा दोनों हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थाई प्रावधानों को केवल रेलवे हेतु बिना किसी परिवर्तन को जारी रखा जाए।

विषय क्रमांक 3 : 0.90 से अधिक ऊर्जा कारक (PF) तथा ऊर्जा लागत (132 केवी/220 केवी विद्युत प्रदाय पर) पर 3 प्रतिशत की छूट चाही गई

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न प्रोत्साहनों/छूटों के संबंध में अनुरोध किया गया है :

(अ) **पावर फैक्टर (पीएफ) प्रोत्साहन** :– कर्षण विद्युत प्रदाय पर 0.90 से अधिक पावर फैक्टर पर पूर्व प्रक्रिया के अनुरूप प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जाए।

(ब) **वोल्टेज छूट** :– 132/220 केवी हेतु प्रदाय की जा रही ऊर्जा लागत पर 3% की वोल्टेज छूट के अनुरूप उन्हें भी इसे लागू किये जाने पर विचार किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड कोड में किये गये उपबन्ध के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का आहरण 0.98 ऊर्जा–कारक (पावर फैक्टर) पर करना होता है तथा इस प्रकार यदि कोई छूट प्रदान की जाना हो तो वह 0.98 ऊर्जा कारक पर ही प्रदान की जानी चाहिए।

तथापि, कम्पनी ने विद्यमान संरचना में 0.95 ऊर्जा कारक से अधिक पर प्रोत्साहन दिये जाने पर कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है।

टैरिफ संरचना का अध्ययन किये जाने पर यह देखा जा सकता है कि रेलवे हेतु प्रभावशील विद्युत–दर (टैरिफ) 33 केवी पर प्राप्त किये जा रहे विद्युत प्रदाय से कम है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन कर्षण बिन्दुओं हेतु 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि ऊर्जा कारक हेतु प्रदाय की गई छूट पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय वोल्टेज स्तर पर कोई पृथक छूट पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि विद्युत प्रदाय की लागत की गणना समस्त वोल्टेज स्तरों पर विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर की गई है।

विषय क्रमांक 4 : विद्यमान 0.85 ऊर्जा कारक (PF) के स्थान पर 0.90 से कम ऊर्जा कारक (PF) पर अर्थ दण्ड आरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

ऊर्जा कारक (PF) 0.85 से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि यह पूर्व में प्रचलित था। रेलवे द्वारा विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि कर्षण उपकेन्द्रों में शंट कैपेसिटर स्थापित किये जाने के बावजूद भी ऊर्जा कारक में परिवर्तनीय प्रकार के उच्च भार के कारण 0.90/0.92 से अधिक सुधार नहीं हो पाता। अतएव, ऊर्जा कारक अधिभार 0.85 से अधिक पर अधिरोपित नहीं किये जाने चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

रेलवे हेतु ऊर्जा कारक की न्यूनतम सीमा को 0.85 से कम करना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) की भावना के विरूद्ध होगा। जहां तक ऊर्जा कारक (Power Factor) के नियंत्रण का प्रश्न है तो इसका सर्वोत्तम प्रौद्योगिक हल स्त्रोत पर ही प्रतिक्रिय प्रवाहों (Reactive Flows) का नियंत्रण करना होगा, अर्थात् विद्युत लोकोमोटिव से। उदाहरण के तौर पर पटल पर स्थापित उचित प्रतिक्रिय क्षतिपूर्ति उपकरण (suitable on-board reactive compensation devices) अथवा सर्किट जो लोकोमोटिव के प्रतिक्रिय भार का अत्यंत निकटता से अनुसरण कर रहे हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि रेलवे के भार को विशेष प्रकार का मानते हुए, विद्यमान प्रावधान में परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत न होगा।

विषय क्रमांक 5 : गहन विद्युत उद्योगों अर्थात् पावर इन्टेनसटिव उद्योगों जैसे कि लघु इस्पात संयंत्रों (मिनी स्टील प्लांट)/विद्युत–रासायनिक संयंत्रों (इलेक्ट्रो केमिकल प्लांट) हेतु पृथक विद्युत–दर की मांग की गई

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों का मत है कि वर्तमान में व्यापक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले उद्योगों हेतु पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के उद्योग स्टील इंडक्शन फर्नेस तथा इलेक्ट्रो–केमिकल उद्योग, जैसे कि ''क्लोर अलकली'' तथा ''कास्टिक सोडा'' हैं जिनमें केवल विद्युत की ही लागत 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक आती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियो का कथन है कि व्यापक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले उद्योगों हेतु टैरिफ की नवीन श्रेणी प्रारंभ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैरिफ प्रस्तावों की संरचना तथा विद्युत की औसत लागत तथा प्रति–राज्यानुदान दिशा–निर्देश (cross-subsidy road map) के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त भी, मध्य प्रदेश के समस्त गहन रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले उपभोक्ता उनकी प्रभावी विद्युत प्रदाय की औसत लागत को कम किये जाने का भार–कारक प्रोत्साहनों के रूप में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अतएव, इनके लिये पृथक श्रेणी को सृजित किये जाने का औचित्य नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा गहन विद्युत उद्योगों (Power Intensive Industries) हेतु एक पृथक श्रेणी लागू की गई है।

विषय क्रमांक 6 : भार कारक प्रोत्साहन गणना सूत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

अखिल भारतीय इंडक्शन फर्नेस एसोसियेशन के प्रतिनिधि द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी के भार कारक प्रोत्साहन गणना (Load Factor Incentive Calculation) संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया गया। भार कारक प्रोत्साहन गणना हेतु, विद्युत वितरण कम्पनी ने निम्न सूत्र प्रस्तावित किया है :

$$\text{भार कारक (\%)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटो की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{ऊर्जा कारक}}$$

जहां, मांग अधिकतम अभिलिखित की गई मांग या संविदा मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी, ऊर्जा कारक (PF) 0.9 अथवा वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

इसके बजाय, प्रतिवेदक ने निम्न सूत्र विचारार्थ प्रस्तावित किया है :

$$\text{भार कारक (\%)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{वास्तविक मांग} \times 90\%}$$

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

यदि वास्तविक ऊर्जा कारक का सांकेतिक मूल्य (nominal values) 0.9 से अधिक हो, तो आपत्तिकर्ताओं द्वारा भारक कारक की गणना हेतु सुझाये गये सूत्र द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्य प्राप्त होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी विकसित हो सकती हैं जहां गणना किये गये भार कारक का मूल्य इकाई से अधिक भी हो सकता है, जो युक्तियुक्त न होगा। याचिकाकर्ता द्वारा एक ऐसा सूत्र प्रस्तावित किया गया है जो न्यायोचित तथा युक्तियुक्त है तथा आयोग द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रमुख टैरिफ आदेश दिनांक 18.5.2010 में इस बारे में सहमति भी व्यक्त की जा चुकी है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 51/2010 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 7.10.2010 में भार–कारक की गणना संबंधी सूत्र में संशोधन किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में एक नया सूत्र निर्दिष्ट किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत भी आयोग द्वारा इसी सूत्र को जारी रखा गया है।

विषय क्रमांक 7 : न्यूनतम प्रत्याभूत खपत में वृद्धि का विरोध किया गया

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों तथा इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत खपत में शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत, निम्न दाब उद्योगों के अन्तर्गत श्रेणी एलवी 4 में विद्यमान 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति को बढ़ाकर प्रस्तावित 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति किये जाने का विरोध किया गया है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में गैर घरेलू–श्रेणी (एलवी 2) के अन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत खपत को विद्यमान 360 यूनिट प्रति किलोवाट से बढ़ाकर प्रस्तावित 480 यूनिट प्रति किलोवाट किये जाने का भी विरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कंपनी का मत है कि ऊर्जा की वास्तविक लागत के साथ–साथ मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि न्यायसंगत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि न्यूनतम खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत को 240 से घटा कर 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या किलोवाट कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 8 : विलम्बित भुगतान अधिभार को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अर्जित राजस्व माना जाना चाहिए

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवादियों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि विलंबित भुगतान अधिभार अर्जित किये गये राजस्व का एक भाग है तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का एक भाग माना जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

राजस्व अंतर की गणना संग्रहण दक्षता को शतप्रतिशत मान कर की गई है। अतएव, टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु विलंबित भुगतान अधिभार गणना को माने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में राजस्व की गणना संभूति (accrual) आधार पर की जाती है न कि रोकड़ संग्रहण के आधार पर। कार्यकारी पूंजी की गणना भी मानदण्डीय आधार पर की जाती है। राजस्व संग्रहण में हुई किसी प्रकार की कमी वितरण कम्पनी के खाते में जाती है तथा इस हेतु अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी को अनुज्ञेय नहीं किया जाता है। विलंबित भुगतान अधिभार वास्तव में उक्त कारणों से विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा हानि उठाये जाने की एक क्षतिपूर्ति की भांति है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग, विनियमों के अन्तर्गत दर्शाये गये कारणों से विलंबित भुगतान अधिभार के विरूद्ध प्राप्तियों को आय माने जाने के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतान में की गई चूक के कारण अतिदेय (Overdue) ब्याज अनुज्ञेय नहीं किये जाने के अपने आधार को यथावत रखता है।

विषय क्रमांक 9 : बिलिंग मांग को संविदा मांग (CD) के 75 प्रतिशत तक कम करना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि न्यूनतम बिलिंग मांग को संविदा मांग के 90% के विद्यमान प्रावधान को बंद कर पुनः 75% कर दिया जाए जैसा कि यह कुछ वर्ष पूर्व प्रचलन में था।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों की वर्तमान लागत टैरिफ के स्थाई प्रभार घटक के माध्यम से पूर्णतया वसूल नहीं हो पाती है। चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों को दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करने होते हैं तथा दिवस–पूर्व अनुसूची भी प्रस्तुत करनी होती है, अतएव, मांग (स्थाई) प्रभारों के वर्तमान स्तर को घटाया जाना संभव नहीं है। न्यूनतम बिलिंग मांग के संविदा मांग के प्रतिशत के रूप में संबंधित मुद्दे को पूर्व में भी उठाया जा चुका है तथा वर्तमान में बिलिंग मांग को संविदा मांग के 90% की दर से कमी किये जाने संबंधी उपबन्ध में वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। अतएव, इसमें और अधिक कमी किये जाने को अनुज्ञेय न किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का यह दृष्टिकोण है कि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आयोग द्वारा अब उपभोक्ता मांग में परिवर्तन इस प्रकार से किये गये हैं कि संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक अभिलिखित की गई मांग पर अतिरिक्त मांग के संबंध में अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित नहीं किये जा सकेंगे।

विषय क्रमांक 10 : ईंधन प्रभार समायोजन तथा मंहगे ऊर्जा प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

(i) उपभोक्ता समिति के कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि ईंधन प्रभार समायोजन (Fuel Surcharge Adjustment) हेतु बहुवर्षीय टैरिफ संरचना को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक सूत्र का अनुमोदन पृथक विनियम/आदेश द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार का सूत्र केवल बहुवर्षीय टैरिफ पर लागू किया जाना चाहिए यदि तथा एक बार ईंधन अधिभार समायोजन सूत्र के अनुसार समायोजन किया जाता है तो टैरिफ पुनरीक्षण/सत्यापन लागत अनुज्ञेय किया जाना आवश्यक न होगा।

(ii) मंहगे विद्युत प्रभारों के संबंध में, निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गईं :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी की यह वचनबद्धता है कि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय निरन्तर 24 घंटे की कालावधि हेतु किया जाए तथा विद्युत प्रदाय की लागत इस वचनबद्धता पर आधारित है।

(ब) पूर्व से ही, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभेद (differentiation) द्वारा मंहगी दरें प्रभारित की जा रही है।

(स) दिन के समय (TOD) विद्युत–दर (टैरिफ) शीर्ष भार घंटों (peak load hour) के दौरान 25 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत–दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है, तथा इस प्रकार उन्हें मंहगे विद्युत क्रय हेतु प्रभारित किया जाता है।
इस प्रकार, एक विशेष प्रभार के आरोपण का तात्पर्य है प्रति राज्यानुदान अधिभार संबंधी लक्ष्य (Road map) में बाधा डालना, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(i) विद्युत वितरण व्यापार की लागत संरचना काफी जटिल होती है जो अनिश्चितताओं के अध्यधीन होती है जिसे केवल ईंधन अधिभार समायोजन द्वारा विनिर्दिष्ट कर व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता यह महसूस करता है कि अनियंत्रणीय लागतों (uncontrollable costs) की गतिपूर्वक पूर्ति किया जाना तथा भविष्यगामी उपभोक्ताओं हेतु स्थगित नहीं करना बेहतर होगा जो काफी हद तक राष्ट्रीय टैरिफ नीति से संरेखित है। अतएव, बहुवर्षीय टैरिफ प्रतिदर्श वितरण क्षेत्र के लिये अच्छे प्रकार से उपयुक्त नहीं है जब तक देश में आर्थिक मोर्चे पर स्थिर स्थिति (steady state) प्राप्त नहीं कर ली जाती है। ईंधन लागत समायोजन का तात्पर्य केवल विद्युत क्रय लागत में उतार–चढ़ाव (variation) पर काबू पाना है जबकि सत्यापन अभ्यास में वास्तविक तथा अंकेक्षित लेखों के आधार पर व्ययों के समस्त शीर्षों को ध्यान में रखा जाता है।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त विद्युत क्रय एमपी ट्रेडको के माध्यम से निष्पादित किये जाते हैं। एमपी ट्रेडको द्वारा राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा भी, विभिन्न ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय हेतु संविदा के निष्पादन के अतिरिक्त, एमपी ट्रेडको द्वारा विद्युत संकोष (banking of power) की व्यवस्थाओं का निष्पादन भी किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत का विक्रय जिंस (inkind) के रूप में किया जाएगा तथा इसकी वापसी भी जिंस के रूप में बाद में किसी तिथि को अथवा विपरीतात्मक तौर पर की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः संभागीय तथा जिला मुख्यालय के उच्च दाब तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के भार को अवरोधित (Load Shedding) नहीं किया जाता। अतएव, विद्युत प्रदाय की अप्रत्याशित कमी की परिस्थितियों में, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की इन श्रेणियों हेतु मंहगी विद्युत क्रय व्यवस्था के माध्यम से प्रबंधन करना होता है। इसके अतिरिक्त, लागू किये गये बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के पैरा 40.1 (जे) के अनुसार भी आयोग द्वारा इस हेतु प्रावधान भी दिया है कि वह मंहगी विद्युत अधिप्राप्ति के कारण अतिरिक्त प्रभारों को लागू कर सकेगा। वास्तव में, इस विनियम के माध्यम से, आयोग द्वारा विद्युत–दर अवधारण की दृष्टि से दीर्घ–अवधि ऊर्जा तथा लद्यु अवधि ऊर्जा (अर्थात मंहगी ऊर्जा) की अवधारणा पर विचार किया गया है। अतएव, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंहगी विद्युत प्रदाय की अतिरिक्त लागत को संभागीय/जिला मुख्यालय के उच्च दाब तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं से वसूली अनुज्ञेय किये जाने बाबत प्रस्तावित किया जाता है। चूंकि भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के निम्न दाब हानि स्तर अलग–अलग होते हैं, अतः यह उचित होगा कि जिला मुख्यालयों के उपभोक्ताओं से मंहगी विद्युत प्रदाय की वसूली, उनकी आवश्यकतानुसार की जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि इस समय ईंधन प्रभार समायोजन प्रभारों के उद्ग्रहण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इससे संबंधित वास्तविक प्रभाव पर इस आदेश के सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा।

विषय क्रमांक 11 : दिन के समय (टाईम ऑफ डे) बाह्य शीर्ष छूट (ऑफ पीक रिबेट) को समाप्त करना तथा शीर्ष भार अधिभार में वृद्धि करना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित विद्युत–दर में बाह्य अवधि (Off Peak Load Period) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) के दौरान 7.5 प्रतिशत के देय प्रोत्साहन को समाप्त किये जाने का विरोध किया गया है। इसके विपरीत, इस प्रोत्साहन को 15 प्रतिशत की दर पर पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांय 6 बजे से 10 बजे की शीर्ष अवधि हेतु, सामान्य दर का 20 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। इसे पिछले वर्ष के 15 प्रतिशत स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

प्रणाली मांग में वृद्धि के कारण, शीर्ष अवधि के दौरान, अतिरिक्त विद्युत के क्रय की दर सामान्यतः सामान्य अवधि दर की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसी प्रकार, प्रणाली मांग में कमी के कारण, शीर्ष बाह्य (off-peak) अवधि के दौरान, अतिरिक्त विद्युत की क्रय दर सामान्य अवधि दर की तुलना में कम होती है। ऐसा पाया गया है कि शीर्ष अवधि के दौरान, विद्युत की कीमत रात–दिन (round the clock) विद्युत की कीमत से विद्युत की कीमत सामान्यतः 15 प्रतिशत अधिक होती है।

ऐसा भी पाया गया है कि शीर्ष बाह्य अवधि के दौरान, रात–दिन विक्रित की गई विद्युत की कीमत से उच्चतर होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शीर्ष अवधि के दौरान पिछले टैरिफ आदेश में प्रदान की गई छूट, शीर्ष बाह्य अवधि के दौरान विद्युत की कीमत से संरेखित नहीं है। शीर्ष अवधि के दौरान भी अधिभार, शीर्ष अवधि के दौरान विद्युत की कीमत से कम होता है। विद्युत वितरण कम्पनियों के मतानुसार, शीर्ष अवधि के दौरान अधिभार की सीमा में न्यूनतम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए तथा शीर्ष अवधि के दौरान दी जा रही छूट को भी वापस ले लिया जाना चाहिए। यह उचित होगा कि उपभोक्ताओं से इन्हें अतिरिक्त प्रभारों के रूप में वसूल किया जाए जिनके द्वारा शीर्ष अवधि के दौरान विद्युत का उपयोग किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार को केवल 4 घंटों *(सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)* के लिये तथा छूट को 8 घंटों *(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)* हेतु ही निर्धारित किया गया है। आयोग को इस संबंध में दी जा रही छूट की दर में और अधिक संशोधन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

विषय क्रमांक 12 : विनियामक परिसम्पतियों का गठन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक याचिकाकर्ता द्वारा अपनी चिन्ता जतलाई है कि विनियामक परिसम्पत्तियों की संरचना वित्तीय कुप्रबंधन का द्योतक है। यह एक अस्वस्थकार प्रवृत्ति भी है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विनियामक परिसम्पत्तियों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को आघात से बचाना है। यह एक अस्वस्थकर प्रवृत्ति नहीं है। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बोझ तो टल ही जाता है तथा इससे अनुज्ञप्तिधारी को अपने प्रदर्शन में सुधार लाये जाने का समय तथा अवसर भी मिल जाता है एवं उपभोक्ता पर वर्तमान में पड़ने वाले प्रत्याशित बोझ का भी निराकरण हो जाता है।

याचिकाकर्ता का यह भी मत है कि आयोग द्वारा विनियामक परिसम्पत्तियों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियम तैयार किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा लागतों को केवल युक्तियुक्त स्तर पर ही अनुज्ञेय किया गया है। आयोग द्वारा केवल उक्त राजस्व को ही अनुज्ञेय किया गया है जो अनुज्ञेय–योग्य लागतों की आपूर्ति करता है। आयोग द्वारा प्राक्कलित राजस्व का भी प्रावधान कर दिया गया है जो अनुज्ञेय योग्य लागतों की आपूर्ति भी करता है। अतएव, विनियामक परिसम्पत्तियों को प्रावधानित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 13 : उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई तथा ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त मांग प्रभार में वृद्धि

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई तथा ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त मांग प्रभारों हेतु अतिरिक्त प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त प्रभार केवल स्थायी प्रभारों पर लिये जाएं तथा कोई तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आधिक्य मांग का किसी इकाई की खपत के साथ कोई संबंध नहीं होता।

इस विषय के अंतर्गत यह सुझाव दिया गया कि आधिक्य भार के प्रकरण में, बिलिंग टैरिफ आदेश के उपबन्ध के अनुसार की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिकारीगण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 तथा 135 के अनुसार बिलिंग कर रहे हैं जो टैरिफ आदेश के उपबन्धों के अनुसार सही नहीं है। अनुरोध किया गया नियमित रूप से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से बचाने हेतु आयोग द्वारा इस विषय पर दिशा–निर्देश टैरिफ आदेश के अन्तर्गत ही जारी किए जाएं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली को उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा असूचीबद्ध विनिमय (unscheduled Interchages -UI) प्रभारों की कठोर व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि तत्संबंधी उपभोक्ताओं द्वारा भी अपने छोर/स्तरों पर इसी प्रकार के अनुशासन का प्रतिपालन किया जाना चाहिए। इस अनुशासन का परिपालन स्वयं उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारी हेतु एक समान रूप से प्रभावी विद्युत दरों तथा समग्र लागतों में कमी किये जाने की ओर अग्रसर होता है। सख्ती से अनुपालन द्वारा दाण्डिक प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि द्वारा प्रणाली के अनुशासन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा संविदा मांग से आधिक्य को अभिलिखित करते समय मांग पर अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में निर्णय लेते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा जहां–जहां यह लागू होता है इसे 1.5 गुना से घटा कर 1.3 गुना कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 14 : एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी, एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी तथा एमपी पावर ट्रैडिंग कम्पनी की अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) से विद्युत क्रय लागत पर विचार करना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि विद्युत क्रय लागतें एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी, एमपी ट्रांसमिशन कम्पनी, तथा एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी (ट्रेडको) की अनुमोदित सम्पूर्ण आवश्यकता (ARR) से ली जानी चाहिए। तथापि, आयोग द्वारा ट्रेडको को वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत क्रय के प्रस्तावों को दाखिल किये जाने बाबत निर्देश दिये जा सकते हैं तथा इन लागतों के आधार पर विद्युत क्रय लागतों पर विचार किया जा सकता है। निवेदन किया गया कि ट्रेडको को वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना होगा

तथा शीर्ष समय व मानसून के दौरान उपलब्ध जल–विद्युत को उपलब्धता आधारित टैरिफ (ABT) के अन्तर्गत राजस्व के अर्जन हेतु इसका व्यापार किया जा सकता है। इस राजस्व को विद्युत वितरण कम्पनियों को अन्तरित किया जा सकता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए। विद्युत क्रय संबंधी आंकड़े एमपी ट्रेडको तथा एमपी ट्रांसको से परामर्श के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा केवल युक्तियुक्त विद्युत क्रय लागतों को ही अनुज्ञेय किया गया है। ट्रेडको की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के विषय पर आयोग द्वारा पृथक से विचार किया जाएगा।

***विषय क्रमांक 15 : चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान प्रभार* (wheeling & cross subsidy surcharge)**

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कंस्यूमर सोसायटी तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान प्रभार (wheeling & cross subsidy surcharge) को आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (AAR) के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए। विद्युत–दरों (Tarffs) का अनुमोदन 18 मई, 2010 को किया गया जबकि चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान प्रभार का अनुमोदन 3 मार्च, 2011 को किया गया। इस प्रकार का समय अन्तराल न तो उपभोक्ताओं के हित में है तथा न ही यूटिलिटी (विद्युत वितरण कम्पनी) के हित में निवेदन किया गया कि इन प्रभारों का निर्णय विद्युत–दर का निर्धारण करते समय किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आपत्तिकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर आयोग द्वारा इस विषय पर उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग आपत्तिकर्ताओं के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। चक्रण प्रभारों तथा प्रतिराज्यानुदान प्रभारों का अवधारण पृथक से किया जा रहा है।

विषय क्रमांक 16 : घरेलू श्रेणी में विद्युत–दर (टैरिफ) वृद्धि तथा घरेलू श्रेणी हेतु खण्डों (Slabs) में कमी किये जाने बाबत

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

घरेलू उपभोक्ताओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा घरेलू श्रेणी में प्रस्तावित विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया गया। सुझाव दिया गया कि घरेलू विद्युत–दर विद्युत–प्रदाय की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि घरेलू श्रेणी से अन्य श्रेणियों को प्रति–अनुदानित (cross-subsidize) किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सुझाव दिया गया कि घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत खण्डों की संख्या घटा कर केवल दो कर दी जाए अर्थात् 0 से 30 यूनिट तक तथा 30 यूनिट से अधिक हेतु एक समान प्रभारों के साथ।

इस पहल के माध्यम से बिलिंग पर आने वाली लागत, मीटर रीडिंग में धोखाधड़ी (manipulation) तथा संबंधित कदाचारों से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, स्थाई प्रभारों के अवधारण हेतु दिये गये तर्कों का कुछ घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी खण्डों (स्लैब) की संख्या में बारंबार परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने के पक्ष में नहीं है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ संरचना में स्थाई प्रभारों का प्रावधान उपभोक्ताओं से ऐसे स्थाई प्रभारों की वसूली हेतु किया जाता है जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने ऊपर आरोपित किये जाते हैं जिस समय उपभोक्ता बिजली की खपत न भी कर रहा हो। यह भी, कि अनुज्ञप्तिधारी कुल स्थाई प्रभारों की 30–40 प्रतिशत वसूली ही कर पाता है तथा शेष राशि की वसूली टैरिफ न्यूनतम प्रभारों के माध्यम से ही करनी होती है। अतएव, आपत्तिकर्ता का स्थाई प्रभारों के युक्तियुक्त किये जाने बाबत दृष्टिकोण सही नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत विवरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है। अतएव, इस हेतु कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

विषय क्रमांक 17 : निम्न दाब की एलवी–4 श्रेणी–संयोजित भार की उच्चतम सीमा का निर्धारण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

(अ) निम्न दाब उद्योगों में उपभोक्ताओं के अधिकांश भाग को द्विभाग मापयंत्र (Two Part Meters) प्रदान किये जाते हैं जो मांग तथा ऊर्जा को अभिलिखित (रिकार्ड) करते हैं। एक बार मांग मापयंत्र स्थापित किये जाने के पश्चात्, संयोजित भार विद्युत–दरों की सम्पूर्ण अवधारणा युक्तिहीन तथा अस्वीकार्य है।

(ब) 11 केवी तथा 33 केवी पर निम्न दाब से उच्च दाब में परिवर्तित कई उद्योगों की संयोजित भार संबंधी आवश्यकता के कारण भी इसका सुझाव दिया जाता है। उनकी मांग, तथापि, 60 केवीए से कम ही रहती है। अतएव 11 केवी तथा 33 केवी की उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की न्यूनतम मांग अर्हता (Minimum demand requirement) को 60 केवीए तक कम किया जाना आवश्यक है। तकनीकी विकास के कारण, अब 60 केवीए की सटीक मांग को अभिलिखित करने वाले मापयंत्र उपलब्ध होने लग गये हैं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(अ) ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग, उनकी संविदा मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, संयोजित भार पर उच्चतम सीमा को हटाया जाना तकनीकी तौर पर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली भारों के हस्तालन (handling) हेतु उचित तौर पर सुसज्जित नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी में अधिकतम संभव भार जो उसकी प्रणाली हेतु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों तथा अर्हताओं के लिये आनुषंगिक हैं का सही आंकलन तथा नियंत्रण किये जाने का सामर्थ्य होना चाहिए।

(ब) आयोग द्वारा 11 केवी पर न्यूनतम संविदा मांग पूर्व में ही 50 केवीए तक कम की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भी, मापयंत्र उपकरणों से संबंधित रुपांकन संरोधो (design constraints) के कारण संविदा मांग को कम किया जाना न तो, व्यवहारिक है तथा न ही तकनीकी तौर पर न्यायसंगत।

आयोग का दृष्टिकोण

(अ) आयोग आगामी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत संयोजत भार पर निम्न दाब उद्योगों को प्रयोज्य मांग आधारित विद्युत–दर संबंधी उच्चतम सीमा समाप्त करने का इच्छुक है। आयोग पृथक से विद्युत वितरण कम्पनियों को समस्त मांग आधारित उद्योगों को मार्च, 2012 तक स्वचालित मापयन्त्र पाठन मीटरीकरण प्रणाली (AMR Metering) सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दे रहा है, ताकि आयोग के उद्देश्य को आगामी टैरिफ अवधि के दौरान मूर्तरूप प्रदान किया जा सके।

(ब) आयोग द्वारा समस्त सुसंगत पहलूओं तथा ऐसे औद्योगिक उपभोक्ता जिनके संयोजित भार निम्न दाब संयोजनो हेतु निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक हैं परन्तु 11 केवी पर 60 केवीए के न्यूनतम स्तर से नीचे हैं, की कठिनाईयों पर विचार करते हुए अपने वित्तीय वर्ष 2010–11 में 50 केवीए की न्यूनतम संविदा मांग हेतु 11 केवी पर उच्च दाब संयोजन अनुज्ञेय किये गये हैं। आयोग का मत है कि इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निम्न दाब श्रेणियों हेतु संयोजित भार की वर्तमान उच्चतम सीमा में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है।

विषय क्रमांक 18 : घरेलू स्वीकृत भार का 10 प्रतिशत उपयोग गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि घरेलू श्रेणी के संबंध में, 10 प्रतिशत भार को गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किया जाए। ऐसे उपाय स्वरोजगार तथा जीवन यापन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार के संयोजन को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है।

विषय क्रमांक 19 : ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों तथा उद्योगों के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी की ''ग्रामीण क्षेत्र'' संबंधी परिभाषा के परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव का विरोध किया गया जहां तक वे निम्न दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों से संबद्ध हैं जहां यह उल्लेख किया गया है कि ''ग्रामीण क्षेत्रों से तात्पर्य है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भार विनियमन उपाय (Load Regulatory Measure) के अन्तर्गत ग्रामीण नियमावली के अनुसार घोषित किया गया संभरक।

निवेदन किया गया कि मप्र शासन की अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ13/0513/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 के अनुसार टैरिफ आदेश की कंडिका एक में निम्न दाब उपभोक्ताओं की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा जारी रखी जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युंत क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अवधारणा काफी भिन्न है जो सामान्य रूप से आम जनता के साथ–साथ ऐसे उपभोक्तओं के हित में भी है जो शहरी संभरकों से शहरी नियमावली के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त कर रहे हैं जिनकी बिलिंग शहरी विद्युत–दर के अनुसार की जानी चाहिए। इस हेतु किसी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। आपत्तिकर्ताओं को विनियामक उपायों के साथ–साथ विद्युत चक्र (Electricity Cycle) तथा विद्युत प्रदाय प्रणाली को भी समझना होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का विचार है कि इस संबंध में किसी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस विषय को पूर्व टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत संव्यवहारित किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 20 : शीत गृह (Cold Storage) विद्युत–दर में छूट

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

शीत–गृह संघों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि शीत–गृह को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत माना जाए तथा कृषि हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर को इस श्रेणी पर भी लागू किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेखनीय है कि शीत–गृहों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है क्योंकि ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवा हेतु उन्हें प्रभारित करते हैं। अतएव, श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है।

विषय क्रमांक 21 : कृषि श्रेणी में विद्युत–दर वृद्धि

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कृषि संयोजनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज की गईं। जिला बुरहानपुर के विभिन्न कृषक संगठनों द्वारा विद्युंत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु आकलित खपत (assessed consumption) में वृद्धि का विरोध किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं को उनके सिंचाई पम्पों हेतु, आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के सीमान्त कृषकों के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि ऐसे कृषकों की वास्तविक खपत निर्दिष्ट वार्षिक मानदण्डों से काफी कम है। यह सुझाव दिया गया कि सीमान्त कृषकों की खपत के आकलन हेतु आधारित उद्योग/उपयोगों हेतु विद्युत–दर कृषि सर्वेक्षण किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि समस्त कृषि संयोजनों को मीटरीकृत किया जाए ताकि लघु कृषक अपने देयकों का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार कर सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि कृषि स्वतंत्र रूप से विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार रखी जाए।

कृषकों द्वारा कृषि संभरकों (फीडरों) पर अत्यधिक कम वोल्टेज के कारण कठिनाईयां, जिनका उनके द्वारा एक साथ सामना किया जा रहा है, का उल्लेख किया गया जिसकी वजह से न

केवल उनकी कृषि पंप मोटरें जल जाती हैं वरन् भार के प्रेरणिक प्रकार के होने के कारण (due to inductive nature of load) तथा स्थल पर उचित क्षतिपूर्ति के अभाव में तन्तुपथ हानियों (line losses) में भी सार्थक रूप से वृद्धि हो जाती है।

कृषि विद्युत–दर के संबंध में सुझाव दिया गया कि विद्युंत दर समस्त क्षेत्रों में एक समान होनी चाहिए, भले वे शहरी हों या ग्रामीण। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण हेतु सीएफएल के उपयोग को सम्मिलित करते हुए, और अधिक छूट प्रदान की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दर उक्त विशिष्ट श्रेणी की विद्युत की लागत के अनुरूप होनी चाहिए तथा यह भी कि प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी द्वारा उक्त विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत लागत की कीमत का न्यूनतम 80% वित्तीय भार वहन करना।

इसके अतिरिक्त प्रभावशाली मीटरिंग की व्यवहार्यता (feasibility), कृषि क्षेत्र में एक गंभीर बाधा है जिसे व्यवहार में लाना काफी कठिन कार्य है। कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

जहां तक शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एक समान विद्युंत–दर का प्रश्न है, विद्युत प्रदाय के संबंध में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय गुणात्मक तथा परिमाणात्मक अन्तर है। पंपिंग व्यवस्था के अन्तर्गत भी ऊर्जा बचत किये जाने पर पर्याप्त छूट का प्रावधान भी है। एक ही स्तर के प्रदीपन (illumination) हेतु सीएफएल के उपयोग से ऊर्जा खपत में कमी होती है तथा इसके द्वारा उपभोक्ता को यूनिटों में कमी से आर्थिक लाभ होता है। अतः और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा कृषि विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ टैरिफ नीति के प्रावधानों को विचार में रखा गया है।

विषय क्रमांक 22 : जल प्रदाय कार्यों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

नगरपालिक निगम इंदौर के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित गैर–शासकीय संगठनों (NGOs)/सक्रिय कार्यकर्ताओं (activitists) द्वारा उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के जल

प्रदाय श्रेणी में विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर ने नर्मदा चरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के 132 केवी संयोजनों के संबंध में इन संयोजनों को स्थाई प्रभार, मीटर किराया तथा अतिरिक्त भार प्रभार से मुक्त रखे जाने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि तन्तुपथ हानियों (line losses), विद्युत उत्पादन की लागत मय लागू न्यूनतम मात्रा (applicable minimum margin) की लागत की गणना की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तावित विद्युत दरों का अवधारण विद्युत प्रदाय की औसत लागत तथा टैरिफ विनियमों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, विद्युत दरों में वृद्धि विद्युत प्रदाय की लागत में वृद्धि के कारण की जाती है। तथापि, उच्च वोल्टेज स्तर पर ऊर्जा प्रभारों को घटे हुए स्तर के कारण, घटे हुए स्तर पर ही किया जाता है। यहां यह समझे जाने की आवश्यकता है कि कम्पनी को स्थाई प्रकार के व्ययों की पूर्ति स्थाई प्रभारों से करनी होती है। अतएव, कम्पनी आपत्तिकर्ता के प्रभारों से छूट प्रदाय किये जाने बाबत अनुरोध से सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की अधिमान्य विद्युत–दरों (preferential Tariffs) द्वारा एक पूर्वोदाहरण (precedence) स्थापित हो जाएगा तथा भविष्य के लिये जटिलताएं पैदा कर देगा। इसके अलावा भी, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की भावना के प्रतिकूल होगा जहां विद्युत के विशिष्ट उपभोक्ताओं हेतु ''अनुचित प्राथमिकता (undue preferance)'' दर्शाई जानी चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारी की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है।

विषय क्रमांक 23 : दूर संचार सेवा प्रदायकों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

दूरसंचार सेवा प्रदायकों के प्रतिनिधियों द्वारा संयोजन को गैर–घरेलू/वाणिज्यिक श्रेणी से औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तन द्वारा अथवा मिश्र भार (mix load) हेतु पृथक श्रेणी के सृजन द्वारा दूरभाष उद्योग को समर्थन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं की बिलिंग गैर–घरेलू (एलवी–2) श्रेणी के अन्तर्गत की जाती है। तथापि, औद्योगिक श्रेणी के संबंध में

आदेश के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह श्रेणी ऐसी औद्योगिक स्थापनाओं हेतु संरचित की गई है जहां माल/सामग्री का विनिर्माण तथा खाद्य सामग्री/कृषि संबंधी सामग्री का प्रसंस्करण भी किया जाता है। तथापि, यदि आयोग इस संबंध में उचित समझे तो उनके दूरसंचार सेवाओं हेतु अनुसूची एलवी–2 के अन्तर्गत एक पृथक उप–श्रेणी पर विचार किया जा सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग आपत्तिकर्ता के दूरभाष सेवा प्रदायकों को औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने या उनके लिये नई श्रेणी का सृजन करने संबंधी सुझाव से सहमत नहीं है। तथापि, दूरभाष अधोसंरचना की समुन्नति को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा दरो में छूट प्रदान की गई है।

विषय क्रमांक 24 : स्थाई प्रभारों में कमी लाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनी का स्थाई प्रभारों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए तथा इसे विद्यमान स्तर पर ही जारी रखा जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ संरचना में स्थाई प्रभारों का प्रावधान, उपभोक्ताओं से स्थाई प्रकृति के प्रभारों, जो कि उनके द्वारा वहन किये जाते हैं भले ही उपभोक्ता विद्युत की खपत न भी कर रहा हो, की वसूली हेतु किया जाता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा स्थाई प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा तद्नुसार इसका प्रावधान विद्युत–दर में किया गया है।

विषय क्रमांक 25 : न्यूनतम खपत/न्यूनतम प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि निम्न दाब/उच्च दाब औद्योगिक श्रेणियों हेतु न्यूनतम खपत/प्रभारों को समाप्त कर दिया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

औद्योगिक श्रेणियों हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों का विचार है कि यदि स्थाई लागत की वसूली पूर्णतया स्थाई प्रभारों के माध्यम से की जाती है तो सामान्यतः न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) को उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। यदि स्थाई प्रभारों का स्तर काफी न्यून स्तर पर रखा जाता हैं तो इसके सिवाय कोई अन्य विकल्प विद्यमान नहीं रह जाता कि उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभार अधिरोपित किये जाएं ताकि राजस्व सन्तुलन को बनाये रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, उन उपभोक्ताओं के लिये जिनकी न्यूनतम प्रति किलोवाट प्रति माह औसत खपत टैरिफ न्यूनतम से अधिक है, इस प्रावधान द्वारा बिलिंग में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ न्यूनतम दर यथोचित है तथा विनियमों के अनुसार है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि यदि स्थाई प्रभारों की वसूली पूर्णतया स्थाई लागत के माध्यम से की जाती है तो सामान्यतः इन्हें उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु, यदि स्थाई प्रभार काफी न्यून स्तर के हों तो कुछ उपभोक्ता श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता ताकि राजस्व का सन्तुलन बना रहे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि खपत का स्तर न्यूनतम प्रभारों की मानदण्डीय अवसीमा (threshold) के अन्तर्गत हो तो ऐसी दशा में केवल वास्तविक खपत प्रभारों की ही वसूली हो पाती है। आयोग द्वारा, तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम खपत प्रभार 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति (प्रकरण अनुसार) से कम कर 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति कर दिये गये हैं।

विषय क्रमांक 26 : 1) समग्र विद्युत–दर (टैरिफ) को कम किये जाने हेतु विद्युत दर में भार कारक (LF) प्रोत्साहनों का संविलियन करना; 2) न केवल भार कारक प्रोत्साहनों के संबंध में न्यूनतम निर्दिष्ट स्तर पर वांछनीय खपत हेतु वरन् समस्त खपत की गई यूनिटों पर भार कारक प्रोत्साहन प्रदान करना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों के कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भार–कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन बढ़ाने के बजाय भार–कारक प्रोत्साहन को विद्युत–दर में सम्मिलित कर दिया जाए जिसके कारण समग्र विद्युत–दर में कमी होगी। भार–कारक प्रोत्साहन समस्त यूनिटों पर प्रदान किया जाए तथा इसे केवल न्यूनतम विनिर्दिष्ट स्तर से अधिक खपत पर ही प्रदान न किया जाए जो भार–कारक प्रोत्साहन की पात्रता रखती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

भार–कारक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भारों के अनुकूलतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है। अनुज्ञप्तिधारियों की औसत विद्युत क्रय लागत तथा उपभोक्ताओं की औसत विद्युत–दर स्वतः कम हो जाएगी यदि कोई उपभोक्ता उसी संविदा मांग में अधिकतम विद्युत का आहरण करता है तथा इस प्रकार औसत विद्युत क्रय लागत में कमी भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से उपभोक्ता को अंतरित हो जाएगी। इस प्रकार, उपभोक्ता प्रथमतः औसत विद्युत दर में कमी द्वारा तथा द्वितीय भार कारक प्रोत्साहन के रूप में दुगुना लाभ प्राप्त करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि इसे समग्र रूप से देखा जाए तो संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के अनुसार सामान्य रूप से प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के मध्य एक विभेदक कारक (Distinguishing Factor) है। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनी आपत्तिकर्ता के सुझाव से असहमत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि भार कारक प्रोत्साहनों में उत्तरोत्तर कमी की जानी चाहिए जैसा कि वह पिछले टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत इसका क्रियान्वयन करता आ रहा है। इस नीति के अनुसरण में आयोग द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु भार कारक की उच्चतम सीमा में वृद्धि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है। आयोग इस सुझाव से सहमत नहीं है कि भार कारक प्रोत्साहन हेतु धनात्मक (incremental) खपत के स्थान पर न्यूनतम उच्च स्तर (minimum bench mark level) से अधिक समस्त खपत हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

विषय क्रमांक 27 : कृषि आधारित उद्योगों, जैसे कि गिनिंग, प्रेसिंग तथा खाद्य तेल मिल इकाईयों को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने बाबत

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा गिनिंग, प्रेसिंग तथा तेल मिल इकाईयों को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने का अनुरोध करते हुए इन्हें भी उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत गिनिंग, प्रेसिंग तथा तेल मिलों को कृषि संबंधी विद्युत दरें लागू किये जाने का अनुरोध किया गया। यह भी निवेदन किया गया कि केन्द्रीय सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण, गिनिंग तथा प्रेसिंग उद्योग मासिक टैरिफ न्यूनतम यूनिटों की खपत तक कर पाने में असमर्थ हैं। अतएव अनुरोध किया गया कि मौसमी उपभोक्ताओं हेतु मौसमी–बाह्य (off season) अवधि 4 से 6 माह रखी जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मप्रविनिआ द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दरें विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए टैरिफ नीति के उपबन्धों से संरेखित नियत की जाती हैं। मौसमी उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ संरचना मप्रविनिआ द्वारा आमजन के दृष्टिकोण तथा ऐसे उद्योगों की खपत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई थी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा उसके द्वारा वर्तमान प्रावधानों के किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 28 : उच्च दाब उद्योगों हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि उच्च दाब श्रेणी हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन (power factor incentive) विद्यमान 0.95 के स्थान पर 0.90 से अधिक हेतु प्रदान किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ग्रिड संहिता के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत कारक 95 प्रतिशत पर संधारित करना होता है। अतएव, भार कारक 95 प्रतिशत से कम हो जाने पर, उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड युक्तियुक्त है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग के विचार में विद्यमान उपबन्धों में परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

विषय क्रमांक 29 : भार कारक संख्या को पूर्णांक करना (0.5 से कम संख्या को न्यूनतम मान तक तथा 0.5 से अधिक संख्या को उच्चतर मान तक पूर्णांक किया जाना)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वव्यापी प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी संख्या के मूल्य को पूर्णांक करने की प्रक्रिया है जिसके अनुसार 0.5 से कम

के पूर्णांक को न्यूनतम मान तक पूर्णांक किया जाता है, तथा 0.5 से अधिक के पूर्णांक को उच्चतर मान तक पूर्ण किया जाता है। परंतु, वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत इसे (भार कारक को) न्यूनतम समीपस्थ संख्या तक पूर्णांक किया जाता है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाए जिसके अनुसार 0.5 से नीचे की भिन्न को न्यूनतम संख्या तक पूर्णांक किया जाए जबकि 0.5 से अधिक मूल्य को उच्चतर संख्या तक पूर्णांक किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि यदि भार कारक को उच्चतर मूल्य तक पूर्णांक किया जाता है तो इससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्राप्त प्राप्त होगा। अतएव, भारक कारक संख्या को न्यूनतम अंक तक पूर्णांक किया जाना न्यायसंगत, युक्तियुक्त तथा तर्कसंगत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया। भार कारक के प्रोत्साहन का प्रावधान अधोसंरचना के उच्चतर उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु किया जाता है जो इस प्रयोजन हेतु एक विशेष प्रावधान है। प्रोत्साहन का दावा एक अधिकार के बतौर नहीं किया जा सकता तथा न ही इसके सूत्रीकरण (formulation) को केवल एक विशिष्ट विधि अपनाए जाने बाबत बाध्य किया जा सकता है। इस प्रोत्साहन को अन्तिम रूप देते समय आयोग का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस प्रोत्साहन के अर्जन हेतु पूर्णांक की अवसीमा (threshold) पूर्णांक में अर्जित की जाएगी न कि भिन्न (fraction) के रूप में। अतएव, विद्यमान उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 30 : अस्थाई विद्युत प्रदाय को सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक प्रभारित न किया जाए

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि समस्त श्रेणियों हेतु अस्थाई प्रभार एक समान होने चाहिए तथा इन्हें सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक दर पर भारित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि निम्न दाब तथा उच्च दाब श्रेणी में लघु अवधि के लिये अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग को स्थाई विद्युत प्रदाय पर अनुमति प्रदान की जा सकती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विद्यमान स्थाई संयोजनों हेतु अस्थाई विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त करने का प्रावधान आज भी विद्यमान है। इस प्रकार की सुविधा को निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विस्तार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश निम्न दाब उपभोक्ताओं को अधिकतम मांग अभिलिखित किये जाने हेतु मीटर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। अस्थाई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई राजस्व प्रवाह प्रदान नहीं करते हैं तथा जब दीर्घ–अवधि विद्युत क्रय अनुबंधों से विद्युत उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी दशा में कई बार अस्थाई सयोजनों हेतु विद्युत विनिमय केन्द्रों (Power exchanges) से विद्युत प्राप्त करनी होती है जिसकी दर अपेक्षाकृत रूप से अत्यधिक होती है। अतएव, सामान्य दर की 1.5 गुना प्रस्तावित दर काफी युक्तियुक्त है। एक ऐसी सुविधा हेतु, जिसे सामान्य तौर पर तत्काल प्रदान किया जाता है, अस्थाई विद्युत प्रदाय की क्षतिपूर्ति हेतु 1.1 गुना की दर पर्याप्त प्रतीत नहीं होती।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा अस्थाई संयोजन की बिलिंग हेतु स्थाई संयोजनों की दर का 1.3 गुना प्रावधान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके उपरान्त, कोई अन्य परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा। आयोग स्थाई संयोजन के माध्यम से निम्न दाब अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने को व्यावहारिक नहीं मानता है।

विषय क्रमांक 31 : स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से आकड़ों का सत्यापन किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का सत्यापन स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक दल के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता है। आंकड़ों का सत्यापन निम्न मुद्दों पर किया जा सकता है :

(अ) क्या खुदरा वितरण विद्युत दरों के अवधारण बाबत समस्त आंकड़े मप्रविनिआ द्वारा संरचित विनियमों के अनुरूप हैं ?

(ब) खुदरा वितरण विद्युत दरों के अवधारण के संबंध में मांग का पूर्वानुमान, वसूली दरें तथा राजस्व का पूर्वानुमान किया जाना।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग द्वारा इस विषय पर पूर्व में भी विचार किया गया था तथा उनके द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन किये जाने का समर्थन नहीं

किया गया। इस संदर्भ में, आपत्तिकर्ता द्वारा मप्र इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर सोसायटी, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 80/07 में आयोग द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का सत्यापन किया जाना एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया मात्र होगी तथा अन्तिम रूप से निरर्थक सिद्ध होगी क्योंकि वर्तमान में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया में सत्यापन, आपत्तियां के अभिलेखन/सुझावों तथा वांछित पारदर्शिता हेतु पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग इस विषय पर विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 32 : कुक्कुट पालन केन्द्रों की श्रेणी हेतु परिवर्तन का सुझाव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुक्कुट पालन केन्द्र (Poultry Farms) श्रेणी के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि कुक्कुट पालन केन्द्र कृषि उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अतएव इनकी विद्युत–दर कृषि विद्युत दर के समान होनी चाहिए। अतएव इनकी श्रेणी वर्तमान एलवी 5.2 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) के स्थान पर एलवी 5.1 (कृषि उपयोग) में परिवर्तित की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

किसी भी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत कोई नया खण्ड (स्लैब) आयोग द्वारा संव्यवहारित किया जाता है जिसे प्रभावित उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण पर विचार कर निर्धारित किया जाता है। कम्पनियों के दृष्टिकोण के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 33 : मौसमी एचवी–4 विद्युत दर को एचवी–3 श्रेणी में सम्मिलित किया जाए

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

फेडरेशन ऑफ एमपी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि मौसमी एचवी–4 श्रेणी को एचवी–3 श्रेणी में शामिल कर लिया जाए सिवाय इसके कि इस श्रेणी के

लिये भिन्न वार्षिक न्यनूतम प्रभारों को निर्दिष्ट किया जाए, जैसा कि इसे निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके प्रस्ताव पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा व्यक्त किये गये के दृष्टिकोण से सहमत है तथा इन उपभोक्ताओं हेतु विद्युत टैरिफ संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 34 : अति उच्च दाब/उच्च दाब श्रेणी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा अति उच्च दाब/उच्च दाब श्रेणियों के समस्त वर्गों के संबंध में स्थाई प्रभारों के युक्तियुक्तकरण किये जाने तथा अति उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु इन्हें कम किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसे वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत के साथ संबद्ध किया जाए। (i) कोयला खदानें (Coal Mines) (ii) मौसमी (Seasonal) (iii) थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential users) जैसी श्रेणियों को समाप्त किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय हेतु युक्तिसंगत दरें नियत की जाएं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए टैरिफ प्रस्ताव में किसी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन किये जाने का सुझाव नहीं दिया गया है। टैरिफ नीति में विद्युत प्रदाय के वोल्टेज स्तर के अनुसार विद्युत प्रदाय की लागत का प्रावधान नहीं किया गया है। वर्तमान टैरिफ प्रस्ताव टैरिफ नीति, प्रति सहायतानुदान मार्गदर्शिका (cross subsidy roadmap) तथा मप्रविनिआ द्वारा अधिसूचित विनियमों से संरेखित है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त घटकों के साथ–साथ प्रति राज्यानुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Roadmap) के प्रावधानों

पर भी विचार कर लिया गया है। अतएव, इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा। उच्चतर निवेश लागतों को दृष्टिगत रखते हुए, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय की दर में समुचित वृद्धि की गई है।

विषय क्रमांक 35 : शॉपिंग मॉल श्रेणी हेतु विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया गया ।

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

एक प्रतिवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि मॉलों हेतु प्रस्तावित विद्युत दर में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए तथा इसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्तर पर ही कायम रखा जाए। निवेदन किया गया कि जब वातानुकूलित मांग में कमी हो जाती है तो मॉल उद्योग द्वारा शीतकाल के दौरान न्यूनतम प्रभार के रूप में अत्यधिक राशि का भुगतान किसी भी प्रकार से करना ही होता है। इसका प्रति सन्तुलन या भरपाई ग्रीष्मकाल के दौरान नहीं का जाती जिस समय उनकी मांग अधिक होती है। इसके फलस्वरूप, उनकी वास्तविक विद्युत–दर अनुमोदित दर से काफी अधिक होती है। अतएव, प्रभावी तौर पर, मॉल उद्योग द्वारा पूर्व से ही मौसमी कारकों से अनुमोदित दर से कहीं अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि मॉल गहन विद्युत की खपत करने वाली संस्थापनाएं (Power Intensive Installations) नहीं हैं तथा इनके द्वारा सामान्यतः उच्च आय वर्गों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार, ये अपने सेवा प्रभारों में वृद्धि किये जाने हेतु पर्याप्त रूप से स्वतंत्र होती हैं। टैरिफ प्रस्तावों की संरचना विद्युत अधिनियम, 2003, टैरिफ नीति, मप्रविनिआ विनियमों, प्रति राज्यानुदान मार्गदर्शिका तथा विद्युत प्रदाय की औसत लागत के आधार पर की जाती है जो युक्तिसंगत हैं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों/सुझावों तथा विद्युत वितरण कम्पनी के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा शॉपिंग मॉलों के लिये युक्तियुक्त विद्युत–दर निर्धारित की गई है।

विषय क्रमांक 36 : धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित संस्थानों/अस्पतालों हेतु घरेलू विद्युत दर अधिरोपित किये जाने संबंधी सुझाव

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

धर्मस्व न्यासों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित संस्थानों/अस्पतालों तथा वे संस्थाएं जो मानव जाति के कल्याण हेतु सेवारत हैं तथा

निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उन्हें गैर–घरेलू श्रेणी के स्थान पर घरेलू टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

घरेलू श्रेणी का तात्पर्य केवल घरेलू श्रेणी के आवासीय प्रयोजन से ही है। तथापि, गैर–घरेलू टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत दो उपश्रेणियों (एलवी 2.1 तथा एलवी 2.2) आती हैं तथा एलवी 2.1 उपश्रेणी की विद्युत उपश्रेणी दर एलवी 2.2 उपश्रेणी से अपेक्षाकृत कम है। आयोग आपत्तिकर्ता के अनुरोध पर धर्मस्व अस्पतालों का एलवी 2.1 टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत रखे जाने के संबंध में उचित दृष्टिकोण अपना सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग हितधारकों के इस तर्क को औचित्यपूर्ण नहीं समझता क्योंकि घरेलू विद्युत–दर मुख्यतः आवासीय प्रयोक्ताओं के प्रयोजन हेतु ही है। अतएव, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का औचित्य नहीं है।

विषय क्रमांक 37 : उच्च दाब श्रेणी के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक भार कारक पर विद्युत खपत में ऊर्जा प्रभारों के द्वितीय खण्ड (स्लेब) को हटाया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ उद्योगों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उच्च दाब श्रेणी के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों की प्रभेद दर (differential rate) को हटाया जाने का सुझाव दिया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Incentive) प्रदान करने का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को भार के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रेरित करना है। यदि उपभोक्ता उक्त संविदा मांग (CD) की अधिकतम विद्युत की मात्रा आहरित करता है तो अनुज्ञप्तिधारी की औसत विद्युत प्रदाय लागत तथा उपभोक्ताओं की औसत विद्युंत–दर (टैरिफ) स्वतः ही कम हो जाएगी तथा इस प्रकार औसत विद्युत क्रय लागत में कमी के कारण लाभ को भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से उपभोक्ता को अंतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, उपभोक्ता दोहरा लाभ प्राप्त करता है; प्रथमतः, औसत विद्युत दर में कमी के रूप में तथा द्वितीय भार–कारक प्रोत्साहन के माध्यम से। उपरोक्त के अलावा भी, यथोचित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के अनुसार प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के मध्य सामान्यतः एक प्रभेदी कारक (distinguishing factor) भी है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा संबंधित विद्युत–दर की समग्र संरचना तथा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के पुनरीक्षण पश्चात् यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि इस समय सम्पूर्ण खपत हेतु प्रभावित उपभोक्ताओं के हित में एक समान प्रभारों का प्रावधान किया जाना उचित न होगा।

विषय क्रमांक 38 : देयकों का त्वरित भुगतान किये जाने पर प्रोत्साहन में वृद्धि एक प्रतिशत की दर तक किये जाने संबंधी सुझाव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उद्योगों तथा औद्योगिक संगठनों द्वारा मांग की गई कि त्वरित बिल भुगतान किये जाने पर वर्तमान में 0.25 प्रतिशत की दर से छूट को बढ़ाकर एक प्रतिशत किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

7 दिवस की अवधि हेतु एक प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना अत्यधिक प्रतीत होता है। अतएव, याचिकाकर्ता का प्रस्ताव युक्तियुक्त है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग सुझाए गए परिवर्तन हेतु सहमति व्यक्त नही करता तथा उसने प्रोत्साहन के विद्यमान प्रावधान, अर्थात् निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व भुगतान किये जाने पर, 0.25 प्रतिशत की दर से छूट जारी रखे जाने बाबत निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 39 : ग्रामीण संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान करना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि मांग तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि घोषित किये गये ग्रामीण संभरक (फीडर) ऐसे संभरक होने चाहिए जिन्हें अति उच्च दाब (EHV) उपकेन्द्र (केवल 132 केवी या इससे अधिक) से ग्रामीण संभरक (33 केवी तथा 11 केवी) घोषित किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि आपत्तिकर्ताओं का द्वारा ग्रामीण संभरक से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के अपने खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश में पूर्ण तौर पर पूर्व

से ही इस बाबत अवेक्षा कर ली गई है तथा इस प्रकार मांग प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत दर पर 15 प्रतिशत की छूट लागू किया जाना आवश्यक नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया तथा इस संबंध में विद्यमान उपबन्धों को जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 40 : विक्रय पूर्वानुमान

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान में विक्रय पूर्वानुमान लगाये जाने की एकल सटीक विधि लागू न किये जाने के कारण पूर्व में लगाये गये पूर्वानुमानों का परीक्षण करने के साथ–साथ वास्तविक तथा शुद्धिकारकों की गणना की जानी चाहिए। यह भी मत व्यक्त किया गया कि यदि विद्युत की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो खपत अधिक होगी। यह भी सुझाव दिया गया कि अन्य कारक, जैसे कि विद्युत बचाये जाने की विधियां मय ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (BEE) द्वारा लागू किये गये स्टार के स्तर (Star levels) तथा राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यकुशलता मिशन (National Energy Efficiency Mission) के अंतर्गत सीएफएल (CFL) के बड़े पैमाने पर किये जा रहे उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विक्रय पूर्वानुमानों का आकलन संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के आधार पर किया गया है जो पूर्णतया वार्षिक वृद्धि रूझानों तथा दरों के रूझानों को ध्यान में रखता है। समग्र रूप से, पर्याप्त वास्तविक आंकड़ों तथा रूझानों के एकत्रीकरण द्वारा यह विधि स्वतः समस्त प्रभावों, यथा ऊर्जा संरक्षण उपायों, दक्षता अभियानों (Efficiency drives), विद्युंत प्रदाय की विश्वसनीयता निरन्तरता तथा गुणवत्ता, आदि में वृद्धि पर विचार करेगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत है। तथापि, इस वर्ष अमीटरीकृत संयोजनों के संबंध में दाखिल किये गये विक्रय आंकड़ें, जो प्रचलित मानदण्डों से अधिक पाये गये हैं, उनमें मानदण्डों की उक्त सीमा के अन्तर्गत कांट–छांट कर दी गई है।

विषय क्रमांक 41 : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सार हिन्दी में भी उपलब्ध कराया जाए ताकि आमजन की सक्रिय प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत इस बाबत चाहा गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (AAR) तथा टैरिफ प्रस्तावों की प्रमुख विशिष्टताएं, समाचार–पत्रों में दोनों हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थीं। कोई भी आपत्तिकर्ता, जिसे अपनी विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हों, उसे निरापवाद याचिका के सुसंबद्ध विवरणों का अध्ययन करना ही होता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपनी याचिकाओं तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका, दोनों हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करनी चाहिए।

विषय क्रमांक 42 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक समान विद्युत–दरों का प्रस्तुतिकरण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

आयोग द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 को जारी किये गये टैरिफ आदेश के अन्तर्गत ''विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य एक समान विद्युत–दर प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण'' संबंधी विषय पर चर्चा की गई तथा राज्य शासन से की गई चर्चा के आधार पर, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान विद्युत दरें रखे जाने का निर्णय लिया गया था। तथापि, यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत–दरें अलग–अलग हैं। निवेदन किया गया कि एक प्रकार की श्रेणियों हेतु भिन्न–भिन्न विद्युत–दरें आमजन तथा उद्योगों को स्वीकार्य नहीं होगी। टैरिफ प्रस्तावों पर विचार किये जाने से पूर्व राज्य शासन के विचारों को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियां राज्य में अपने–अपने प्रचालन क्षेत्रों में पृथक–पृथक वाणिज्यिक इकाईयों के रूप में अपने कार्य का संचालन करती हैं तथा इनके उपभोक्ता मिश्र (Consumer mix), लागतें व आय, मानदण्डीय विनियामक मानदण्ड (normative regulatory paramerter)

भी अलग–अलग हैं। अतएव, टैरिफ प्रस्तावों को एक साथ ''संयोजित (clubbing) करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य से विचार विमर्श कर सम्पूर्ण राज्य के एक समान विद्युत–दर को संधारित किये जाने संबंधी निर्णय लेना तथा आयोग द्वारा कर इसे अन्तिम रूप देना, आयोग का विशेषाधिकार है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत है तथा उसके द्वारा म.प्र राज्य के परामर्श से राज्य भर में एक–समान विद्युत–दर रखी गई है।

विषय क्रमांक 43 : कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की लागत का अवधारण।

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक उपभोक्ता संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि के संबंध में विद्युत प्रदाय की लागत की गणना हेतु पृथक से प्रयास किये जाने चाहिए। विद्युत प्रदाय की दरें विद्युत प्रदाय की लागत पर आधारित होनी चाहिए। कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विद्युत तथा भूमिगत जल की क्षति के नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे उपभोक्ताओं पर प्रयोक्ता–प्रभार संबंधी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित की जाए तथा इसके लिये मापयंत्रों (मीटरों) का प्रावधान किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर निर्णय राज्य शासन से परामर्श द्वारा लिया जाना है।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत प्रदाय की लागत पर केवल एकांकी तौर पर ही (Isolation) गणना किया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि वहां पर पृथक संभरक (फीडर) नहीं होते तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों, यथा घरेलू, गैर–घरेलू तथा उद्योगों को सम्मिलित कर, का पोषण एक ही संभरक से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी, विद्युत वितरण कम्पनियां विद्युत प्रदाय की लागत की श्रेणीवार गणना हेतु किसी ऐसी विधि द्वारा अभी तक सुसज्जित नहीं हैं। अतएव आयोग प्रस्तुत सुझावों को स्वीकार योग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 44 : अनुसंधान तथा विकास हेतु पहल करना तथा वितरण विद्युत उत्पादन हेतु, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों को बढ़ावा देना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनुज्ञप्तिधारियों के पास अनुसंधान तथा विकास हेतु सुविधाएं या पृथक प्रकोष्ठ उपलब्ध नहीं है तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों हेतु वित्तीय आवंटन भी उपलब्ध नहीं है। निवेदन किया गया कि नवीकरणीय स्त्रोतों पर आधारित अनुसंधान तथा विकास हेतु तथा उपयोगिता योजनाओं के माध्यम से समस्त ग्रामों में सिंचाई तथा घरेलू प्रकाश व्यवस्था हेतु सौर पैनलों के उपयोग द्वारा पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं। अनुरोध किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को अपने–अपने प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाएं तथा वांछित निधि हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु उनके द्वारा उचित प्रावधान भी किये जाएं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता आपत्तिकर्ताओं की अनुसंधान तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में उनकी उद्विग्नता का सम्मान करते हैं। आयोग द्वारा इस विचार पर उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा विकास के संबंध में, राज्य शासन द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा के संवर्धन हेतु गहन प्रोत्साहन नीति तैयार की गई है जिसमें सौर ऊर्जा को भी सम्मिलित किया गया है तथा अनुज्ञप्तिधारी भी इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है तथा यदि विद्युत वितरण कम्पनियां सुयोग्य प्रस्ताव लाती हैं तो आयोग इन पर यथोचित विचार करेगा।

विषय क्रमांक 45 : मानदण्डीय हानि से अधिक वितरण हानियों का दावा किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (पूक्षेविविकं) के एक उपभोक्ता द्वारा अभ्युक्ति की गई है कि पूक्षेविविकं द्वारा 29.35 प्रतिशत की दर से वितरण हानियों का दावा किया गया है जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसायटियो (ग्राविससो) के कारण 2.35 प्रतिशत हानियां भी सम्मिलित की गई हैं। ग्राविससो, कम्पनी क्षेत्र में कार्यरत किसी अन्य ग्रामीण संभागों की भांति होती है। अतएव, ग्राविससो के कम्पनी क्षेत्र में संविलियन को आयोग द्वारा निर्धारित 27

प्रतिशत में वृद्धि किये जाने का मानदण्डीय स्तर के अनुसार, इसका कारण निरूपित नहीं किया जाना चाहिए। इसके कारण, वित्तीय बोझ को उपभोक्ताओं को अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए, वह भी इस कारण से कि कृषि उपभोक्ताओं हेतु 11 केवी संभरकों (फीडरों) संबंधी कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है, जैसा कि समाचार–पत्रों में इस बारे में पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का विनियम क्रमांक जी–35, वर्ष 2009 ऐसे समय पर संरचित किया गया है जब ग्राविस सोसायटियों विद्युत वितरण कम्पनी की उच्च–दाब उपभोक्ता थीं तथा वे अपना व्यापार स्वतंत्र रूप से संचालित कर रही थीं। विनियमों के जारी होने के पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा मप्रविनिआ के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के कार्य दिनांक 15 अगस्त, 2010 से अपने नियंत्रण में ले लिये गये हैं तथा तत्कालीन सोसायटियों के उपभोक्तागण अब याचिकाकर्ता के निम्न दाब उपभोक्ता बन चुके हैं। विनियम जारी होने के उपरांत, परिदृश्य में इस प्रकार के अकस्मात परिवर्तन के कारण, विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय हानि स्तर से लगभग 2.35 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो प्रचालन तथा संधारण हानियों, जैसे कि कर्मचारी लागतों, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों में वृद्धि के कारण हैं जबकि मानदण्डीय व्ययों में वृद्धि को अनुज्ञेय नहीं किया गया है। अतएव, इस प्रकार के व्ययों में वृद्धि के कारण, समग्र लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से कि भविष्य में जुड़ने वाले उपभोक्ताओं पर पूर्व की लागतों के कारण बोझ न डाला जाए, टैरिफ नीति के अनुसार अनियन्त्रणीय लागतों की प्रति प्रतिप्राप्ति (recovery) तीव्र गति से की जानी होगी। अतएव, भविष्य में जुड़ने वाले उपभोक्ताओं के लिये उत्तरदान (legacy) बतौर छोड़े जाने अथवा इन्हें अनिश्चित काल के लिये लम्बित रखने के बजाय, ऐसी युक्तियुक्त तथा वैध लागतों को, शीघ्र अतिशीघ्र इनकी वसूली की जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता इस प्रकार की वसूली के निष्कर्षों के प्रति संवेदनशील है तथा इस प्रकार की विद्युत–दर में वृद्धि तथा आधातों के परिमाण को न्यूनतम किये जाने हेतु सदैव प्रयासरत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के संविलियन के कारण हानियों के प्रति किया गया दावा न्यायोचित नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनी को मानदण्डीय हानियों में वृद्धि की मांग किये जाने के बजाय, संचालन के प्रति अपनी दक्षता में वृद्धि लाये जाने की आवश्यकता है।

विषय क्रमांक 46 : टर्मिनल प्रसुविधा

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

(i) विद्युत वितरण कम्पनियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ मप्र पेंशनर्स संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि टर्मिनल प्रसुविधा न्यास में निधि के अंशदान हेतु प्रावधान किये जाने संबंधी अनुरोध पूर्व तथा पश्चिम मांग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, जैसा कि इस हेतु प्रावधान किया गया है, को अनुज्ञेय किया जाए ताकि टर्मिनल प्रसुविधा न्यास निधि की स्थापना की जा सके।

(ii) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संबंध में, टर्मिनल प्रसुविधा हेतु इस दायित्व को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया जा सका है क्योंकि कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा इस बाबत अनुमति प्रदान नहीं की गई।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता द्वारा हितधारकों के तर्क से सहमति व्यक्त की गई तथा आयोग से हितधारकों के आग्रह पर विचार किये जाने तथा इन लागतों को अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया गया जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 12 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में इस हेतु दावा किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस बाबत विनियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु अनन्तिम तौर पर व्ययों को अनुज्ञेय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में रू. 361.90 करोड़ के व्ययों को सम्मिलित किया गया है।

विषय क्रमांक 47 : घरेलू प्रयोजन हेतु उच्च दाब संयोजन की प्राप्ति हेतु पृथक विद्युत–दर

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एसोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, म.प्र. इन्दौर के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि ऐसे उपभोक्ताओं हेतु, जो उच्च दाब संयोजन का लाभ उठाने के इच्छुक हों, पृथक विद्युत–दर लागू की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

कम्पनी द्वारा इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस संबंध में विद्युत–दर (टैरिफ) की उच्च दाब श्रेणी 6.2 के अन्तर्गत वैयक्तिक संयोजन की अनुमति प्रदान की गई।

.ए–5 : खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

5.1 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 45 तथा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अवधारित की है। विद्युत जनरेशन कंपनी, विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी तथा विद्युत वितरण कंपनियों हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, खुदरा टैरिफ के माध्यम से प्रभारों की वसूली का प्राथमिक आधार निर्मित करती है।

5.2 इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत–दरों के अवधारण में, आयोग ने भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति

एक–समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें (Uniform vs Differential Retail Tariffs)

5.3 आयोग ने राज्य शासन से परामर्श कर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एक–समान खुदरा प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु भी जारी रखी जाये।

5.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2011, जो विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता के तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में एक–समान टैरिफ दर, को न्यूनाधिक एक संतुलित राजस्व आय बनाम अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता द्वारा संभव बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुमोदित टैरिफ दरों का प्रयोग करते हुए गणना की गई राजस्व राशि को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने पर तीन कम्पनियों के मध्य असमान राजस्व अन्तरों/आधिक्यों की ओर उद्भूत होते हैं। म.प्र. शासन द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं को पुनः आवंटित कर दिया गया है जिससे कि विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागतों का पुनर्संतुलन किया जा सके। इसके द्वारा तीनों वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता बनाम वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुमोदित टैरिफ दरों पर न्यूनाधिक संतुलित राजस्व आय को संभव बनाती है, जिससे राज्य भर में एक समान विद्युत दरें सुनिश्चित की गई हैं।

5.5 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण हेतु टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत), विनियम, 2009 के अन्तर्गत वितरण हानि स्तर के प्रक्षेप वक्र (loss level trajectory) पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

5.6 टैरिफ दरों के अवधारण में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया गया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 4.22 प्रति यूनिट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह लागत रू. 4.49 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार प्रदर्शित करती है।

तालिका 100 : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में		
	वित्तीय वर्ष 2010–11 (टैरिफ आदेश 18 मई 10 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित प्रति–सहायतानुदान में कमी लाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार लक्ष्य)	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादित)
घरेलू	94.85%	95%	94.79%
गैर–घरेलू	138.78%	120%	139.80%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	90.13%	95%	88.01%
पथ–प्रकाश	92.01%	100%	90.55%
औद्योगिक	123.94%	120%	122.64%
कृषि	74 .62%	80%	73.23 %
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	125.27%	120%	124.09%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	129.28%	120%	129.38%
औद्योगिक	121.23%	120%	118.54%
गैर–औद्योगिक	125.62%	120%	128.96%
सिंचाई, जल–प्रदाय संयंत्र, तथा	95.60%	95%	97.51%

अन्य कृषि उपयोग			
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	**100.16%**	**97%**	**97.28%**
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	**88.42%**	**95%**	**73.45%**

5.7 जैसा कि इस आदेश के पूर्व के भागों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हो चुका है। लागतों में वृद्धि के कारण, जो प्राथमिक रूप से विद्युत क्रय के कारण है, विद्युत प्रदाय की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर को पाटने की दृष्टि से आयोग द्वारा यथासंभव सुविचारित ढंग से विद्युत–दर (टैरिफ) को प्रति अनुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Road Map) से संयोजित किया गया है। कई कारकों द्वारा विद्युत–दर के निर्धारण कों प्रभावित किया गया है जिसमें शामिल है विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्यमान दरों के अनुसारं पड़ने वाली वृद्धि का प्रभाव। तथापि, टैरिफ नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अग्रसर होने के लिये उत्तरोत्तर प्रयास किया गया है।

5.8 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत–दर रूपांकन में कुछ परिवर्तन किये गये हैं तथा आपत्तिकर्ताओं के सुझावों/आपत्तियों पर विचार करते हुए उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत एक नवीन श्रेणी लागू की गई है। इन परिवर्तनों का वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

5.9 **अतिरिक्त प्रभारों का अधिरोपण यदि अधिकतम मांग संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक हो** : वर्तमान में यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक अभिलिखित की जाती है तो उस पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित किये जाते हैं। आयोग ने हितधारकों के अभ्यावेदन पर इस विषय में पुनर्विचार कर निर्णय लिया है कि यदि अधिकतम मांग, संविदा मांग 105 प्रतिशत तक अभिलिखित की जाती है तो अतिरिक्त मांग पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित नहीं किये जाएंगे।

5.10 **अतिरिक्त प्रभारों के अधिरोपण की दर (Rate of levy of additinal charges)** ; समस्त निम्न दाब/उच्च दाब श्रेणियों हेतु, जहां–जहां यह लागू हो, अतिरिक्त मांग अभिलिखित किये जाने पर अतिरिक्त प्रभारों के आरोपण की दर में स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु वर्तमान में 1.5 गुना के स्थान पर अब 1.3 गुना होगी।

5.11 **उच्च दाब विद्युत–दर के अन्तर्गत नवीन गहन विद्युत उपभोक्ता श्रेणी (New Power Intensive Consumer Category under HV Tariff)** : गहन विद्युत उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से, टैरिफ अनुसूची एचवी–3 के अन्तर्गत एक नवीन उपश्रेणी शीर्ष ''गहन विद्युत उपभोक्ता (Power Intensive Consumers)'' लागू की गई है जिसकी

विद्युत–दर अन्य औद्योगिक संयोजनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रखी गई है। तथापि, नवीन श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्तागण भार कारक प्रोत्साहन (load factor incentive) प्राप्ति की पात्रता नहीं रखेंगे।

5.12 **भार कारक प्रोत्साहन की संरचना का पुनरीक्षण (Revision in structure of load factor incentive)** : आयोग का यह मत है कि भार कारक प्रोत्साहन में उत्तरोत्तर कमी की जानी चाहिए, जैसा कि वह अपने पूर्व टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत करता आ रहा है। इसी नीति का अनुसरण करते हुए, आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत भार कारक की पात्रता की अवसीमा (threshold limit) 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75% कर दी गई है।

5.13 **न्यूनतम खपत प्रभारों में कमी की जाना (Reduction in minimum consumption charges)** : आयोग ने आपत्तिकर्ताओं के सुझावों पर विचार करते हुए ऐसी समस्त निम्न दाब श्रेणियों हेतु, जहां यह लागू हो, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत को 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या प्रति किलोवाट प्रति वर्ष से घटा कर 180 यूनिट कर दिया है।

5.14 **ऊर्जा कारक प्रोत्साहन अधिरोपण का पुनरीक्षण (Revision in levy of power factor incentive)** : हितधारकों द्वारा आंशिक ऊर्जा कारकों (fractional power factors) को पूर्णांक किये जाने के संबंध में व्यक्त की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, आयोग ने भिन्न को पूर्णांक किये जाने की वर्तमान विधि को अपनाए जाने के बजाय इसे संपूर्ण अंक हेतु ही लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, न्यूनतर तथा उच्चतर पूर्णांक के मध्य भिन्न में अभिलिखित ऊर्जा कारकों की सम्पूर्ण श्रृंखला हेतु, प्रोत्साहन एकल–दर पर देय होगा। इसकी व्याख्या सुसंबद्ध उच्च दाब/निम्न दाब टैरिफ अनुसूचियों में अधिक विस्तार से की गई है।

5.15 **ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार उद्योगों को छूट प्रदान करना (Rebate to Telecome Industries in rural areas)** : आयोग द्वारा दूरसंचार अधोसंरचना सेवा प्रदायकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत, समाज के ग्रामीण वर्ग की दूरसंचार संबंधी आवश्यकताओं के प्रबन्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संचार–तन्त्र (नेटवर्क) के आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया है जिसके अनुसार दूरसंचार अधोसंरचना हेतु, आयोग द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टावरों के संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट प्रदान की गई है।

ए 6 : आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

6.1 विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन द्वारा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रचालित इकाईयों के मध्य कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धा जागृत किये जाने के साथ–साथ उनकी वाणिज्यिक व्यावहारिकता में सुधार लाये जाने के संबंध में भी सुधार प्रक्रिया लाये जाने की पहल की गई है ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय व गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय वहनीय दरों पर किया जा सके। विद्युत उपयोगिताओं (utilities) से न केवल वाणिज्यिक रूप से वहनीय बन जाने की अपेक्षा की जाती है, वरन उनके द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं के संबंध में वांछित दक्षता लाये जाने तथा उपभोक्ताओं की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने की अपेक्षा भी की जाती है। अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र के विनियमन में उक्त ढांचे को परिभाषित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है जिसके अन्तर्गत विद्युत कम्पनियों से कार्य निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। आयोग इस तथ्य पर चिन्तित है कि सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के उपरान्त काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि प्रचालन के वांछनीय स्तर प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। आयोग अपने पूर्व में जारी किये टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत भी विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत अधिनियम, 2003 में की गई अभिकल्पनाओं के अनुरूप निरन्तर नवीन पहल तथा सुधारों के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में तत्पश्चात लाई गई नीतियों से संरेखित किये जाने के संबंध में परामर्श देता आ रहा है।

6.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों के संबंध में परिपालन की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित की गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस संबंध में प्रेषित की गई प्रस्तुतियों की समीक्षा से प्रकट होता है कि यद्यपि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वांछित कदम उठाये गये हैं परंतु ठोस परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। आयोग ऐसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने का इच्छुक है जो वितरण प्रणाली के निष्पादन के समग्र आधार हेतु उच्च प्राथमिकता रखते हैं। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के खुदरा टैरिफ आदेश के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे जो विद्युत क्षेत्र के कार्य के निष्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण थे। इन दिशा–निर्देशों के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिपालन की अद्यतन स्थिति, आयोग की अभ्युक्तियां तथा जारी किये गये नवीन दिशा–निर्देश नीचे दर्शाये गये परिच्छेदों में दिये गये हैं :

6.3 वितरण हानिया : (Distribution losses)

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को हानियों में कमी लाये जाने में सुधार लाये हेतु सभी संभव प्रयास किये जाने हेतु सुस्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये थे। आयोग द्वारा ये निर्देश भी दिये गये कि अनुज्ञप्तिधारी आगामी अवधि में इस अति महत्वपूर्ण

विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित करें ताकि न केवल मानदण्डीय हानियों के स्तर तक पहुंचा जा सके, वरन् स्थिति में अपेक्षित सुधार भी लाया जा सके।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

1. विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि हानि स्तर जो वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत 37.23 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2009.10 के दौरान 33.45 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार हानि स्तर में उनकी उपलब्धि में 3.78 प्रतिशत की कमी के रूप में रही है। मप्र. शासन द्वारा अधिसूचित हानि वक्र (loss trajectory) के अनुसार, वर्ष 2009–10 के दौरान हानियों में कमी लाये जाने संबंधी लक्ष्य 3 प्रतिशत था, अर्थात् 29.5 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत स्तर तक इसमें कमी की जाना। इस प्रकार, विद्युत वितरण कम्पनी की उपलब्धि हानि में वांछित कमी स्तर से अधिक ही रही है।

2. कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने हेतु पांच वर्षीय पूंजीगत योजना (Capex Plan) प्रस्तुत की गई है तथा अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार पूंजी निवेश के पश्चात, हानियों में वांछित कमी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि :

1. निम्न दाब श्रेणी में हानियां कम किये जाने के प्रयोजन, से वर्ष 2009–10 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नवीन घरेलू, प्रकाश एवं पंखा संयोजनो को सेवाकृत किये जाने हेतु एक गहन अभियान चालू किया गया है। इसके फलस्वरूप, 3.81 लाख से भी अधिक घरेलू प्रकाश तथा पंखा (डीएलएफ) संयोजनों को सेवाकृत किया गया।

2. रबी मौसम के दौरान, वाहनों, जनशक्ति तथा नगर–सैनिकों से लैस 60 से भी अधिक सतर्कता दलों को अनाधिकृत पंप संयोजनों तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों की खोज–बीन हेतु तैनात किया गया है। इसके फलस्वरूप, समस्त श्रेणियों के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2010 तक 1,27,695 अनधिकृत संयोजनों/कदाचार (Illegal connections/malpractices) के प्रकरणों की खोज की गई तथा रू. 140 करोड़ की राशि की बिलिंग की गई जिसके विरूद्ध रू. 60 करोड़ की राशि वसूल की गई।

3. विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषि पम्पों के संयोजित भार की जांच हेतु भी एक विशेष अभियान चलाया गया क्योंकि कई उपभोक्ता स्वीकृत भार से उच्चतर क्षमता वाले पम्पों का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 1,26,104 स्थानों पर स्थापित पम्पों की जांच की गई जिनमें 20,930 संयोजन उच्चतर क्षमता भार वाले पाये गये। स्वीकृत भार से अधिक भार के उपभोक्ताओं के उपयोग को हतोत्साहित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही की गई है।

4. पावर फायनेंस योजना के अंतर्गत, 33/11 केवी उपकेन्द्रों में 11 केवी संभरकों (फीडरों) पर 11 केवी कैपेसिटर स्थापित किये गये हैं। कुल 496 एमवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किये गये हैं तथा इसके अतिरिक्त, 11 केवी कैपेसिटर बैंक कुल संख्या 286 (कुल 248 एमवीएआर), स्थापित किये जाने संबंधी कार्यादेश एडीबी–II (टीआर–5) योजना के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) तथा वोल्टेज स्तर में सुधार पाया गया है जिसके द्वारा

तकनीकी हानि में कमी लाये जाने को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया गया है। पावर ट्रांसफार्मरों तथा 33 केवी संभरकों को अतिभारित किया जाना तथा 11 केवी लाईनों को भारित किया जाना कम हो चुका है जिससे हानियों में कमी होना परिलक्षित हुआ है। प्रस्तावित कैपेसिटर बैंक में प्रस्तावित वृद्धि से वितरण नेटवर्क में तकनीकी हानियों में कमी लाई जा सकेगी।

5. शहरी क्षेत्र में उच्च खपत वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में स्वचालित मीटर वाचन प्रक्रिया का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक तथा गन्ना उत्पादक क्षेत्र में तथा नर्मदा संकुल के कुछ क्षेत्रों में हानियों में कमी किये जाने बाबत एडीबी परियोजना के अंतर्गत उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली लागू की गई है जिसके अन्तर्गत 291 किलोमीटर नवीन 11 केवी लाईनें, 805 किलोमीटर निम्न दाब से उच्च दाब परिवर्तन तथा 3900 वितरण ट्रांसफार्मर संस्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस पहल द्वारा वाणिज्यिक हानियों में कमी लाये जाने के संबंध में अच्छा प्रभाव पड़ा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

1. वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वितरण हानियां 35.15 प्रतिशत रहीं जो मप्र शासन द्वारा वितरण हानियों बाबत दिये गये लक्ष्य, जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया, से 1.15 प्रतिशत अधिक थीं। वित्तीय वर्ष 2010–13 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ अवधि हेतु हानि वक्र (trajectory) जैसा कि ये विनियम में तथा मप्र शासन द्वारा निर्धारित समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानियों के संबंध में लक्ष्यबद्ध किये गये हैं, को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया हैं :

तालिका 101 : मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु निर्धारित हानि वक्र (trajectory)

वित्तीय वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13
वितरण हानि (प्रतिशत में)	33	29	26
समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (प्रतिशत में)	34.48	30.48	26.48

2. निम्न दाब क्षेत्र में प्रभावी हानि कम किये जाने संबंधी रणनीति वर्तमान में लागू की गई है। पूंजीगत व्यय को हानि में कमी किये जाने संबंधी संभावनाओं से संबद्ध किया गया है तथा इस लक्ष्य को सामने रखकर नियमित रूप से इसका अनुवीक्षण/ संशोधित किया जा रहा है। अनुज्ञप्तिधारी को विरासत में एक अदक्ष वितरण प्रणाली (नेटवर्क) प्राप्त हुई है जिसका रूपांकन वृहद् वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया गया है वरन् इसकी स्थापना राज्य कल्याण की अर्हताओं के अनुसार सेवा प्रदान किये जाने हेतु की गई है। सम्पत्तियों का जीवनकाल पूर्ण होने के बावजूद, इनका उपयोग जारी है। अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को बदल दिये जाने की दृष्टि से सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धताओं के कारण वित्तीय सुविधा उपलब्ध होने पर भी नवीन प्रणाली को नियोजित नहीं कर सकते। वर्तमान प्रणाली में सुधार लाया जाना तथा इसे सर्वोत्तम वितरण प्रणाली के समकक्ष लाया जाना एक वृहद्ध कार्य है जिसका निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है तथा उनके द्वारा इसमें गति लाई जा रही है। हानि स्तर में कमी लाये जाने हेतु निम्न रणनीति अपनाई जा रही है :

(i) आरएपीडीआरपी भाग ए तथा बी के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन :–

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले 32 वृहद नगरों में कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के आधारभूत आंकड़ों को स्थापित करना तथा इन्हें प्रत्येक नगर में चिन्हांकित

किये गये कार्यों के अनुसार, संचालन के माध्यम से 15 प्रतिशत स्तर तक कमी लाना है। कार्यों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

भाग–ए :– आरएपीडीआरपी भाग ए के अन्तर्गत कार्यों में सम्मिलित हैं, आधारभूत आंकड़ों को तैयार करना, उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करना, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) नक्शे तैयार करना, वितरण ट्रांसफार्मर तथा संभरकों का मीटरीकरण करना, समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों तथा संभरकों का मीटरीकरण करना, समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों तथा संभरकों के लिये स्वचालित आंकड़ों को सूचीबद्ध करना, मीटर वाचन, बिलिंग तथा वसूली, ऊर्जा लेखांकन तथा अंकेक्षण, आदि के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना। इस कार्य हेतु मेसर्स टीसीएस मुम्बई को कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा इस हेतु कार्य समाप्ति की अवधि माह अगस्त, 2011 निर्धारित की गई है।

भाग–बी : आरएपीडीआरपी, भाग बी के अन्तर्गत कार्यों में सम्मिलित हैं, नवीनीकरण (Renovation), आधुनिकीकरण (Modernization) तथा उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (Strengthening), पुनर्संवाहीकरण करना (Reconductoring), भार का द्विविभाजन करना तथा संभरक पृथक्करण (feeder separation), भार का संतुलन (load balancing), उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (11 केवी) [HVDS-11 KV), सघन क्षेत्रों में आकाशीय समूह संवाहीकरण (aerial bunch conductoring) करना, विद्युत–चुंबकीय ऊर्जा मापयंत्रों के स्थान पर अन्तक्षेप रोधी (tamper proof) इलेक्ट्रानिक मापयंत्र स्थापित करना, आदि। इस हेतु कार्यादेश शीघ्र जारी किया जा रहा है जिस हेतु कार्यपूर्ण किये जाने की निर्धारित अवधि 24 माह, अर्थात् माह नवम्बर, 2012 रखी गई है।

माह नवम्बर, 2012 में भाग–ए तथा भाग ब के पूर्ण होने पर इन सभी 32 नगरों में 15 प्रतिशत समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों की प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) एडीबी भाग (ADB Tranche) के अन्तर्गत 156 छोटे–नगरों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) कार्य का निष्पादन :–

आरएपीडीआरपी के अन्तर्गत, 32 नगरों में निष्पादित किये जा रहे कार्यों के आधार पर, अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 156 अन्य नगर भी माह मार्च, 2013 तक 15 प्रतिशत समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि स्तर (AT&C Level) के अन्तर्गत लाये जाएंगे। इन नगरों में, पम्प उपभोक्ताओं तथा घरेलू उपभोक्ताओं हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) तथा 11 केवी संभरकों का निष्पादन रू 170 करोड़ की लागत की योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। संभरक पृथक्करण के अलावा भी, इन नगरों में उपभोक्ता को सूचीबद्ध करना तथा सम्पत्ति मानचित्रीकरण (asset mapping) आरएपीडीआरपी भाग ए के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना की संस्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु, निविदा प्रपत्र (bid docoument) तैयार किया जा चुका है। यह कार्य माह मार्च, 2013 तक समाप्त किये जाने योजना है।

उपरोक्त दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने पर शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि स्तर उपलब्ध कराया जा सकेगा जिससे माह मार्च, 2013 के पश्चात् 1493 मिलियन यूनिटों की बचत की जा सकेगी तथा प्रति वर्ष 750 करोड़ रूपये की राजस्व वृद्धि हो सकेगी।

(iii) ग्रामीण संभरकों को कृषि तथा अन्य के अन्तर्गत पृथक्करण किया जाना :–

अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में लगभग 3.20 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहा है जो 4692 मिलियन यूनिट के कुल निम्न दाब विक्रय में से 2305 मिलियन यूनिट अर्थात्, 49 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 1.70 लाख अस्थाई संयोजनों को भी प्रति वर्ष माह अक्टूबर–मार्च के दौरान सेवाएं प्रदान की जाती हैं (स्त्रोत–प्रपत्र आर–15)। इसके अलावा, माह सितम्बर, 2010 की स्थिति में, लगभग 10.37 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत घरेलू प्रकाश तथा पंखा (DL&F) उपभोक्ता जिनमें थे से 4.17 लाख उपभोक्ता अमीटरीकृत थे। वर्तमान में, 11 केवी ग्रामीण संभरक समस्त प्रकार के संयोजित उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत, घरेलू भार के पृथक्करण के साथ–साथ विद्यमान निम्न दाब प्रणाली को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली में परिवर्तन के उद्देश्य से भी, संभरक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme) तैयार की गई है तथा योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

इस योजना को दो चरणों के अन्तर्गत किर्यान्वित किया जाएगा। योजना का संक्षिप्त सार निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 102 : संभरक पृथक्करण हेतु दाखिल किया गया क्रियान्वयन कार्यक्रम

चरण	सम्मिलित किये गये जिले	अनुमानित लागत (करोड़ रूपये में)	क्रियान्वयन का कार्यक्रम	अभ्युक्ति
चरण प्रथम	भोपाल, हरदा, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल तथा सीहोर	454.55	01.06.2010 से 31.05.2012	स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका है
चरण द्वितीय	गुना, अशोक नगर, राजगढ़, दतिया, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर तथा ग्वालियर	717.88	01.01.2011 से 31.12.2012	इसका क्रियान्वयन एडीबी निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित है। निविदाएं माह जनवरी 2011 में जारी किया जाना प्रस्तावित है

इस संविदा के अन्तर्गत, वितरण ट्रांसफार्मर से वितरण हानि का प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है तथा अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण घरेलू प्रकाश तथा पंखा (DL&F) क्षेत्र में अवैध संयोजनों की समस्या पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी, कृषि पम्पों को 8 घंटे का नियंत्रित विद्युत प्रदाय ग्रामीण क्षेत्र में हानि स्तर को स्वीकार्य स्तर तक लाये जाने में सहायक होगा।

(iv) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY Scheme) :

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जो दोनों गरीबी रेखा से नीचे (BPL) तथा गैर–गरीबी रेखा से नीचे (Non-BPL) की श्रेणी के ग्रामीण घरेलू प्रकाश तथा पंखा (DL&F) उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करने से संबंधित है, वर्तमान में आठ जिलों, यथा गुना, अशोक नगर, बैतूल, हरदा, दतिया, मुरैना, श्योपुर तथा शिवपुरी में रू. 499.06 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना को जिला गुना तथा अशोक नगर हेतु दिसम्बर 2010 में तथा शेष जिलों के लिये माह मार्च 2013 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत, नवीन 9410 किलोमीटर 11 केवी विद्युत लाइनें तथा 4058 किलोमीटर एबीसी केबल निम्न दाब लाईन नेटवर्क, 283 अविद्युतीकृत ग्रामों में तथा 6682 पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों में लगभग 5.91 लाख संयोजन जारी किये जाएंगे। विद्युत लाईन नेटवर्क के अलावा भी, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु, 4747, की संख्या में 10 केवीए (एकल फेज), 2162 की संख्या में 16 केवीए, 831 की संख्या में 16 केवीए (तीन फेज) तथा 2861 की संख्या में 25 केवीए (तीन फेज) वितरण ट्रांसफार्मर इन ग्रामों में स्थापित किये जाएंगे। दिनांक 31.10.2010 की स्थिति में, 66198 ऐसे संयोजनों को सेवाकृत किया जा चुका है जिनमें इन आठ जिलों के गरीबी रेखा से नीचे के 29495 संयोजन भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 75 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 904 ग्रामों का गहन विद्युतीकरण (intensive electrification) दिनांक 31.10.2010 तक पूर्ण किया जा चुका है।

(v) अमीटरीकृत कृषि तथा घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं के मानदण्डीय खपत मापदण्डों में वृद्धि की जाना :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में लगभग 3.20 लाख कृषि तथा 16.53 लाख घरेलू, प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें से, 2.18 लाख कृषि तथा 2.79 लाख घरेलू, प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ता अमीटरीकृत हैं। आयोग द्वारा औसत 100 यूनिट प्रति माह (शहरी क्षेत्र हेतु) तथा 30 यूनिट प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) अनुमोदित मानदण्डीय खपत निम्न पक्षीय (lower side) है। अनुरोध किया जाता है कि नमूना मीटर वाचन पर आधारित खपत, अर्थात् कृषि हेतु 152 यूनिट प्रति माह, शहरी घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी हेतु 69 यूनिट प्रति माह की खपत, वर्ष 2011–12 से तथा उसके पश्चात् अनुज्ञेय की जाए।

यदि पूर्व उल्लेखित पैरा में दिये गये विवरण के अनुसार अमीटरीकृत विक्रय के मापदण्डों को अनुमोदित किया जाता है तो बहुवर्षीय टैरिफ अवधि हेतु हानि स्तर निम्न तालिका के अनुसार कम किये जा सकते हैं

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13
	(मिलियन यूनिटों में)		
अतिरिक्त विक्रय, यदि खपत को नमूना मीटर वाचन के अनुसार अनुज्ञेय किया जाता है	788	8.36	913
वितरण हानि का वक्र (Distribution loss trajectory)	33%	29%	26%
दाखिल किये गये विक्रय आंकड़े + नमूना मीटर वाचन के अनुसार अतिरिक्त विक्रय	26%	23%	19%

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2009–10 को समाप्त होने वाली प्रथम बहुवर्षीय टैरिफ अवधि के दौरान हानि स्तर वक्र (loss level trajectory) आयोग द्वारा राज्य शासन द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार निर्दिष्ट किया गया था। यह पाया गया कि सम्पूर्ण बहुवर्षीय अवधि के दौरान कोई भी विद्युत वितरण कम्पनी निर्दिष्ट हानि स्तर वक्र के आस–पास भी इसे प्राप्त करने में सफल नहीं रही है। इसी संदर्भ के अंतर्गत ही आयोग द्वारा हानि स्तर के वक्र पर पुनर्विचार किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रभावशील, नवीन बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में इसमें वास्तविक उपलब्धि के आसपास वृद्धि की गई। चूंकि विद्युत दरें (Tariffs) तथा सत्यापन राशियां (True-ups) मानदण्डीय हानि स्तरों पर आधारित होते हैं, मानदण्डीय स्तरों से अधिक सेवाकृत हानियों को विद्युत वितरण कम्पनियों को ही वहन करना होता है। हाल ही में, विद्युत अधिप्राप्ति दरों (power procurement cost) में, उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मानदण्डीय हानियां उपलब्ध कराये जाने में विफलता के कारण उनकी वित्तीय स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है जिसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियों को अत्यधिक प्रचालन हानियां वहन करनी पड़ रही हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि कम्पनियों द्वारा तकनीकी हानियों अथवा वाणिज्यिक हानियों को कम किये जाने के प्रयास अपेक्षित स्तर के नहीं है। विद्युत उत्पादन की बढ़ती हुई लागत को दृष्टिगत रखते हुए, अब यह आवश्यक हो गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित मदों, जैसे कि मीटरीकरण, बिलिंग तथा वाणिज्यिक हानियों की रोकथाम में सुधार हेतु सभी संभव प्रयास किये जाएं। अतएव, आयोग पुनः अनुज्ञप्तिधारियों को न केवल दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी लाये जाने हेतु सभी संभव प्रयास करने के निर्देश देता है, वरन् इससे भी बढ़कर प्रयास करने हेतु आग्रह करता है ताकि इनके स्तरों की तुलना देश में बेहतर निष्पादन दर्शाने वाली कम्पनियों से की जा सके।

6.4 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण–अमीटरीकृत संयोजना हेतु बिलिंग मापदण्डों का पुनरीक्षण किया जाना

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :

(i) शहरी क्षेत्रों में, समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर माह दिसम्बर 2010 तक मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर माह मार्च 2011 तक चरणबद्ध रूप से मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए।

(iii) कम से कम 25% वितरण ट्रांसफार्मरों पर, जिनमें कम्पनी के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रमुख रूप से कृषि का भार है, पर माह दिसम्बर 2010 के अन्त तक मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए।

(iv) समस्त मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े, जो कुल कृषि बहुल वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या का 10 प्रतिशत से कम न होंगे तथा विविध खपत प्रतिमान (Diverse consumption pattern) का प्रतिनिधित्व करेंगे, को नियमित आधार पर

संग्रहीत तथा संकलित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता सूची को तैयार कराया जाए तथा वास्तविक संयोजित भार का सत्यापन अभिलिखित खपत से भी कराया जाए। आयोग उपरोक्त आंकड़े तथा उसका विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर तथा आगामी वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों संबंधी याचिका के साथ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश देता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

(i) निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा शहरी क्षेत्रों में घरेलू श्रेणियों के अन्तर्गत शत प्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, कम्पनी की संकुचित वित्तीय स्थिति तथा सीमित संसाधनों के कारण, कम्पनी ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु मीटरों की अधिप्राप्ति तथा इन्हें स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। चूंकि छद्म उपभोक्ताओं (ghost consumers) के नियमितिकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग सात लाख तक पहुंच चुकी है, कम्पनी संकुचित वित्तीय स्थिति के कारण इतनी बड़ी संख्या में मंहगे मीटरों की मात्रा की अधिप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रही है।

(ii) जहां तक कृषि–बहुल ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किये जाने का संबंध है, कम्पनी द्वारा एशिया विकास बैंक (एडीबी) वित्तीय सहायता के अन्तर्गत एचवीडीएस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक कृषि उपभोक्ताओं के मीटर, वितरण ट्रांसफार्मर के वितरण बाक्स (Distribution Box) के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। एडीबी परियोजना के अन्तर्गत, प्रथम चरण के अन्तर्गत 17656 की संख्या में तथा द्वितीय चरण में 16739 की संख्या में वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। समस्त 34395 ट्रांसफार्मरों पर, 130761 कृषि उपभोक्ताओं को मीटर प्रदान किये जाएंगे। दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक, कुल 7950 वितरण ट्रांसफार्मरों पर 22597 उपभोक्ता मीटर स्थापित किये जा चुके हैं। संभरक द्विभाजन योजना (Feeder Bifurcation Scheme) के अन्तर्गत कृषि संभरकों को संभरक मीटरों के प्रावधान द्वारा पृथक्कत किया जा रहा है।

(iii) निवेदन किया गया कि कम्पनी मैदानी क्षेत्र से उन उपभोक्ताओं के बारे में आंकड़े एकत्र कर रही है जिन्हें एचवीडीएस योजना के अन्तर्गत मीटरीकृत संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं। इन्हें शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

(i) माह सितम्बर, 2010, की स्थिति में, कम्पनी द्वारा अमीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों पर शत प्रतिशत मीटरीकरण की कार्य योजना तैयार की गई है। कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि माह सितम्बर, 2010 की स्थिति में, 23,31,928 घरेलू उपभोक्ताओं में से 185,867 अमीटरीकृत संयोजन (घरेलू संयोजनों के प्रपत्र आर–15 के अनुसार) विद्यमान हैं। मीटरीकरण कार्यक्रम माह सितम्बर, 2012 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ii) **वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति** : निवेदन किया गया है कि 60194 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों में से केवल 8073 वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित किये जा चुके हैं। निवेदन किया गया कि एडीबी योजना के अंतर्गत 24,677 वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरों की स्थापना की जा चुकी है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(iii) कृषि बाहुल्य भार वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत आंकड़ों के संकलन के बारे में निवेदन किया गया है कि वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़ों का संकलन नियमित रूप से किया जा रहा है तथा इन्हें आयोग को प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर के आंकड़ों की संक्षेपिका के अनुसार, वह खपत प्रतिदर्श, जिसके अनुसार, आयोग मासिक खपत प्रति अश्वशक्ति पर विचार कर सकता है, को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है :

सरल क्रमांक	श्रेणी	वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	खपत
1	ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत (कृषि)	5675	20032	गैर–मौसमी अवधि हेतु 78 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह, मौसमी अवधि हेतु 180 युनिट/ अश्वशक्ति /माह, केला तथा नर्मदा संकुल हेतु 250 यूनिट/ अश्वशक्ति/ माह है।

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपरोक्त आंकड़ों के संबंध में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कृषि उपभोक्ताओं हेतु यूनिटों के अवधारण हेतु विचार किये जाने बावत अनुरोध किया है जिनका आहरण (Input) 50% से अधिक तथा जो बहुवर्षीय अवधि 2010–11 से 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में कृषि आधारित विक्रित यूनिट में शामिल हैं तथा जिनका सत्यापन वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में किया जा चुका है। ऐसा किया जाना संस्था, राष्ट्र तथा वृहद रूप से जनता के हित में होगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

(i) **समस्त अमीटरीकृत संयोजनों को माह दिसम्बर, 2010 तक मीटरीकृत किया जाना**

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की मीटरीकरण संबंधी अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार प्रतिवेदित की गई है :

सरल क्रमांक	विवरण	माह मार्च 2010 की स्थिति में	माह सितम्बर 2010 की स्थिति में	माह मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	कुल शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	855587	899067	5.08%
2	अमीटरीकृत संयोजनों को संख्या (i) सामान्य श्रेणी के (ii) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ गरीबी रेखा से नीचे वाले	16334 3050	10115 4176	
	कुल अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	19384	14291	(–) 26.27%
3	कुल उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	2.26%	1.59%	(–) 0.67%

विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी के शहरी क्षेत्र में मीटरीकरण की स्थिति में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। माह सितम्बर, 2010 की स्थिति में, संयोजनों की संख्या के मात्र 1.59 प्रतिशत भाग को मीटर उपलब्ध कराये जाना बाकी थे। अनुज्ञप्तिधारी का मुख्य ध्यान इस समय शेष अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने तथा मांग किये जाने पर रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदलने पर ही केन्द्रित है। शहरी क्षेत्रों में मीटरों की अधिप्राप्ति का प्रावधान विभिन्न जारी योजनाओं के अन्तर्गत, जैसे कि आरएपीडीआरपी (भाग बी–लगभग 2.45 लाख), एचवीडीएस (एडीबी ट्रेंके छः के अन्तर्गत) तथा हडको सहायता के माध्यम से 5400 मीटर प्रति त्रैमास की दर से भी किया गया है। यह कार्य, योजना के सम्पन्न होने पर, अर्थात माह मार्च, 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ii) **ग्रामीण क्षेत्रों में, समस्त अमीटरीकृत संयोजनों को चरणबद्ध रूप से मीटरीकृत किया जाए तथा मीटरीकरण कार्य को माह मार्च 2011 तक पूरी किया जाना।**

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने की स्थिति निम्नानुसार प्रतिवेदित की गई है :

सरल क्रमांक	विवरण	माह मार्च 2010 की स्थिति में	माह सितम्बर 2010 की स्थिति में	माह मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	कुल ग्रमीण घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	797928	1037096	29.97%
2	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या (i) सामान्य श्रेणी के (ii) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले	 67690 192415	 106652 310547	
	कुल अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	260105	417199	60.39%
3	कुल उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	32.60%	40.23%	7.63%

ग्रामीण क्षेत्र में, माह सितम्बर, 2010 की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के लगभग 3.10 लाख उपभोक्ता तथा सामान्य श्रेणी के लगभग 1.06 लाख उपभोक्ता अमीटरीकृत हैं। तालिका के अवलोकन से देखा जा सकता है कि माह मार्च, 2010 के पश्चात्, लगभग 2.39 लाख नये उपभोक्ता जुड़ चुके हैं। आंकड़ों में आकस्मिक वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मतदाता सूची के अनुसार समस्त घरेलू पारिवारिक संयोजनों (Domestic household connections) को नियमित करने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं को संयोजन प्रथमतः अमीटरीकृत श्रेणी के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इन अमीटरीकृत संयोजनों का नियमितिकरण वर्तमान में

जारी/प्रस्तावित योजनाओं, यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई) (6,25,235 की संख्या में) एडीबी ट्रेंके–पांच के अन्तर्गत एचवीडीएस (34,390 की संख्या में), संभरक पृथक्करण (Feeder Separation) (8,61,187 की संख्या में) तथा हडको सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मीटरों की अधिप्राप्ति के माध्यम से 8100 मापयन्त्र प्रति त्रैमास की दर से मीटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अनुज्ञप्तिधारी ग्रामीण क्षेत्र में अवशेष उपभोक्ता मीटरीकरण को पूर्ण किये जाने का कार्य, जिनमें रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मीटर भी शामिल है, माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किये जाने की अपेक्षा करता है।

सम्पूर्ण मीटरीकरण कार्यक्रम (Complete Meterization Programme) :

समस्त घरेलू प्रकाश तथा पंखा (DL&F) श्रेणी के शहरी तथा ग्रामीण, गैर–घरेलू तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकरण योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत 7500 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात्, संभरक मीटरीकरण कार्य का निष्पादन विभिन्न चालू संविदाओं के अन्तर्गत किया जाएगा। आयोग द्वारा अमीटरीकृत घरेलू, प्रकाश तथा पंखा श्रेणी को मीटरीकृत किये जाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में कार्य माह मार्च 2013 तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में माह दिसम्बर, 2016 में सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न चालू योजनाओं के अन्तर्गत मीटरीकरण का प्रावधान किया गया है जिनमें से हडको वित्त योजना के माध्यम से प्रति त्रैमास 13500 मीटरों की अधिप्राप्ति की जा रही है।

(iii) **कम से कम 25% वितरण ट्रांसफार्मरों पर, जिनमें कम्पनी के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रमुख रूप से कृषि का भार है, पर माह मार्च 2010 के अन्त तक मीटर स्थापित कर किया जाना**

वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति :

वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्य का लक्ष्य तथा अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

योजना का नाम	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	कार्य पूर्ण किये जाने की प्रगति/लक्ष्य	सम्मिलित किये गये क्षेत्र
एपीडीआरपी (APDRP)	7865	पूर्व में ही स्थापित किये जा चुके हैं	नगरीय क्षेत्र
हडको (HUDCO)	7500	कार्य प्रगति पर है माह दिसम्बर, 2010 तक 5953 मीटर स्थापित किये जा चुके हैं	ग्रामीण संभरकों के परीक्षण द्वारा यह ज्ञात किया जाना कि कृषि उपभोक्ताओं का खपत प्रतिमान (Pattern) किस प्रकार का है
एडीबी ट्रेंके चतुर्थ	3679	कार्य प्रगति पर है माह दिसम्बर, 2010 तक 3257 मीटर स्थापित किये जा चुके हैं	ग्वालियर शहर का एक भाग तथा मुरैना, अम्बाह नगर

आरएपीडीआरपी (RAPDRD)	6217	मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना	आरएपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये 32 नगर

कृषि बाहुल्य कृषि संभरकों पर स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्वचालित मीटर वाचन मापयंत्र या एएमआर (AMR Meters) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कार्यादेश, द्विवर्षीय ऊर्जा अंकेक्षण को सम्मिलित करते हुए, निम्नानुसार जारी किया गया है :

सरल क्रमांक	एजेन्सी का नाम	संविदा राशि
1.	मेसर्स ओमने अगेटे सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई	10.815 करोड़
2.	मेसर्स जेनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जयपुर	4.853 करोड़

वितरण ट्रांसफार्मरों पर एएमआर (AMR) को स्थापित करने के कार्य में 175 केवी संभारक तथा 20 संचालन तथा संधारण संभाग निम्नानुसार शामिल किये गये हैं :

क्षेत्र	वृत्त का नाम	सम्मिलित किये गये संभागों की संख्या	सम्मिलित किये गये एक केवी संभरकों की संख्या	शामिल किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या
भोपाल	भोपाल (O&M)	03	34	1497
	होशंगाबाद	03	22	1063
	बैतूल			
	विदिशा	02	13	698
	राजगढ़	03	13	622
	सीहोर	02	17	587
ग्वालियर	शिवपुरी	02	11	452
	गुना	03	12	523
	ग्वालियर (O&M)	01	33	1045
	भिण्ड	02	10	586
	मुरैना	01	10	426
	योग	**20**	**175**	**7499***

*हडको वित्तीय (Hudco Finance) व्यवस्था के अंतर्गत 7500 वितरण ट्रांसफर्मरों के विरूद्ध संभावित संख्या

हडको वित्तीय व्यवस्था तथा उपरोक्त उल्लेखित दो संविदाओं के अन्तर्गत माह मार्च 2010 तथा सितम्बर, 2010 तक की प्रगति की संक्षेपिका निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

वृत्त का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	
		माह मार्च 2010 तक	माह सितम्बर 2010 तक
भोपाल (O&M)	1497	1493	1497
होशंगाबाद	1063	761	765
बैतूल	—	—	—
विदिशा	698	76	311
राजगढ़	622	56	622
सीहोर	587	279	596
शिवपुरी	452	20	361
गुना	523	74	362
ग्वालियर (O&M)	1045	751	1041

भिण्ड	586	—	—
मुरैना	426	398	398
योग	7499	3908	5953

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिनांक 30.09.2010 की स्थिति में कुल 51525 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों के विरूद्ध लगभग 6000 वितरण ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किया जा चुका है जो कुल कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या का 12 प्रतिशत है।

(iv) **कम से कम 10 प्रतिशत कुल ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर जो प्रमुख रूप से कृषि बहुल हैं, के आंकड़े नियमित आधार पर संग्रहीत तथा संकलित किया जाना** :

कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मर आंकड़े :

जहां तक कम से कम 10 प्रतिशत कुल ऐसे वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़ों को संकलित करने का प्रश्न है, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषि बहुल क्षेत्र में कार्यरत लगभग 51525 वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु चालू विभिन्न निर्माणाधीण योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण भविष्य में आंकड़ों में और अधिक वृद्धि होगी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एचवीडीएस परियोजना के अन्तर्गत विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मरों को सेवाओं से हटा कर लघु क्षमता वाले 10520 अतिरिक्त एएमआर (AMR) मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना किये जाने का अनुमान लगाया गया है। एचवीडीएस योजना के अंतर्गत एएमआर मीटरीकृत ट्रांसफार्मरों की स्थापना के पश्चात् सम्पूर्ण परिदृश्य में परिवर्तन आएगा।

कृषि बहुल क्षेत्र में स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत आंकड़ों को नियमित रूप से संग्रहीत किया जा रहा है तथा इन्हें याचिका के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़े माह अप्रैल 09 से माह मार्च 10 की अवधि हेतु हैं। इसी प्रकार, 37 वितरण ट्रांसफार्मरों से संयोजित अमीटरीकृत घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं के आकड़ों का संग्रहण भी किया गया है तथा इन्हें याचिका के साथ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2009–10 की अवधि हेतु, ग्रामीण क्षेत्र के कृषि अमीटरीकृत आंकड़े तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू, प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के विद्युत खपत के प्रतिदर्श (consumption pattern) की गणना की गई है, जो निम्नानुसार है :

सरल क्रमांक	श्रेणी	वितरण ट्रांसफर्मरों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	खपत
1	ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत कृषि वाले	159	472+बैतुल वृत्त	152 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह (औसत)
2	अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू प्रकाश तथा पंखायुक्त	15	1437	69 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह
3	अमीटरीकृत शहरी घरेलू प्रकाश तथा पंखायुक्त	22	2288	151 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह

यद्यपि कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या 159 से अधिक है परन्तु संयोजित उपभोक्ताओं से संबंधित आंकड़ों के सुसंगत न होने के कारण इन्हें उद्धरित नहीं किया जा रहा है। आयोग को उपरोक्त अध्ययन के आधार पर अमीटरीकृत श्रेणी की बिलिंग के संबंध में विचार किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश :

विद्युत वितरण कम्पनियों की ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू मीटरीकरण के संबंध में अब तक की प्रगति अत्यधिक असन्तोषजनक है जबकि मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में कृषि–बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण में सुधार परिलक्षित हुआ है। आयोग महसूस करता है कि इस दिशा में इससे भी काफी अधिक ईमानदारी से कदम उठाने जाने की आवश्यकता हैं। अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटरों की स्थापना की जाना अनुज्ञप्तिधारी के ही हित में है तथा कृषि संयोजनों के प्रकरण में कम से कम वितरण ट्रांसफार्मरों पर इन्हें स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि यथार्थपूर्ण खपत के आंकड़े प्राप्त हो सकें। आयोग द्वारा इस विषय को पूर्व में ही विद्युत वितरण कम्पनी स्तर पर उठाया गया है तथा वितरण कम्पनियों को अपने पत्र क्रमांक 833 दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा निम्न निर्देश भी जारी किये हैं :

(i) शहरी क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत संयोजनों पर माह सितम्बर, 2011 तक मीटर स्थापित कर दिये जाएं

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटरों की स्थापना चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार पूर्ण की जाए :

  (अ) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का 25 प्रतिशत भाग, माह सितम्बर, 2011 तक

  (ब) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का 60 प्रतिशत भाग, माह दिसम्बर, 2011 तक

  (स) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत भाग, माह मार्च, 2012 तक

(iii) सम्पूर्ण कम्पनी क्षेत्र के अन्तर्गत वे वितरण ट्रांसफार्मर, जिन पर मुख्य रूप से कृषि का भार है, पर चरणबद्ध रूप से मीटर स्थापित किये जाएं तथा इनके मीटरीकरण का कार्य निम्नानुसार पूर्ण किया जाए :

  (अ) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का 25 प्रतिशत भाग, माह सितम्बर, 2011 तक

  (ब) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का 60 प्रतिशत भाग, माह दिसम्बर, 2011 तक

  (स) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का शत प्रतिशत भाग, मार्च, 2012 तक

(iv) समस्त मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े, जो विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के कुल कृषि बहुल वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या के 10 प्रतिशत से कम न होंगे तथा विविध खपत प्रतिमान (Diverse consumption pattern) का प्रतिनिधित्व करेंगे, नियमित आधार पर संग्रहीत तथा संकलित किये जाने चाहिए। उपभोक्ता सूची को

तैयार कराया जाए तथा वास्तविक संयोजित भार की तुलना सत्यापन अभिलिखित खपत से भी कराई जाए। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को उपरोक्त आंकड़े तथा इनका विश्लेषण, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के साथ माह अक्टूबर, 2011 की समाप्ति तक प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

अतएव, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिदेश के अनुरूप निर्देश देता है कि समस्त संयोजनों को मीटरीकृत किया जाना अत्यावश्यक है। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को मानने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है कि निधि की कमी के कारण मीटरों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है। आयोग निकट भविष्य में घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित मानदण्डों को समाप्त करने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार, कृषि उपभोक्ताओं के बारे में आयोग की इच्छा है कि विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के बतौर केवल वैयक्तिक मीटरीकरण अथवा समूह मीटरीकरण हेतु विद्युत दर निर्दिष्ट की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता केवल उनके द्वारा उपभोग की गई विद्युत हेतु ही भुगतान करें।

अतएव आयोग पुनः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन हेतु पुनः निर्देश देता है।

6.5 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan for reduction of technical losses) :

अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु माह जून 10 तक की पूंजीगत व्यय योजना की प्रगति माह जुलाई 10 तक तथा तत्पश्चात् त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 11–12 हेतु पूंजीगत व्यय योजना भी माह जुलाई 10 तक दाखिल करने के निर्देश भी दिये गये।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : प्रतिवेदित किया गया कि कम्पनी द्वारा पूर्व में ही अपने पत्र क्रमांक 7516 दिनांक 23.10.2010 द्वारा पांच–वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना प्रगति प्रतिवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मप्रशासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा इसकी सूचना कम्पनी को मप्रशासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक एस–5–39/2007/13 दिनांक 18.8.2008 द्वारा दी गई तथा इसे कम्पनी के पत्र क्रमांक सीएमडी/डब्लूजेड /08–03/18993 दिनांक 12.9.2008 द्वारा आयोग को अग्रेषित किया गया। योजना को राज्य योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के अनुसार, 69 नवीन 33/11 केवी नवीन उपकेन्द्र, 67 पावर

ट्रांसफार्मरों का आवर्धन, 53 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 698 किलोमीटर 33 केवी लाईनें तथा 12183 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा इन्हें क्रियाशील करने का कार्य विभिन्न निमार्णाधीन योजनाओं के अन्तर्गत, जैसे कि जेबीआईसी, एडीबी (ट्रेंके चार), एसएसटीडी (मप्र शासन, टीएसपी, एससीएसपी के अन्तर्गत), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत किया जाएगा। इन्दौर तथा उज्जैन जिलों में (दसवीं योजना के अन्तर्गत) तथा रतलाम, धार, झाबुआ तथा अलीराजपुर जिलों में (ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत) ग्रामों तथा मकानों का गहन विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। एडीबी योजना के अन्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्यों का निष्पादन भी किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के संबंध में माह सितम्बर 10 तक की त्रैमासिक प्रगति कम्पनी के पत्र क्रमांक सीएमडी/डब्ल्यूजेड/वर्क्स/22712 दिनांक 15.12.2010 द्वारा आयोग को अग्रेषित की जा चुकी है।

राज्य योजना मण्डल द्वारा वार्षिक योजना हेतु दिये गये अनुमोदन के अनुसार,वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 की पूंजीगत व्यय योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों में एसएसटीडी (मप्रशासन, टीएसपी तथा एससीएसपी) योजनाओं के अलावा आरएपीडीआरपी योजना, संभरक पृथक्करण योजना भी शामिल है। समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में 15 प्रतिशत कमी लाये जाने हेतु आरएपीडीआरपी योजना पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के क्षेत्र में 24 नगरों के लिये प्रारंभ की गई है। ग्राम स्तर तक संभरक पृथक्करण का कार्य समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय हेतु प्रारंभ किया गया है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan), योजनावार त्रैमासिक प्रगति दर्शाते हुए त्रैमास अन्त जून तथा सितम्बर 2010 हेतु मय वर्ष 2010–11 से वर्ष 2016–17 हेतु मध्यावधि (mid term) 7 वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना के, आयोग को पत्र क्रमांक सीएमडी/एमके/वर्क्स 763 दिनांक 12.10.2010 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है।

पूंजीगत व्यय योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसार उल्लेखित समस्त योजनाएं, जैसे कि (i) एनडी (ii) टीएसपी (iii) एससीएसपी (iv) नवीन कृषि पंप संयोजन (v) आईडीसी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)/एशिया विकास बैंक (एडीबी) से बाहय ऋण के माध्यम से संभरक पृथक्करण का कार्य (vi) आर–एपीडीआरपी (vii) एडीबी–II (viii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण

योजना (ix) कृषि पंप/क्षेत्र हेतु एचवीडीएस तथा (x) शहरी/ मलिनबस्ती (Slums)/अनधिकृत कालोनी हेतु विद्युत वितरण अधोसंरचना का विकास, आदि प्राथमिक तौर पर वितरण अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा नवीन विकास केन्दों/कमी वाले क्षेत्र (deficient areas) हेतु संरचित की गई हैं।

अनुज्ञप्तिधारी के पास तृतीय–पक्ष निरीक्षण (third party inspection) तथा आन्तरिक समीक्षा के माध्यम से सुदृढ़ अनुवीक्षण योजना मौजूद है। पूंजीगत व्यय योजना के क्रियान्वयन हेतु किये गये प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगे हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों के दौरान क्रमशः 73 प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जा सके हैं। रू. 526 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रू. 145 करोड़ के कार्य माह सितम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पूंजीगत व्यय योजना रू. 1800 करोड़ के पूंजीगत व्यय के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य अंशदान संभरक पृथक्करण (806 करोड़), आरएपीडीआरपी के अन्तर्गत 32 नगरीय क्षत्रों की अधोसंरचना में सुधार (250 करोड़), एडीबी–II योजना के अन्तर्गत छोटे नगरीय क्षेत्रों की अधोसंरचना में सुधार (250 करोड़) तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्य (195 करोड़) से संबद्ध है। यहां यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि इन समस्त नियोजित पूंजीगत कार्यों के निष्पादन से तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी परिलक्षित होगी। अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि 2011–13 हेतु हानि वक्र (loss trajectory) की प्राप्ति हेतु भी आश्वस्त है।

आयोग की अभ्युक्तियां तथा दिशा–निर्देश :

आयोग महसूस करता है कि पूंजीगत व्यय योजना के नियोजन तथा क्रियान्वयन के प्रति विखंडित प्रयासों (fragmented approach) से परिणामों का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय योजना को नियोजित करते समय लक्ष्यों/उद्देश्यों को अपने सामने रखा जाना तथा कार्यान्वयन के पश्चात् इसका लागत–लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) किया जाना आवश्यक होता है। अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, समग्र पूंजीगत व्यय योजना के आकार पर ध्यान किया जाना तथा तत्पश्चात् कड़े अनुवीक्षण द्वारा क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाना आवश्यक होता है। आयोग पूर्व वर्षों की भांति, पूंजीगत व्यय योजना को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर स्वीकृत करता आ रहा है। अनुज्ञप्तिधारी उनके स्वयं द्वारा प्रक्षेपित किये गये लक्ष्यों के आसपास भी पहुंच पाने में असमर्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाएं विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं पाई गईं तथा न ही इन्हें समय–अवधि में प्रस्तुत किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी आयोग को

वैयक्तिक पूंजीगत व्यय योजनाओं, जैसे कि आरएपीडीआरपी, संभरक पृथक्करण आदि के अनुमोदन हेतु सम्पर्क करते आ रहे हैं। यह जबकि आयोग द्वारा इन योजनाओं को, इनमें दी गई शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया है, आयोग द्वारा पांच वर्षों की अवधि हेतु विस्तृत पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं जिसके अंतर्गत उन्हें क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं, हानियों में प्रभावी कमी लाये जाने के संबंध में योजनाओं के युक्तियुक्त होने तथा उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाये जाने के विवरण प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। यह भी, जबकि आयोग क्षेत्र में किये जा रहे पूंजी निवेश को किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना चाहता है, वह यथासमय यह भी सुनिश्चित करना चाह रहा है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ के साथ–साथ, इनमें किये गये पूंजी निवेश पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रकार का अवांछित बोझ विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से उपभोक्ताओं को अन्तरित न किया जा सके। माह जुलाई में पूंजीगत व्यय योजना को प्रस्तुत किया गया जाना विनियमों की एक अर्हता है। अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 2010–12 के दौरान पूंजीगत व्यय योजना की माह जून 11 तक की प्रगति माह जुलाई 11 तक तथा तत्पश्चात् प्रति तिमाही दाखिल करने के निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूंजीगत व्यय योजना विनियमों के उपबन्धों के अनुसार माह जुलाई 11 तक दाखिल की जाए।

6.6 **ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो** :

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा वर्ष के दौरान, 10 किलोवाट से अधिक संयोजित भार वाले समस्त घरेलू संयोजनों पर औसत मासिक मांग अभिलिखित किये जाने की सुविधा वाले मापयंत्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : निवेदन किया गया कि ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 10 अश्वशक्ति से अधिक है, हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन या एएमआर (AMR) परियोजना पूर्व से ही प्रगति पर है तथा 75 प्रतिशत उपभोक्ताओं को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जा चुका है। आशा की जाती है कि शेष 25 प्रतिशत उपभोक्ता भी माह मार्च 2011 तक इस योजना में शामिल कर लिये जाएंगे। तथापि, कम्पनी द्वारा 10 किलोवाट तथा इससे अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं के लिये मांग आधारित विद्युत–दर प्रस्तावित की गई है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : 10 किलोवाट तथा इससे अधिक क्षमता वाले घरेलू संयोजनों हेतु, पर्याप्त संख्या में उचित क्षमता से युक्त मीटर उपलब्ध कराये गये हैं। निम्न दाब श्रेणी हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन (Automatic Metre Reading) प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : जब भी इस प्रकार की विद्युत–दर घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लागू की जाती है, समस्त घरेलू संयोजनों को मांग आधारित मीटर प्रदान किये जाएंगे।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश :

पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि 10 किलोवाट से अधिक भार वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को मांग आधारित मापयंत्र उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा उल्लेख किया गया है कि पर्याप्त क्षमता वाले मापयंत्र स्थापित तो कर दिये गये हैं परन्तु विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मांग आधारित मापयंत्र स्थापित किये गये हैं या नहीं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उल्लेख किया गया है कि जब भी इस प्रकार की विद्युत–दर घरेलू प्रकाश तथा पंखा श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लागू की जाती है, समस्त घरेलू संयोजनों को मांग आधारित मीटर प्रदान किये जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत स्पष्ट है कि वर्तमान में घरेलू श्रेणी हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (demand based tariff) लागू किया जाना संभव नहीं है। आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया है कि मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा अपनाई गई मनोवृत्ति दिशा–निर्देशों के परिपालन की भावना के अनुरूप नहीं है। जब तक यह पुष्टि न हो जाए कि ऐसे समस्त उपभोक्ता, जिनके भार 10 किलोवाट या इससे अधिक है, को मांग आधारित मापयंत्र प्रदान कर दिये गये हैं, मांग आधारित विद्युत दर पर विचार किया जाना उचित न होगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भी उचित परिपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपने प्रस्तुतिकरण में इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर यह उल्लेख करते हुए टाल दिया गया है कि क्या घरेलू श्रेणी के प्रदान किये गये मीटरों में मांग अभिलिखित करने की विशिष्टताएं विद्यमान हैं। केवल पूर्व क्षेत्र विविकं द्वारा ही उल्लेख किया गया है कि वे इस प्रकार के मीटर 31 मार्च, 2011 तक उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा देंगे जो प्रकरण में उनके परिपालन को प्रकट करता है। *अतएव, आयोग मध्य तथा पश्चिम क्षेविवि कम्पनियों को निर्देश देता है कि वे वर्ष के दौरान 10 किलोवाट या इससे अधिक संयोजित भार वाले मीटर उपभोक्ताओं को मापयन्त्र उपलब्ध करायें जिनमें समस्त घरेलू संयोजनों पर औसत मासिक मांग अभिलिखित करने की सुविधा उपलब्ध हो। आयोग पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी को यह निर्देश देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समस्त नवीन संयोजन/भार वृद्धि वाले प्रकरणों में भविष्य में 10 किलोवाट या इससे अधिक भार वाले वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मांग आधारित मीटर उपलब्ध करा दिये जाएं।*

6.7 **ग्रामीण संभरकों का कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना** :

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि विस्तृत विवरण यह दर्शाते हुए प्रस्तुत किये जाएं कि कितने 11 केवी संभरकों में पृथक्करण की आवश्यकता है, संभरकों की संख्या जिन हेतु योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं तथा संभरकों की संख्या जिन हेतु योजनाएं

तैयार की जा रही हैं। इस हेतु वित्त प्रबंधन का प्रस्तावित स्त्रोत तथा कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समय अवधि यह दर्शाते हुए कि ऐसे संभरकों को कब तक पृथक कर लिया जाएगा, बाबत भी सूचित किया जाए। यह जानकारी माह जुलाई 2010 तक प्रस्तुत की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : कंपनी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही आयोग के समक्ष संभरक पृथक्करण योजना के अनुमोदन बाबत एक याचिका दायर की जा चुकी है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : मप्रविनिआ 2004 के विनियम की कंडिका 10.3 के अंतर्गत संभरक पृथक्करण योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : कृषि तथा अन्यों के संबंध में संभरक के पृथक्करण कार्य संबंधी याचिका क्रमांक 63/2010 दिनांक 28.08.2010 को आयोग के समक्ष दायर की जा चुकी है।

आयोग की अभियुक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा सैद्धान्तिक रूप से मध्य तथा पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनियों की संभरक पृथक्करण योजना को दिनांक 12 जनवरी, 2011 को तथा पश्चिम क्षेत्रविवि कम्पनी को संबंधी योजना दिनांक 2 फरवरी, 2011 को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित दिया जा चुका है। *आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में इसके बाद इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाएं।*

6.8 **न्यूनतम विद्युत प्रदाय अवधि** :

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निम्न न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे सुनिश्चित किये जाने से संबंधित निर्देश दिये गये :

(i)	*संभागीय मुख्यालय*	*: 22 घंटे*
(ii)	*जिला मुख्यालय*	*: 19 घंटे*
(iii)	*तहसील मुख्यालय*	*: 14 घंटे*
(iv)	*ग्रामीण क्षेत्र*	*: कुल 12 घंटे, जिनमें से तीन फेज विद्युत प्रदाय कम से कम छः घंटे की अवधि तक हो*

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु माह सितम्बर 10 तक माह–वार औसत विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं :

माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण
अप्रैल–10	21:16:00	18:36:00	13:07:00	9:44:00
मई–10	21:22:00	19:20:00	13:14:00	9:31:00
जून–10	21:45:00	19:33:00	13:29:00	9:29:00
जुलाई–10	23:18:00	22:02:00	14:59:00	11:20:00
अगस्त–10	23:44:00	22:28:00	15:51:00	13:15:00
सितम्बर–10	23:44:00	23:36:00	20:22:00	19:10:00
औसत	22:31:30	20:55:50	15:10:20	12:04:50

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : पश्चिम क्षेत्र विविकं के माह अप्रैल 10 से माह नवम्बर 10 तक के विद्युत प्रदाय घंटे (तीन फेस तथा एकल फेस पर) निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं :

माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण
अप्रैल–10	22.07	18.55	13.14	9.52
मई–10	21.48	18.47	12.56	9.17
जून–10	21.21	18.25	13.00	8.35
जुलाई–10	23.09	19.26	13.43	9.59
अगस्त–10	23.36	20.58	14.18	11.10
सितम्बर–10	23.55	23.22	19.14	17.41
अक्टूबर–10	22.10	18.04	12.16	10.01
नवम्बर–10	23.09	21.27	14.04	11.04

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** कम्पनी द्वारा माह दिसम्बर 09 से माह मार्च 10 तक माह अप्रैल 10 से सितम्बर 10 तक के विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं :

विद्युत प्रदाय घंटे – वर्ष 2009–10					
सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + 1 फेज)
1	दिसम्बर–09	23.14	21.09	16.39	13.04
2	जनवरी–10	23.06	20.28	14.50	11.41
3	फरवरी–10	22.52	19.43	14.35	10.37
4	मार्च–10	22.04	20.12	14.26	11.12
विद्युतप्रदाय घंटे – वर्ष 2009–10					
1	अप्रैल–10	23.48	19.37	13..31	10.26
2	मई–10	23.55	20.20	13.31	9.36
3	जून–10	24.00	20.38	13.46	9.38

4	जुलाई–10	24.00	20.38	13.46	9.38
5	अगस्त–10	23.42	22.00	15.10	12.13
6	सितम्बर–10	23.53	23.30	19.53	18.15

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा तहसील मुख्यालयों हेतु विद्युत प्रदाय घंटों की अवधि कुछ माह के दौरान, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु निर्धारित किये गये कम आवंटन के कारण कम रही है। अतएव, प्रणाली के प्रबन्धन हेतु, विद्युत की कटौती की गई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ माह के दौरान तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय कम अवधि हेतु किया जा सका है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों ने आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटों का परिपालन नहीं किया है। यह संज्ञान में लिया गया है कि कुछ महीनों के दौरान औसत विद्युत प्रदाय घंटे निर्देशित न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटों से कम रहे हैं। आयोग का मत है कि अनुज्ञप्तिधारी अपने उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यूनतम सुनिश्चित विद्युत–प्रदाय का स्तर संधारित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। *अतएव, आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटे संधारित किये रखे जाने के निर्देश देता है।*

6.9 **टैरिफ श्रेणी निम्न दाब औद्योगिक 4.1 सी के अंतर्गत नवीन संयोजन तथा भार में वृद्धि न किये जाने बाबत**

6.10 **आयोग के दिशा–निर्देश** : आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि एलवी–4.1 (सी) के अंतर्गत नवीन संयोजन स्वीकृत न किये जाएं तथा न ही इन श्रेणियों में भार में वृद्धि किया जाना अनुज्ञेय किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

(i) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : जैसा कि उल्लेख किया गया है, कम्पनी द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को देयक टैरिफ आदेश के उपबन्धों के अनुरूप ही जारी किये गये हैं।

(ii) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : आदेश के परिपालन में इस श्रेणी के अन्तर्गत न तो नवीन संयोजन जारी किये गये हैं तथा न ही उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि की गई है।

(iii) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : टैरिफ श्रेणी एलटी औद्योगिक 4.1 के अन्तर्गत मांग आधारित टैरिफ केवल विद्यमान उपभोक्ताओं को ही लागू किया जा

रहा है। पुष्टि की जाती है कि इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी नवीन संयोजन जारी नहीं किये गये हैं।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिशा–निर्देशों का परिपालन प्रतिवेदित किया जा चुका है।

6.11 **व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्तियां** :

आयोग के दिशा निर्देश : आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये गये कि जब कभी भी उनके द्वारा उनके क्षेत्र हेतु व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्ति की जाए, इसके विवरण आयोग को भी उपलब्ध कराये जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : सत्यापन याचिका 2008–09 में आयोग द्वारा की गई पृच्छाओं के परिपालन में कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान फ्रेंचाइजी की वस्तुस्थिति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अद्यतन स्थिति वर्ष 2009–10 की सत्यापन याचिका में प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : प्रारंभिक रूप से कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति रतलाम जिले के ग्राम रूपाखेड़ा में मार्गदर्शन परियोजना (pilot project) के बतौर कर दी गई है। यह एक आहरण (Input) आधारित फ्रेन्चाईजी माडल (प्रतिमान) है, अर्थात विद्युत प्रदाय के आहरण बिन्दु पर स्थापित अन्तर्मुख मापयंत्रों के माध्यम से 11 केवी संभारकों पर मीटरीकरण किया जाना। यह ग्राम पंचायत फ्रेन्चाईजी पिछले दो वर्षों से सन्तोषजनक ढंग से कार्यों का निष्पादन कर रही है।

वर्तमान में नौ आहरण आधारित ग्रामीण फ्रेन्चाईजी विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में कार्यरत हैं जो निम्नानुसार हैं :

1. रूपाखेड़ा – जिला रतलाम
2. धतुरिया – जिला रतलाम
3. धरड़ – जिला रतलाम
4. संघवी – जिला खरगोन
5. रहीमपुरा – जिला खरगोन
6. कम्पेल – जिला इन्दौर
7. पिपल्दा – जिला इंदौर
8. पिवदे – जिला इंदौर
9. सुन्दरेल – जिला इंदौर

ग्राम पंचायतों को फ्रेन्चाईजी कार्यों के निष्पादन हेतु प्रेरित किया जा रहा है तथा ग्राम पंचायत आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी में वृद्धि किये जाने हेतु कम्पनी द्वारा सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा भी, राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय फ्रेंचाईजी की नियुक्ति बाबत संविदा जारी किये जाने हेतु मानक निविदा–प्रपत्र या 'Standard Bidding Document-SBD' तैयार किया जा रहा है। उज्जैन क्षेत्र के 5 जिलों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण प्रणाली की प्रचालन दक्षता तथा उपभोक्ताओं हेतु सेवा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के प्रयोजन से, कम्पनी जन–निजी भागीदारी द्वारा विद्युत वितरण के क्षेत्र में प्रबंधन निपुणता लाये जाने की इच्छुक है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के उपबन्ध 7 के अनुपालन में, कम्पनी विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा मात्रा, सम्पूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (AT&C loss) को न्यूनतम करने, मीटरीकरण, बिलिंग, राजस्व संग्रहण में सुधार लाये जाने तथा बिलिंग बकाया राशि को न्यूनतम स्तर पर लाये जाने हेतु तथा उपभोक्ताओं की समग्र सन्तुष्टि हेतु फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने की इच्छुक है। प्रारंभिक रूप से, कम्पनी परिक्षेत्र स्तर पर एक आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी प्रतिमान (input based franchisee model) अर्थात् 11 केवी संभारकों पर विद्युत प्रदाय के आहरण बिन्दु पर अन्तर्मुख मीटर पर मीटरीकरण द्वारा फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये गये थे।

मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी के अन्तर्गत, 5 फ्रेंन्चाईजी की नियुक्ति आहरण आधारित प्रतिमान आधार पर की गई है जिसके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं :

सरल क्रमांक	परिक्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र का नाम जहां फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति की गई	फ्रेन्चाईजी का नाम तथा पता	प्रचालन तिथि
1	संचालन एवं संधारण वृत्त भोपाल के अंतर्गत बैरसिया वितरण केन्द्र	सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, विदिशा	1–05–2007
2	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत करोंद परिक्षेत्र	अग्रवाल पॉवर, भोपाल	1–10–2007
3	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत छोला परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–02–2008
4	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत जहांगीराबाद परिक्षेत्र	जूम डेवलपर, इंदौर	1–02–2008
5	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत चांदबड़ परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–03–2008

वर्तमान मे केवल 2 फ्रेन्चाईजी (सरल क्रमांक 2 तथा 3) कार्यरत हैं। सरल क्रमांक 1, 4 तथा 5 पर दर्शाये गये फ्रेन्चाईजी द्वारा अपनी संविदा अवधि पूर्ण किये जाने से पूर्व कार्य बन्द कर दिया गया है। लघु स्तरीय फ्रेन्चाईजी की सफलता दर को दृष्टिगत रखते हुए, कम्पनी द्वारा संभाग/वृत्त स्तर पर फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, गुना वृत्त हेतु एक इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 1.7.09 को जारी की गई । परन्तु ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत गुना संचालन तथा संधारण वृत्त के अन्तर्गत समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि में कमी तथा आरयूपी (RUP) में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए, फिलहाल गुना वृत्त में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया तथा प्रथम चरण

के अन्तर्गत ग्वालियर तथा भिण्ड जिलों में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

नवीन फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति का प्रस्ताव :

वितरण फ्रेंन्चाईजी के चरणबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में निम्न क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया :

चरण	जिलों के नाम
प्रथम चरण	ग्वालियर, भिण्ड तथा दतिया
द्वितीय चरण	मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर कलां

प्रथम चरण हेतु पैकेज

पैकेज–I ग्वालियर तथा दतिया जिले–प्रचालन में सचालन एवं संधारण वृत्त ग्वालियर तथा शहर वृत्त ग्वालियर, मालनपुर संचालन एवं संधारण संभाग के प्रचालन क्षेत्र को छोड़कर।

पैकेज–II भिण्ड जिला–जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण भिण्ड संचालन तथा संधारण वृत्त आता है जिसमें भिण्ड, महगांव, गोहद, लहार के संचालन एवं संधारण संभाग तथा ग्वालियर शहर वृत्त के मालनपुर (संचालन एवं संधारण) संभाग आते हैं।

द्वितीय चरण हेतु पैकेज

पैकेज–I मुरैना जिला – इसके अन्तर्गत मुरैना वृत्त के मुरैना–I, मुरैना–II तथा सबलगढ़ (संचालन एवं संधारण) संभाग आते हैं।

पैकेज–II शिवपुरी तथा श्योपुर कला जिले– शिवपुरी वृत्त के अन्तर्गत शिवपुरी–I, शिवपुरी–II,पिछोर, श्योपुर (संचालन एवं संधारण संभाग) आते हैं।

फ्रेंन्चाईजी की नियुक्ति के संबंध में मानक निविदा प्रपत्र तैयार किया गया है तथा इसे म.प्र. शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। मप्र शासन से निविदा प्रपत्र के अनुमोदन पश्चात, पहले चरण– I की निविदा बुलाई जाएगी तथा इसके पश्चात चरण– II की निविदा बुलाई जाएगी।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : जैसा कि मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी से भी पुराने प्रस्तुतिकरणों का संदर्भ देने के बजाय, अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गई थी। आयोग यह मानता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्ध के अनुसार फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, इस हेतु यथोचित देखभाल सावधानी बरतना आवश्यक है कि ऐसे फ्रेन्चाईजी क्षेत्रों के अंतर्गत उपभोक्तागण नकारात्मक रूप से प्रभावित न होने पाए तथा यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी का न्यायोचित राजस्व भी सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत

व्यय योजना के पर्याप्त रूप से क्रियान्वयन में भी सावधानी बरतनी होगी। *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये जाने पर वितरण आयोग को प्रस्तुत किये जाएं। पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी को भी एक माह के अन्दर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।*

6.12 **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना** :

आयोग के दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों को वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश पर आधारित प्रथम देयक के साथ समस्त उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु चालू वर्ष हेतु लागू एक टैरिफ कार्ड जारी करने के निर्देश दिये गये थे।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

1. **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : निवेदन किया गया कि समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। टैरिफ आदेश आयोग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है तथा वर्ष 2010–11 हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर के कार्यान्वयन का वृहद्ध प्रचार–प्रसार पूर्व में किया जा चुका है। टैरिफ कार्ड का मुद्रण एक मंहगा सौदा है। अतएव निवेदन किया जाता है कि कम्पनी को समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड उपलब्ध कराये जाने से छूट प्रदान की जाए।

2. **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के समस्त उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड जारी कर दिये गये थे।

3. **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रावधान दर्शाने वाले टैरिफ कार्ड जारी किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अनुसूची पुस्तिकाएं समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गई हैं।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा केवल उच्च दाब उपभोक्ताओं को ही टैरिफ पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है यद्यपि उनके द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार का दावा भी किया गया है। परन्तु, समस्त उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों का परिपालन नहीं किया गया है। इसे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिया गया है। अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराये। भविष्य में इस प्रकार की शिथिलता/अपालन हेतु उचित कार्यवाही की जा सकेगी। *विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इस टैरिफ आदेश के बाद उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले प्रथम देयक के साथ वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश के अनुसार लागू विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दर के विवरण दर्शाते हुए टैरिफ कार्ड जारी किये जाएं।*

6.13 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना** :

आयोग के दिशा निर्देश : समस्त वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये गये कि भविष्य में वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के साथ–साथ सत्यापन याचिकाएं भी दोनों अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करें।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : निवेदन किया गया कि याचिका को अंग्रेजी भाषा में दाखिल किया गया है तथा इस याचिका के हिन्दी रूपान्तरण हेतु प्रामाणिक प्रयास किये जाएंगे।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का हिन्दी रूपान्तरण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के हिन्दी अनुवाद हेतु, संविदा जारी की जा चुकी है तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का हिन्दी रूपांन्तरण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अभिलेख का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। *आयोग निर्देश देता है कि विद्युत वितरण कम्पनियां कम से कम अपने प्रस्तावों की कार्यकारी संक्षेपिका, मय वांछित आंकड़ों के हिन्दी में तैयार करें तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों तथा सत्यापन याचिकाओं के साथ भविष्य में प्रस्तुत करें।*

6.14 **छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन** :

आयोग के दिशा निर्देश : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को उपभोक्ताओं की राजस्व बिलिंग से संबंधित वांछित विवरण की प्रस्तुति सुनिश्चित करने तथा आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये जिसके पालन न किये जाने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** उच्च दाब उपभोक्ताओं के माहवार बिलिंग के विवरण याचिका के साथ सॉफ्ट प्रति में प्रस्तुत किये गये हैं। निवेदन किया गया वांछित विवरण प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के साथ उपलब्ध हैं।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** उपभोक्ता श्रेणीवार, माहवार छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों के विवरण अभिलिखित किये जाने हेतु साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है तथा वांछित जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** उद्यम संसाधन नियोजन अर्थात् Entrepreneur Resource Planning (ERP) कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस कार्य के सम्पन्न होने पर बिलिंग विवरण उपभोक्ताओं के बिल पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : केवल एक विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर, जिसके द्वारा निर्देशों का आंशिक, परिपालन किया गया है, आयोग द्वारा चाहे गये विवरण किसी भी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः आगामी याचिकाओं में उपभोक्ताओं की राजस्व बिलिंग से वांछित विवरण की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।*

6.15 **एक समान लेखा का संधारण** :

आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक समान स्तरीय कार्य विधि विकसित की जाए तथा यह सुनिश्चित भी किया जाए कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों में एक समान लेखा नीति के अनुसार यह विधि सुसंगत रूप से प्रयुक्त की जाए जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाए :

(i) लेखा को तैयार किये जाने का आधार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान होना चाहिए।

(ii) तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक समान लेखा–विधि (Chart of Accounts) विकसित की जाए।

(iii) वित्तीय लेखों में व्यय तथा राजस्व के प्रस्तुतिकरण की विधि एक समान होनी चाहिए।

सुझाव दिया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए तथा उसके द्वारा उचित अनुशंसाएं माह अगस्त, 2010 तक प्रस्तुत की जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** निवेदन किया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन कर रही हैं। चूंकि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये अलग–अलग वैधानिक अंकेक्षक (Statutory Auditors) स्वतंत्र रूप से कार्य कर कर रहे हैं, अतएव कम्पनी उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में कठिनाई का अनुभव कर रही है। कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु याचिका को अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के उपबन्धों के अनुसार दाखिल किया गया है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** कम्पनी को दिनांक 31 मई, 2002 को निगमित किया गया है। तथापि, इनका वाणिज्यिक प्रचालन मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 226 दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसरण में किया गया है। तत्कालीन मप्र राज्य विद्युत मण्डल के लेखे विद्युत प्रदाय वार्षिक लेखा नियम, 1985 (ESAAR, 1985) में वर्णित सिद्धान्तों तथा नीतियों पर आधारित हैं। ये नीतियां तथा सिद्धान्त कम्पनी के चालू वर्ष के संचालन हेतु भी जारी रखे गये हैं। उक्त सीमा तक कम्पनी की लेखा नीतियां तथा सिद्धांन्त कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 211 (3C) में उल्लेखित लेखा मानकों के सुसंगत नहीं हो सकते। कम्पनी इस अन्तर्वर्ती अवधि (transition period)

के दौरान, उनकी वर्तमान लेखा नीतियों को कम्पनी एक्ट की धारा 211 (3C) में उल्लेखित लेखा मानकों से संरेखित अपना क्रमिक विकास तथा सुधार की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। उपरोक्त के अलावा, सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेविवि कम्पनी, इन्दौर की ईआरपी परियोजना में अधिप्राप्ति (Procurment), कस्टमीकरण (customization) का क्रियान्वयन प्रस्तावित है तथा ईआरपी के वित्त, मानक संसाधन, सामग्री प्रबन्धन तथा परियोजना प्रबंधन मॉडयूल हेतु अनुवर्ती समर्थन कार्यान्वयन के क्षेत्र में आते हैं। ईआरपी के क्रियान्वयन द्वारा सर्वोत्तम लेखा संव्यवहार तथा विनियामक परिपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** ईआरपी कार्यक्रम में लेखा भाग को भी शामिल किया गया है। एक समान लेखा का संधारण ईआरपी कार्यक्रम के समापन के उपरान्त किया जा सकेगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा पाया गया है कि किसी भी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिशा–निर्देश का परिपालन नहीं किया है। पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति से स्पष्ट है कि वे अर्हता के अनुसार मानक लेखा पद्धति की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर है परन्तु पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी की प्रतिक्रिया सन्तोषजनक नहीं है। *आयोग पुनः निर्देश देता है कि वे कम्पनियों हेतु मानक लेखा संव्यवहारों की अर्हता के परिपालन की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियां लेखा प्रक्रिया में एकरूपता कायम कर सकें।*

6.16 **विनियमों का परिपालन** : आयोग द्वारा पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका विनियमों के उपबन्धों में दर्शाई गई विधि के अनुरूप, प्रस्तुत नहीं की गई है। अ*ायोग निर्देश देता है कि भविष्य में याचिका विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप ही दाखिल की जाए तथा यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट करने का इच्छुक हो तो इसका प्रस्तुतिकरण याचिका में अतिरिक्त प्रस्तुतिओं के माध्यम से किया जा सकता है।*

6.17 **नवीन दिशा–निर्देश :**

(अ) आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 से ऐसे उपभोक्ता जिनका भार 25 अश्व शक्ति से अधिक है, समस्त गैर–घरेलू उपभोक्ताओं से अनिवार्य मांग आधारित टैरिफ लागू करने का इच्छुक है। विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त संयोजनों पर अधिकतम मांग को अभिलिखित करने वाले मीटरों की स्थापना सुनिश्चित करें तथा परिपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(ब) आयोग मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिये संयोजन भार की अधिकतम सीमा समाप्त करने का इच्छुक है। अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे माह मार्च, 2012 तक समस्त ऐसे निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन (AMR) पद्धति को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

आपत्तिकर्ताओं की सूची

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	**आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते**
1	श्री आर.एन. मिश्रा, आर.एन.एम. इंजीनियर्स एवं कंसलटेन्ट प्रा.लि. चेम्बर 17, गुडलक अपार्टमेंट, कटंगा, 82, नर्मदा रोड, जबलपुर
2	श्री सतीश कुमार आर्या, आटा चक्की, मेन रोड, नैनपुर, जिला मण्डला
3	श्री राजनारायन भारद्वाज, प्लाट नं. 453, संजीवनी नगर, गढा जबलपुर
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद मोर, प्रवुद्धपुरी गली क्रमांक 4, आदर्श कॉलोनी मार्ग, कटनी
5	श्री शिव कुमार, माईनिंग इंजीनियर, पोस्ट जैतवारा (सतना)
6	श्री आलोक ब्योहार, ब्राम्हणपुरा, सिहोरा, जिला जबलपुर,
7	श्री अनंत जौहरी, म.प्र.किसान अधिकार मंच, अनूपपुर
8	श्री चंद्रशेखर सिंह तिवारी, म.प्र. किसान अधिकार मंच, रीवा
9	श्री रविदत्त सिंह, राज्याध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रान्त, जिला–रीवा
10	श्री रमेश पटेल, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, ब्यौहार भवन, महावीर चौक के समीप, तहसील सिहोरा, जबलपुर (म.प्र.)
11	श्री जी.सी. जैन, मेसर्स एच.जे.आई डिविजन, ओरिएन्ट पेपर मिल्स, पो.ओ. अमलाई पेपर मिल्स, अनूपपुर
12	संचालक, मेसर्स रमणीक पावर एवं अलायस प्रा.लि. द्वारा मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी संस, मेन रोड, बालाघाट
13	श्री ए.पी. तिवारी, महाप्रबंधक, साउथ एवेन्यू मॉल, जबलपुर इंटरटेन्मेंट काम्प्लेक्स प्रा.लि., नर्मदा रोड, जबलपुर
14	श्री शंकर नागदेव, महाकौशल चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, चेम्बर भवन, सिविक सेंटर मढ़ाताल, जबलपुर
15	श्री प्रेम दुबे, जबलपुर चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज, मल्होत्रा सदन, मकान न. 113, नेपियर टाउन, जबलपुर
16	श्री दीपक रामचंदानी, श्री धान, चॉवल, पोहा व्यापारी संघ, बालाघाट
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, रेवांचल व्यापार मंडल, शिल्पी प्लाजा, रीवा
18	श्री डी.आर. जेसवानी, महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक एरिया रिछाई, जबलपुर
19	श्री एस.के. सुकलीकर, मुख्य विद्युत अभियंता, पश्चिम मध्य रेलवे एडिशनल जनरल मैनेजर, (कार्या.) विद्युत शाखा, इंदिरा मार्केट, जबलपुर
20	डा. पी.जी. नाजपान्डे, अध्यक्ष, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, 6/47, रामनगर, आधारताल, जबलपुर
21	श्री दिनेश कुमार, भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन, तह. अमरपाटन, जिला सतना
22	श्री आर.पी. निगम, सचिव, म.प्र. पेंशनर्स संघ, 39, सत्यानन्द विहार, रामपुर, जबलपुर
23	श्री पवन कुमार जैन, म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ, शेड नं. 13, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर
24	श्री एम.एल. चौकसे, म.प्र. विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन, श्रम भवन, शक्ति भवन रोड, जबलपुर

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री प्रेम चंद गुड्डु, संसद सदस्य, 32–बी, संत नगर, उज्जैन
2	श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक, सांवेर, 80, अग्रवाल नगर, इन्दौर
3	श्री हेमन्त पाल, इन्दौर जिला कांग्रेस कमेटी, ए–19, यशवन्त रोड़, इन्दौर
4	श्री चन्द्र कुमार चतरस, 130, दशहरा मैदान, उज्जैन
5	श्री सतीश गंगराडे, इंदौर
6	श्री सोहनलाल अग्रवाल, 26, अलखधाम नगर, सांवेर, उज्जैन
7	श्री दीपक कासलीवाल, शांति जेलिवल, 16, हेरिटेज 582, एम.जी. रोड, इंदौर
8	श्री पी. व्ही. धनोदकर,,वरिष्ठ नागरिक, ई/1, राजेन्द्र नगर इन्दौर
9	श्री प्रवीण कुमार जैन, 23/2, फ्रीगंज, उज्जैन
10	श्री धनंजय कविश्वर, इंदौर एच.बी.–19, तक्षशिला परिसर, ए.बी. रोड, इंदौर
11	श्री किशोर दीपक कोडवानी, विकास मित्र दृष्टि, पुष्पदीप अपार्टमेंट, सर्वोदय नगर,इन्दौर
12	श्री लोकेन्द्र धनगर, ग्राम केसरपुरा, तह. बड़वानी
13	श्री एस.एम. जैन, मेसर्स आल इंडिया इंडक्शन फरनेसेस एसोसिएशन, औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर
14	श्री एस.एम. जैन, मेसर्स विनस एलॉयस प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर
15	श्री पंकज बंसल, मेसर्स शिवांगी रोलिंग मिल्स प्रा.लि., 16/9, टोंगिया कम्पाउन्ड, रेस कोर्स रोड, इंदौर
16	श्री ललप्पन टी.के., मेसर्स जयदीप इस्पात एवं एलॉस प्रा.लि. 103, लक्ष्मी टॉवर, 576, एम.जी. रोड, इंदौर
17	श्री संदीप जैन, मेसर्स मोईरा स्टील्स लि., 103, लक्ष्मी टॉवर, 576, एम.जी. रोड, इंदौर
18	संचालक, मेसर्स केसर एलॉयस एवं मैटल्स प्रा.लि. 201, रूद्राक्ष अपार्टमेंट, 16, मीरा पथ, धेनू मार्केट, इंदौर
19	संचालक, मेसर्स अनंत स्टील प्रा.लि., 170/10, फिल्स कालोनी, आर.एन.टी. मार्ग, रविन्द्र नाट्य गृह के सामने, इंदौर
20	श्री आई.सी. जिन्दल, मैगनम आयरन एवं स्टील्स प्रा.लि., ए–4, औद्योगिक क्षेत्र, बानमोर, जिला–मुरैना
21	आयरन एवं स्टील मिल्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), सांवेर रोड, इंदौर
22	श्री बी.एल. जाजू, मेसर्स एम.पी. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, 115–बी, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
23	श्री योगेन्द्र शर्मा, आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर
24	श्री सुशील शर्मा, विद्युत कर्मचारी यूनियन. म.प्र. मेनरोड, इन्दौर
25	मो. हाजी सलीम अहमद, मध्यप्रदेश विद्युत उपभोक्ता एसोसिएशन, 375, जवाहर मार्ग , इन्दौर
26	श्री संजय कुमार अग्रवाल, ''उपभोक्ता हित प्रहरी'', 970, माणक चौक, महू
27	श्री केशवलाल गुप्ता, बिजली कर्मचारी संघ, फ्रीगंज, उज्जैन
28	सचिव, विद्युत उपभोक्ता जागृति समिति, शंकु मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन
29	श्री कैलाश यादव, क्षिप्रा उपभोक्ता संरक्षण समिति, अंकपात मार्ग, उज्जैन
30	श्री दर्शन सिंह भाटिया, मेसर्स सनजोत पोल्ट्री, नेमावर रोड, 67, विष्णुपुरी अनेक्स, इंदौर
31	संचालक, मेसर्स सिमरन फार्म लि., 1–बी, विकास रेखा काम्प्लेक्स, टॉवर चौराहा, इंदौर
32	श्री इंदर बीर सिंह नैय्यर, सचिव. इंदौर पोल्ट्री फेडरेशन, खातेवाला टैंक, इंदौर
33	मेसर्स आईडियल फार्म, 330, विष्णुपुरी, अनेक्स, इंदौर
34	मेसर्स त्रिलोक पोल्ट्री फार्म, 4, गुरूकृपा अपार्टमेंट, विष्णुपुरी, ए.बी. रोड, इंदौर

35	मेसर्स च्वाइज पोल्ट्री फार्म, ग्राम टिल्लरखुर्द, जिला इंदौर
36	मेसर्स ओरिएन्ट ट्रेडर्स, 16/02, मानिक बाग रोड, इंदौर
37	मेसर्स इंदौर पोल्ट्री फार्म, 10 के.एम., नेमावर रोड, इंदौर
38	श्री गौतम कोठारी, मेसर्स बिजली उपभोक्ता समिति, द्वारा ऑल इंडिया मेन्युफेक्चरर्स आर्गेनाइजेशन (म.प्र. राज्य बोर्ड), औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
39	श्री एम.सी. रावत, म.प्र. टेक्सटाईल्स ऐसोसियेशन मिल्स, साउथ तुकोगंज, इंदौर
40	डॉ. गौतम कोठारी, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231, साकेत नगर, इंदौर
41	श्री सी.पी. बंसल, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (केमिकल्स डिवीजन), बिरलाग्राम, नागदा
42	श्री संजय जैन, किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. देवास
43	श्री अतुल कुलकर्णी, सिद्धार्थ ट्यूब लि., तीसरी मंजिल, पुराना इंदौर विकास प्राधिकरण भवन 15–16, जवाहर मार्ग, इंदौर
44	श्री अशोक जायसवाल, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज म.प्र., 96 औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
45	श्री अशोक खंडेलिया, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देवास, औद्योगिक क्षेत्र नं.1, ए.बी. रोड, देवास
46	श्री आशिष दोषी, महिमा प्योस्पन, 406, कार्पोरेट हाऊस, 169, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर
47	मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लि., इंदौर
48	मेसर्स दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लि., 92/3, सपना–संगीता मेन रोड, तनिष्क शोरूम के पास, इंदौर
49	मेसर्स सत्यम स्पिनर्स प्रा.लि., सेंधवा, बड़वानी, म.प्र.
50	श्री प्रकाश साहनी, आयरन एवं स्टील री–रोलर एसोसिएशन, सांवेर रोड, इंदौर
51	श्री आर. भाटेवारा, आईपीसीए लेबोरेटरीज लि. पोस्ट बॉक्स नं..33, पो.ओ., साजवता, जिला रतलाम
52	श्री सतीश सूद, मेसर्स ओआसिस डिस्टलरीज लि., एच–102, बी–2, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर
53	मेसर्स धनलक्ष्मी साल्वेक्स प्रा.लि., 201, बंसी प्लाजा, एम.जी. रोड, इंदौर
54	श्री कैलाश खंडेलवाल, विकास कोट फायबर, प्रा.लि., सेंधवा, जिला बड़वानी, म.प्र.
55	श्री दिलीप जैन, महिवीर कोट फायबर, खेटिया, जिला बड़वानी
56	मेसर्स मासन्द एग्रो इक्यूपमेंट्स प्रा.लि., 70, शास्त्री मार्केट, इंदौर
57	श्री मनीष श्रीमाल, मेसर्स तिरूपति फायबर्स, ग्राम खेड़ी बुजुर्ग, जुलवानिया रोड, जिला खरगोन
58	श्री पवन गोयल, मेसर्स पवन कॉटन इंडस्ट्रीज, वेरला रोड, सेंधवा
59	श्री रसदीप सिंह चावला, मेसर्स हारमन कोटेक्स, खरगोन
60	श्री संजय अग्रवाल, मेसर्स मित्तल ऑयल इंडस्ट्रीज, खेतिया तह. पानसेमल, जिला बड़वानी
61	श्री आर.एस. गोयल, 51, प्रकाश नगर, नेमावर रोड, इंदौर
62	श्री आर.सी. सोमानी, 67, सी.एच. स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इंदौर
63	वरिष्ठ नागरिक मंच, 37, प्रकाश नगर, नवलखा, इंदौर
64	श्री शिव गर्ग, अध्यक्ष, अग्रवाल परिषद्, 18, वैभव चैम्बर, प्रथम तल, 7/1, उषागंज, इंदौर
65	श्री आशुतोष राव, सचिव, प्रकाश नगर विकास संघ, 46, प्रकाश नगर, नवलखा, इंदौर
66	श्री अनिल गर्ग, 304, ए.डी., स्कीम नं.74 सी, विजय नगर, इंदौर
67	श्री एम.व्ही. भाले, देवास वरिष्ठ नागरिक संस्थान, देवास
68	श्री राजीव श्रीवास्तव, 20, वैभव नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इंदौर तथा अन्य 19 व्यक्ति
69	मेसर्स आईडिया सेल्युलर लि., 139–140, इलेक्ट्रनिक्स कामप्लेक्स, परदेशीपुरा, इंदौर
70	श्री अनिल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष, ब्लॉक ऑफिस कांग्रेस कमेटी, मल्हारगढ़, निवास–महावीर गंज, पिपलया स्टेशन, जिला मंदसौर

प्रगतिशील किसान संगठन, मध्य प्रदेश मुख्य कार्यालय : डपोरा, जिला बुरहानपुर	
71	श्री रघुनाथ विश्वनाथ पाटील, अध्यक्ष
72	श्री हीरामन पाटील
73	श्री प्रवीण चौधरी,
74	श्री सतीश रामपाल
75	श्री पुरूषोत्तम गोपाल पाटील
76	श्री शिव कुमार सिंह, प्रताप सिंह कुशवाहा
77	श्री कमलेश नारायण पाटील
78	श्री विजय महाजन
79	श्री चन्द्रशेखर महाजन
किसान विकास मंच, बुरहानपुर म.प्र.	
80	श्री मनोहर चौधरी, अध्यक्ष, किसान विकास मंच, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर
81	श्री नवीन कुमार, छोटेलाल पाटीदार, सरदार पटेल कालोनी, बुरहानपुर
82	श्री ज्ञानेश्वर नारायण राव पाटील, पोस्ट बसाड़, तह. जिला बुरहानपुर
83	श्री दिलीप हीरालाल पटेल, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
84	श्री प्रभाकर शामराव पाटील, बुरहानपुर
85	श्री शिवाजी रामभाऊ पाटीदार, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
86	श्री आत्माराम गणपतराव, बुरहानपुर
87	श्री नरेश दिनकरराव पाटील, बसाड़, तह. नेपानगर जिला बुरहानपुर
88	श्री गोविन्दराव पाटीदार, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
89	श्री माधवराव गणपतराव, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
90	श्री मानिकराव गणपतराव, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
91	श्री विनायक राव गणपतराव पाटील, पोस्ट बसाड़, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
92	श्री जयन्त मधुकर चौधरी, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
93	श्री गोपाल दशरथ महाजन, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
94	श्री प्रकाश काडु महाजन, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
95	श्री प्रवीण दशरथ महाजन, लोनी, जिला बुरहानपुर
96	श्री युवराज वामन महाजन, पोस्ट– लोनी, जिला बुरहानपुर
97	श्री भगवन्त रघुनाथ महाजन, लोनी, जिला बुरहानपुर
98	श्री दिगम्बर काडु महाजन, लोनी, ग्राम जिला बुरहानपुर
99	श्री विनोद काडु महाजन, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
100	श्री मनोहर रघुनाथ चौधरी, लोनी, जिला बुरहानपुर
101	श्री एकनाथ तुकाराम चौधरी, लोनी, जिला बुरहानपुर
102	श्री कृष्णदास बलदेवदास, तिलगांव, पोस्ट दरियापुर, जिला बुरहानपुर
103	श्री महेन्द्र भागवत बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
104	श्री पाण्डुरंग भवदु उगवे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
105	श्रीमती बेबाबाई रामभाउ बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
106	श्री सुभाष तुकाराम बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
107	श्री त्रियम्बक सखाराम बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
108	श्री रितेश सदाशिव गवाण्डे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
109	श्री प्रशान्त सुनील बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
110	श्री श्यामकान्त भगवान गवाण्डे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर

111	श्री कैलाश सोपान राव गवाण्डे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
112	श्री भागवत मीठाराम महाजन, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
113	श्री मनोज पुडलिक पवार, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
114	श्री साहेबराव आमराव चोपड़े, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
115	श्री गणेश काशीनाथ महाजन, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
116	श्री संजय रतिराम, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
117	श्री सन्दीप रघुनाथ महाजन, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
118	श्री रविन्द्र एकनाथ महाजन, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
119	श्री रमेश निरंजनलाल, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
120	श्री भागवत शंकर महाजन, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
121	श्री प्रकाश सितारा, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
122	श्री सिराज खान, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
123	श्री सुनील छवीलदास बोदके, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
124	(आपत्तिकर्ता का नाम अंकित नहीं है) पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
125	श्री नितीश प्रभाकर चौधरी, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
126	श्री रविन्द्र साहेबराव चौपदे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
127	श्री दिलीप सोपान गवान्डे, पोस्ट छपोरा, जिला बुरहानपुर
128	श्री किशोर राजाराम पाटील, भारतीय शॉपिंग काम्प्लेक्स, स्टेडियम रोड, जिला बुरहानपुर

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री लोकचन्द्र जनयानी (ट्रस्टी), सेवा सदन आंख का अस्पताल (ट्रस्ट) संत हिरदाराम नगर, भोपाल
2	श्री दयाशंकर स्वर्णकार, कृपाल आश्रम के समीप, चन्द्रनगर, ग्वालियर
3	वरिष्ठ नागरिक (पूर्व में वित्तीय मामले से जुड़े) – **नाम एवं पता नही दिया है**
4	श्री प्रवीण सक्सेना, ई–7/78, एस.बी.आई, अरेरा कालोनी, भोपाल
5	श्री चन्द्रकांत गौर, भारतीय किसान संघ, डी.–103/4, शिवाजी नगर, भोपाल
6	श्री रामसेवक गुप्ता, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
7	श्री डी.पी. गोयल, म.प्र. अग्रवाल महासभा, सुखसागर, 6, पत्रकार कालोनी, कोलार रोड, भोपाल
8	श्री बी. आई ज्वारदार, जनकल्याण नागरिक समिति, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
9	श्री आशिष, मेसर्स व्योम नेटवर्क्स लि., 162, मोदी हाईट्स, पी.एफ. कार्यालय के पास, एम.पी. नगर, जोन–2, भोपाल
10	श्री एस. पाल, वर्धमान टेक्सटाईल्स लि., द्वारा वर्धमान यार्न्स, सतलापुर, मंडीदीप, जिला रायसेन
11	श्री ए.के. कौशिक, वर्धमान यार्न्स, वर्धमान टेक्सटाईल्स लि.,सतलापुर, मंडीदीप, जिला रायसेन
12	श्री प्रताप वर्मा, फेडरेशन ऑफ मप्र चैम्बर्स ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री, उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129,–ए, मालवीय नगर, भोपाल
13	श्री एस.के. पाली, लघु उद्योग भारती, मध्यप्रदेश, आर.–2, जोन–1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल
14	डा. प्रवीण अग्रवाल, मध्य प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चेम्बर भवन, सनातन धर्म मंदिर मार्ग, ग्वालियर
15	श्री सुहास वीरानी, भोपाल हॉस्टल ओनर्स, एसोशिएशन, द्वारा विंध्यश्री गर्ल्स हॉस्टल, 50, जोन–-II, एम.पी. नगर, भोपाल
16	जीवदया गौरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन केन्द्र, विश्व हिन्दू परिषद् कार्यालय, छोला रोड, भोपाल
17	श्री के.एन. माथुर, एचईजी लि., मण्डीदीप, जिला रायसेन
18	श्री दिनेश शर्मा, एस.ई.(ई), मेसर्स भारत संचार निगम लि., म.प्र. टेलिकाम मंडल भोपाल, द्वारा कार्यालय मुख्य अभियंता विद्युत भोपाल बीएसएनएल भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
19	श्री सोमकान्त उमलकर, अध्यक्ष, मेसर्स सेवा भारती, मध्य भारत, मातृछाया (शिशु कल्याण केन्द्र), स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल
20	श्री श्रीचंद लालवानी, म.प्र. आटा एवं मसाला चक्की पिसाई महासंघ समिति, कार्यालय 35, मेन बाजार, जहांगीराबाद, भोपाल

टैरिफ अनुसूचियां

परिशिष्ट –2

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू	173–175
एलवी–2 गैर–घरेलू	176–178
एलवी–3 सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	179–180
एलवी–4 निम्न दाब उद्योग, गैर–मौसमी तथा मौसमी	181–184
एलवी–5 कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग	185–188
निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें।	189–197

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू :–

प्रयोज्यता :–

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाऊसेज), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल, तथा धार्मिक संस्थाएं, भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(ए) ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार – मीटरीकृत संयोजन (कनेक्शन) हेतु

मासिक खपत	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	290	शून्य

(बी) न्यूनतम प्रभार– इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह लागू होंगे।

एल वी 1.2

(ए) (i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार–** मीटरीकृत संयोजनों हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs)	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) लाभ के साथ (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	330	30 प्रति संयोजन	20 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	375	55 प्रति संयोजन	30 प्रति संयोजन
101 से 200 यूनिट तक	460	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर

		60 की दर से	रूपये 40 की दर से
200 यूनिट से अधिक	480	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 70 की दर से	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 60 की दर से

न्यूनतम प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु रू. 60 प्रति संयोजन प्रति माह के न्यूनतम प्रभार ही होगा ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है। (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण श्रेत्र**	**मासिक स्थाई प्रभार**	
		ग्रामीण	**शहरी**
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु),	650	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 200	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 150
सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन।	650	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 40	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 20
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नही करा दिये जाते	300	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों हेतु, रू. 500 प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफामर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू होंगे।

(ii) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	77 यूनिट हेतु, 400 पैसे प्रति यूनिट की दर से	60 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	30 यूनिट हेतु, 330 पैसे प्रति यूनिट की दर से	25 प्रति संयोजन

(बी) न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्तओं के लिये किसी प्रकार के न्यूतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

निबंधन तथा शर्तें

(अ) बिलिंग के प्रयोजन से, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित किये गये ऊर्जा प्रभारों के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू :–

एलवी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मसिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर	480	75 प्रति किलोवाट	50 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक(Optional) 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	480	160 प्रति किलोवाट अथवा रू. 128 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	100 प्रति किलोवाट अथवा रू. 80 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एलवी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) [रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर] दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), शासकीय कार्यालयों, शासकीय अस्पतालों, शासकीय चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं के कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के) निजी औषधालयों (क्लीनिकस), नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों,

बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम) तथा स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

टैरिफ :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/यूनिट) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में	मसिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	515	40 प्रति किलोवाट	20 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	570	70 प्रति किलोवाट	40 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक 10 किलोवाट से अधिक की संविदा मांग हेतु **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर**	485	175 प्रति किलोवाट अथवा 140 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	100 प्रति किलोवाट अथवा 80 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन, मेला स्थलों को सम्मिलित कर *	690	110 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	65 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/ यूनिट) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	690 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी	40 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी	20 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित

	सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500 के अध्यधीन होगी)	सर्वाधिक हो,	भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
एकल फेज	400		
तीन फेज	600		

*टीप : * केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।*

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष–किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(बी) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :** इनकी बिलिंग विधि निम्न–दाब हेतु विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(सी) **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार अधोसंरचना (Telecom Infrastructure) हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट** : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार, सेवाओं के संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मोबाईल संचार टावरों (Mobile Communication Towers) हेतु 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य (Public Water Works) एवं पथ–प्रकाश (Street Lights)

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/ सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संस्थापनों के संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा नगरीय निकायों/ न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगा।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों /टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) ही प्रयोज्य होगी।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन, नागरिक निकायों, द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार
एलवी 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	350	130	
नगरपालिका/नगर पंचायत	350	110	
ग्राम पंचायत	350	45	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य टैरिफ से 1.3 गुना दर पर		
एलवी 3.2 पथ–प्रकाश			
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	360	220	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिका/नगर पंचायत	360	200	
ग्राम पंचायत	360	45	

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं [जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो] के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत–दरें (टैंरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघा (पावरलूम), दालमिलों, बेसन मिलों तथा वर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण, उसका संरक्षण/इसके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (shelf life) में अभिवृद्धि तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर, जिससे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) : गैर–मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र में
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता				
4.1 ए	निम्न दाब उद्योग जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) तक है	70 प्रति अश्वशक्ति	25 प्रति अश्वशक्ति	375
4.1 बी (i)	मांग–आधारित विद्युत–दर (Demand based tariff) (जिनकी संविदा मांग तथा संयोजित भार 100 अश्वशक्ति तक है)	200 प्रति किलोवाट अथवा 160 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	90 प्रति किलोवाट अथवा 72 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	480
4.1 बी (ii)	मांग आधारित विद्युत–दर (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर)	280 प्रति किलोवाट अथवा 224 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	190 प्रति किलोवाट अथवा 152 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	480
4.1 सी	मांग आधारित विद्युत दर	280 प्रति किलोवाट	190 प्रति किलोवाट अथवा 152	480

	(100 अश्वशक्ति* से अधिक 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर) (केवल विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु लागू)	अथवा 224 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	
4.1 डी	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		
*इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतरण (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के अनुसार देय होगा।				
4.2 मौसमी उपभोक्ताओं हेतु (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 ए	**मौसम के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 बी	**मौसम बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनसे जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, परन्तु उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार **25 अश्वशक्ति से अधिक** है, इन्हें मांग आधारित टैरिफ आदेशात्मक है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता हेतु टाई–वेक्टर/बाई–वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग का समय खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।

(सी) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के भारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) केवल **विद्यमान उपभोक्ताओं** हेतु श्रेणी एलवी 4.1 सी के अन्तर्गत लागू है। इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी नवीन संयोजन जारी न किये जाएं।

(डी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

(डी.1) 100 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित

संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी.2) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु**: उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(ई) आधिक्य अतिरिक्त मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

(एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। चूंकि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दो माह लगभग व्यतीत हो चुके हैं तथा उपभोक्ता द्वारा इसके बारे में टैरिफ आदेश जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जा चुका हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस

सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग

1. प्रयोज्यता :

टैरिफ दर **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, (Winnowing machines) बीजारोपण मशीनों, उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर **एलवी–5.2** फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग) फल उगाने वाली रोपणियों, मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु–प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्म्स), चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरुम) उगाने वाले कृषि प्रक्षेत्रों तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

2. विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**कृषि संबंधी उपयोग हेतु**		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	300
बी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	350
सी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	385
डी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता हेतु	कुछ नहीं	270
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु**		
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 55 प्रति अश्वशक्ति	350
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 20 प्रति अश्वशक्ति	350
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू.170/किलोवॉट अथवा रू. 136/केवीए, बिलिंग मांग का	425
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू. 80 किलोवाट अथवा रू.64/ केवीए बिलिंग मांग का	425

3. अमीटरीकृत विद्युत खपत की बिलिंग का आधार :

चूंकि यह आदेश माह मई, 2011 में जारी किया जा रहा है, तथा दिनांक 1 जून, 2011 से प्रभावशील हो जाएगा, अतएव नवीन विद्युत दर (टैरिफ) पर बिलिंग माह जून, 11 से आगे की अवधि हेतु की जाएगी; अतएव :अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग निम्न दर्शाई गई विधि के अनुसार की जाएगी।

अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग की आकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी :

विवरण		प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु					
		शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र		
मोटर पम्प का प्रकार	संयोजन का प्रकार	अप्रैल तथा मई 2011	जून से सितम्बर 2011 तक	अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक	अप्रैल तथा मई 2011	जून से सितम्बर 2011 तक	अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक
तीन फेज	स्थाई	70	100	170	40	55	150
	अस्थाई	175	175	175	155	155	155
एकल फेज	स्थाई	70	100	180	50	65	160
	अस्थाई	190	190	190	170	170	170

3.1 निबंधन तथा शर्तें :

3.1.1 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replacement) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

3.1.2 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

***मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) पर उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा।** यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

3.1.3 न्यूनतम खपत :

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1) : ऐसे उपभोक्ताओं को माह जून से सितम्बर तक संयोजित भार की 25 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 75 यूनिट प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है या नहीं।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.2):

(ए) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में सविंदा मांग का 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(बी) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो।

(सी) न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

3.1.4 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

3.1.5 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्ते :

अ. वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ब. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

3.1.6 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

3.1.7 तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

3.1.8 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अधिसूचित समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) किया जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing)–** स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption) –**

   (अ) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम है।

   (ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

   (स) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक

बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWH) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (KWH) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (KWH)	संचयी न्यूनतम खपत (KWH)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (KWH)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (KWH)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (KWH)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess Demand) :** इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

(अ) **वे उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) का विकल्प प्रस्तुत करते हैं** : मांग आधारित विद्युत दर पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105% अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

(ब) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Demand)** : ऐसे प्रकरण में जहां अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक अभिलिखित की जाती हो, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना की दर से भुगतान करना होगा।

उदाहरण : जहां कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 केवीए है, यदि वह 60 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता हो तो आधिक्य मांग (60 केवीए–52.5 केवीए) = 7.5 केवीए हेतु उसकी बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत)* 7.5 केवीए/अधिकतम अभिलिखित की गई मांग)* 1.3 ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

(स) **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of the contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(द) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

(ई) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा का चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. अन्य निबंधन तथा शर्तें:–

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(बी) **तत्पर (Prompt) भुगतान हेतु छूट** : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस छूट की पात्रता नहीं होगी।

(सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार/मांग को 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(डी) मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग, मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम

(पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ई) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 150 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(जी) **वेल्डिंग अधिभार** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हों जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%) लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके, वेल्डिंग अधिभार, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा।

(एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयाजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।

(आई) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगाः

1. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   क. 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार।

   ख.. 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से अधिभार।

   अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे

तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की आपूर्ति नहीं कर लेता।

(जे) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे।

(के) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगे :

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{भार कारक (पी.एफ)}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटों (KWH) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. उपरोक्त सूत्र में, हर (denominator) में मांग ऊर्जा कारक [Demand Power Factor(PF)], निम्न में से जो भी अधिक हो लिया जाएगा :

क. अधिकतम अभिलिखित मांग (maximum demand recorded) या संविदा मांग (contract demand), इनमें से जो भी अधिक हो तथा 0.8 मांग कारक (0.8 power factor)

अथवा

ख. अधिकतम अभिलिखित की गई मांग तथा 0.8 का गुणनफल या वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(एल) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एम) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.25% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता, जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/– तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(पी) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :** यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है।

(क्यू) **एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग** : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो। तथापि, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्लू पी क्रमांक 6006/2008 के अंतर्गत दिनांक 13–05–08 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुसार माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक अधिवक्ताओं के निवासों पर संलग्न व्यावसायिक चेम्बरों में श्रेणी एलवी–1 घरेलू विद्युत–दर लागू रहेगी।

(आर) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।

(एस) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

8. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.3 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) भार–कारक (लोड–फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

परिशिष्ट–3

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

विद्युत दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	199–200
एचवी–2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)	201
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक	202–204
एचवी–4 मौसमी (सीजनल)	205–206
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	207–208
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	209–210
एचवी–7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	211
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तें	212–224

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	220	470

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(बी) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू **नहीं** होंगे।

(सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवॉट आवस' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक

किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें में उल्लेखित की गई है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (कोल माईन्स)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	450	510	425
2	33 केवी प्रदाय	460	490	405
3	132 केवी प्रदाय	470	480	395
4	220 केवी प्रदाय	480	470	385

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

ए. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

बी. **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

सी. **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

डी. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची (ई) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धन संस्था/विकास–अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लद्यु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल), विद्युत ताप उद्योग (इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों), परिसर में विद्युत व्यवस्था (कम्पाउन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	210	480	410
	33 केवी प्रदाय	335	470	350
	132 केवी प्रदाय	435	430	326
	220 केवी प्रदाय	450	415	320
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	165	510	425
	33 केवी प्रदाय	265	480	410
	132 केवी प्रदाय	380	440	375
3.3	**शॉपिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	165	510	435
	33 केवी प्रदाय	250	490	420
	132 केवी प्रदाय	370	450	380
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	480	380*	380
	132 केवी प्रदाय	525	355*	355

*श्रेणी एचवी 3.4 को भार प्रोत्साहन (load factor incentive) की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के लिये, ऊर्जा प्रभार, भार–कारक से असंबद्ध, सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान होंगे।

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(ए) **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाऐं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाऐं	600
	100 केवीए की संविदा मांग तक	900
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। तथापि, एचवी 3.4 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को भार कारक प्रोत्साहनों का पात्रता नहीं होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/ छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) **ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट** : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभारकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 10% तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की जाएगी।

(ई) **शॉपिंग मॉल अतिरिक्त हेतु, विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें** :

(i) वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धक संस्थान/विकास अभिकरण (डेवलपर) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (सीजनल) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	225	465	395
33 केवी प्रदाय	250	450	380
मौसम बाह्य (आफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 225	558 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 250	540 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। चूंकि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दो माह लगभग व्यतीत हो चुके हैं तथा यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार सयंत्रों/जल–मल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

टैरिफ :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	155	385
	33 केवी प्रदाय	175	365
	132 केवी प्रदाय	195	345
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	175	390
	33 केवी प्रदाय	195	370
	132 केवी प्रदाय	215	355

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को आयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जल–मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	185	435	370
	33 केवी प्रदाय	200	410	350
	132 केवी प्रदाय	215	395	335
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	125	450	385
	33 केवी प्रदाय	130	440	375
	132 केवी प्रदाय	135	425	360

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** : संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) समस्त वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता या उपभोक्ता (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (बल्क सप्लाई टू एक्जेम्पटीज)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) सहकारी समितियों, किसी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, प्रयोक्ताओं के संध (यूजर्स एसोसियेशन), सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा उनके व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) अर्थात् वे उपभोक्ता जिन्हें कि विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 13 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, को लागू होगी।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय		
(ए)	सहकारी समितियां जो विद्युत का मिश्रित उपयोग कर रही हैं	200	320
(बी)	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू तथा कृषि उपयोग (अधिकतम 10 प्रतिशत गैर–घरेलू उपयोग अनुज्ञेय किया जावेगा)	100	260
(सी)	शहरी क्षेत्रों में मिश्रित घरेलू तथा गैर–घरेलू उपयोग (कुल प्रयोग के 10 प्रतिशत के अध्यधीन)	150	320

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) विद्युत प्रदाय केवल 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज पर प्रदाय किया जावेगा। **तथापि, सहकारी समितियों को 11 केवी पर संयोजन किये जाने बाबत अनुज्ञेय किया जा सकता है।** छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, तत्संबंधी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट टैरिफ दर के अनुसार सीमित रखे जाएंगे।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

उच्चदाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 **सेवा का स्वरूप :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु** :–

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

(डी) श्रेणी एचवी–7 के उपभोक्ताओं के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जाएगा। तथापि विद्युत प्रदाय, सहकारी समिति के अनुरोध पर, उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदान किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग**, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) के बारहवें (1/12) भाग) पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत से कम हो।

3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

4) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलो वाट आवर (KWH) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर (KWH) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (KWH)	संचयी न्यूनतम खपत (KWH)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (KWH)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (KWH)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (KWH)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140

जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	4.5 प्रतिशत (साढ़े–चार प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दर से

1.9 भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन

1) **भार–कारक (लोड फेक्टर)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों (KWH) की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।

iii उपरोक्त सूत्र में, हर (denominator) में मांग ऊर्जा कारक [Demand Power Factor)], निम्न में से जो भी अधिक हो लिया जाएगा :

क. अधिकतम अभिलिखित मांग (maximum demand recorded) या संविदा मांग (contract demand), इनमें से जो भी अधिक हो तथा 0.9 मांग कारक (0.9 पावर फैक्टर)

अथवा

ख. अधिकतम अभिलिखित की गई मांग तथा 0.9 का गुणनफल या वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

2) **भार कारक प्रोत्साहन** की गणना निम्न योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=75%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
भार कारक >75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 75% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 1.5% का प्रोत्साहन देय होगा	= (x-75) * 0.15

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत का होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगा।*

- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह 75 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर* [0.15 प्रतिशत *(82-75)]=1.05 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।

टीप : **धनात्मक खपत (incremental consumption)** की गणना हेतु, 75% भार कारकों से तत्संबंधी भार कारक को कुल खपत में से घटाया दिया जाएगा। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन केवल ऊर्जा प्रभारों पर, जो कि ऐसी धनात्मक खपत से तत्संबंधी हैं, को लागू होंगे, जिसके लिये पृथक दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **त्वरित भुगतान हेतु छूट** : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर)] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।

1.12 **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूटः** यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

1.13 **ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)**

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) % गिरावट प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जाएगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

i. उपभोक्ताओं को समस्त समयों पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक तक बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की 105 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा। ऊर्ज़ा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत के अन्तर के रूप में, प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार** : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 105 प्रतिशत से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) की 1.3 गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो (250 केवीए–210 केवीए) = 40 केवीए हेतु ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत* 40 केवीए/अधिकतम अभिलिखत संविदा मांग)* 1.3* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of contract demand) :–** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 115 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 105 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

(ब) 105 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. **रेलवे कर्षण** के प्रकरण में, उपरोक्तानुसार इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को किसी माह के अंतर्गत निम्न दरों पर भारित किया जायेगा :

(अ) जब अभिलिखित अधिकतम मांग, संविदा मांग का 115% हो तो संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक मांग पर – रू. 228/– प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(ब) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115% से अध्कि हो जाए तो उपरोक्त स्थाई प्रभारों के अलावा मांग संविदा से 115% अधिक को रू. 330 प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) (जैसे कि टैरिफ, न्यूनतम प्रभार, आदि) के अन्य उपबंध उपरोक्त दर्शाई गई आधिक्य मांग हेतु भी प्रयोज्य होंगे।

v. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

vi. उपभोक्ता को सामान्य विद्युत–दर से अधिक मांग की बिलिंग किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

1.15 **विलंबित भुगतान अधिभार :** देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को सम्मिलित कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 **अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश/धनादेशों [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, राहत प्राप्त किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगाः

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभार की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी।

(बी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि हेतु, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय–समय पर की गई संभूति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ई) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एफ) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से निर्धारण की गई निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभार हेतु सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार माह हेतु बिलिंग की जाने वाली मानी गई संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु सामान्य टैरिफ पर संविदा मांग (विद्यमान) + अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु, अस्थाई संयोजन हेतु सामान्य विद्युत–दर पर संविदा मांग।

(ii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग टैरिफ आदेशानुसार उक्त माह हेतु, मानी गई संविदा मांग के अनुसार होगी।

(iii) माह के दौरान स्थाई संयोजनकी बिलिंग हेतु, खपत (ए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{खपत ए} = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग}} \times \text{कुल खपत}$$

अस्थाई संयोजन हेतु खपत=कुल खपत – (A)

(iv) उपरोक्तानुसार, अस्थाई संयोजन हेतु खपत की गणना, बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की 1.3 गुना दर पर की जाएगी।

(v) उपरोक्त जी (i) में गणना की गई मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए* आधिक्य मांग* 1.5 (डेढ़)

आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 (डेढ़) * (आधिक्य मांग/मानी गई संविदा मांग) * कुल खपत

(एच) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (लोड फेक्टर कन्सेशन) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दरों पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 पूर्व में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) विभिन्न विद्युत प्रदाय वोल्टेज सहित, संविदा मांग के भारों हेतु निम्नानुसार प्रयोज्य होंगी :

मानक प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 केवी	50 केवीए	300 केवीए
33 केवी	100 केवीए	10000 केवीए
132 केवी	5000 केवीए	50000 केवीए
220 केवी/400 केवी	40000 केवीए	–

1.19 तकनीकी कारणों से उपरोक्त न्यूनतम/अधिकतम संविदा मांग से विचलन, यदि कोई हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

1.20 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.22 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान

स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.23 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.24 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.25 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.26 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के की सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.27 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.28 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये द्वारा स्थाई प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.29 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई लागू हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत हों।

1.30 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों लागू की जाने वाली विद्युत–दरों (टैरिफ) हेतु निबन्धन तथा शर्तें जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है तथा जो विद्युत की प्राप्ति ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने (start up) के इच्छुक हों।

(i) स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत दरें अस्थाई दरों के आधार पर लागू होंगी जो उच्च दाब/अति उच्च दाव उद्योग हेतु प्रयोज्य विद्युत दर में तत्संबंधी अनुसूची एचवी–3.1 के अंतर्गत संबद्ध वाल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं।

(ii) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु (start up power) विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(iii) न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी।

(iv) कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा।

(v) ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी, जिस हेतु जो भी कारण निहित हों, उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा एक वर्ष में अधिकतम 42 दिवस हेतु प्रदान की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर, दिवस के एक अंश को एक पूर्ण दिवस माना जाएगा।

(vii) विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

———